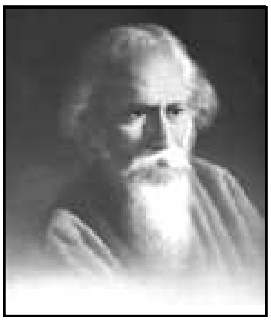

# *Go not to the temple*

*- by Rabindranath Tagore*

*Go not to the temple to put flowers upon the feet of God,*
*....First fill your own house with the Fragrance of love.*

*Go not to the temple to light candles before the altar of God,*
*...First remove the darkness of sin from your heart.*

*Go not to the temple to bow down your head in prayer,*
*...First learn to bow in humility before your fellowmen.*

*Go not to the temple to pray on bended kness,*
*...First bend down to lift someone who is down-trodden.*

*Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins,*
*...First forgive from your heart those who have sinned against you.*

# विषय सूची


| क्र.सं. | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | विद्युत और संकेत एवं दूरसंचार विभाग हेतु क्या करें तथा क्या न करें<br>- **एस.पी.एस. यादव**, उप मुसताधि./विद्युत | 05 |
| 2. | सामग्री पास करना, मापी दर्ज करना एवं तकनीकी जाँच करना<br>- **जे.के.सिंह,** उप मुसताधि./इंजी. | 08 |
| 3. | पूर्वाग्रह<br>- **दिनेश सिंह,** वरिष्ठ जाँच अधिकारी | 13 |
| 4. | भ्रष्टाचार<br>- **के.एन. सहाय**, मुसतानि/यातायात | 19 |
| 5. | केस अध्ययन (यातायात) | 20 |
| 6. | केस अध्ययन (लेखा एवं कार्मिक) | 31 |
| 7. | केस अध्ययन (अभियंत्रण) | 33 |
| 8. | केस अध्ययन (चिकित्सा, सुरक्षा एवं भंडार) | 38 |
| 9. | केस अध्ययन (विद्युत, यांत्रिक, संकेत एवं दूरसंचार) | 59 |
| 10. | महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार पत्र | 61 |

# CONTENTS


| Sl.No. | | Page No. |
|---|---|---|
| 1. | Transparency in Governing Indian Railways<br>**- T.P. Singh**, AGM | 02 |
| 2. | Do's and Don'ts for Electrical and S&T Department<br>**- S.P.S.Yadav,** Dy.CVO/Elect. | 05 |
| 3. | Material Passing, Recording of Measurement and Technical Check<br>**- J.K.Singh,** Dy.CVO / Engg. | 08 |
| 4. | BIAS<br>**- Dinesh Singh,** Senior Inquiry Officer | 13 |
| 5. | Case Studies (Traffic) | 20 |
| 6. | Case Studies (Accounts & Personnel) | 31 |
| 7. | Case Studies (Engineering) | 33 |
| 8. | Case Studies (Medical, Security & Stores) | 38 |
| 9. | Case Studies (Electrical, Mechanical, S&T) | 59 |
| 10. | Important System Improvement Letters | 61 |

# Transparency in Governing Indian Railways

**T.P. Singh**
AGM, ECR

*"Lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity".* ***Dalai Lama***

Governance is the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. The concept of Governance is broader than Government. The notion of Governance focuses on institutions and processes.

An information-driven society leads to transparency and accountability. This provides drive to programmes aimed to enhance the processes and systems of public bodies thereby improving service delivery. Since transparency involves sharing of information -meaning most decisions of officials, and important rules and regulations are in the public domain- it thoroughly reduces chances of corruption, nepotism, favouritism. Lack of information about the functioning of government agencies can make it easy for corrupt officials to cover their tracks. On the other hand, when officials recognize that their decisions will be out in the open, then they will be less motivated to act randomly or with self-interest. It can be said that the least transparent Governments exist in the most corrupt countries. A number of international bodies with the responsibility of promoting and protecting human rights have recognised the fundamental nature of the Right to Information (RTI). Transparency is widely recognized as core principle of good governance. Transparency means sharing information and acting in an open manner. Free access to information is a key element in promoting transparency. Information must be timely, relevant, accurate and complete for it to be used effectively. Transparency is also considered

essential for controlling corruption in public life. Transparency and accountability in Government are mutually reinforcing.

Transparency upholds accountability and delivers information for peoples about the activities of Government. Information maintained by the Government is a national asset. Executive departments and agencies should harness new technologies to put information about their operations and decisions online and readily available to the public. Executive departments and agencies should also solicit public feedback to identify information of greatest use to the public. Transparency in governance also has constructive impact on the efficiency of Government functioning. Since most rules and regulations are already in public domain, most people approaching the Government for its services will already know about the basic requirements, and officials will not waste valuable time explaining their position to people. Likewise, transparency increases accountability of the Government officials. As the power of all officers and arms of the Government are out in the open, and proper records of all actions of officials are available, it becomes easy to fix responsibility in case of any offense. On the other hand, if decision-making process is shrouded in secrecy, officers involved will take the onus of an inappropriate decision.

But significant effect of transparency is on people themselves, especially the disadvantaged lot. Transparency in governance is actually empowering such as People know whom to approach for which work, they can easily discover if they are eligible for special schemes of the needy like MNREGA, the targeted public distribution system, etc. In such a situation, people will not be forced to request officials for what is their legitimate right. It is apparent that transparency in governance augments the quality of governance

and leads to lowering of governance and leads to lowering of corruption. However, transparency in itself is not enough to eradicate corruption. This is because, while transparency implies availability of information, it also requires an educated and intellectual population to find out the real meaning of the available information and act on it. Lessening corruption also requires a prompt and effective criminal justice system, which can swiftly punish the guilty. So, it is established that transparency is needed but not sufficient condition to eliminate corruption.

Additionally, in Indian scenario with a large population of uneducated and poor people, information has not only to be made available, but the availability of information itself has to be advertised. This means that there is a need of activists who can inform and educate the public about the kind of information available to them and how to use that information. While, some government departments have been performing this role, there is a lot of gap remaining which has to be bridged by social activists and the media.

To maintain transparency, government need people who can seek information from required sources, collate it and make it understandable to the people who may be affected by such information. The news media is support of society which can effectively do this. Non-governmental organizations, especially those working in the field of RTI or people's empowerment can be another.

Transparency International India has been carrying out surveys to compare different countries in the world to know the level of corruption in those countries. Corruption perception Index as surveyed by Transparency International is the perceived level of corruption in Public Sector of a country. The World map with different colours show the extent of corruption in various countries. A country

with lighter colour is cleaner and country with darker colour is highly corrupt.

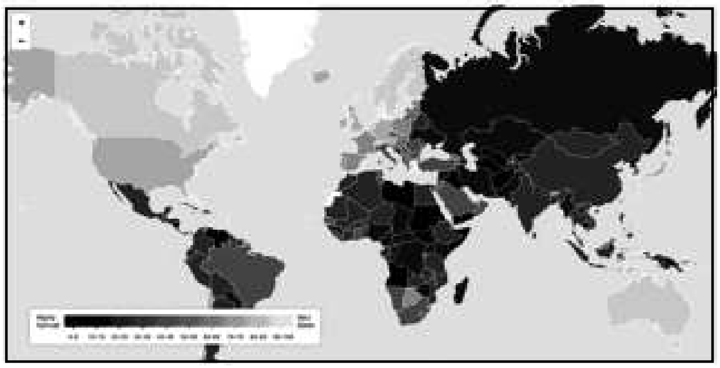

India is the 76 least corrupt nation out of 175 countries, according to the 2015 Corruption Perceptions Index reported by Transparency International. Corruption Rank in India averaged 75.14 from 1995 until 2015, reaching an all time high of 95 in 2011 and a record low of 35 in 1995. Corruption Rank in India is reported by the Transparency International. The scale of the issue is huge. Sixty-eight per cent of countries worldwide have a serious corruption problem. Half of the G20 are among them.

The Minister of Railways, Shri Suresh Prabhakar Prabhu said that the transparency is an important tenet of this Government. Presenting the Railway Budget 2016-17 in Parliament, he said, Indian Railway's mission is to ensure 100% transparency in all its operations. He said, Indian Railways has initiated the process of conducting recruitments online in 2015-16 and the process is now being replicated for all positions. Social media is also being used as a tool to bring in transparency in its day to day working. All procurement including procurement of works has moved to the e-platform. The Minister said, Indian Railways intend to usher into a new era by switching over to paperless contract management system

where not only the bids are invited online, but the entire process leading to award of a tender is also done electronically. He said a trial run has been conducted for the above and the Railways intend to roll it out on a Pan-India basis in next financial year. He also announced the following initiatives in his budget speech of 2016:

Hand-held terminals will now be provided to Travelling Ticket Examiners (TTEs), which can be used for verification of passengers and downloading charts. This system will help us to move towards paperless ticketing and charting and expedite finalization of refund claims apart from saving reams of paper. We are also exploring the idea of extending the facility of SMS on mobiles as a valid proof of travel for PRS tickets as well.

We are putting in place an integrated customer portal, which will be a single interface for the customers to access different services. Seamless navigation would be possible across different websites of Railways.

A centrally managed Railway Display Network is expected to be introduced in over 2,000 stations over the next two years which will aid in providing information on train arrival/departure, reservations, general and emergency messages and also any other information of interest to citizens. This facility will promote "Digital India Campaign" and also unlock huge advertising revenue potential.

We propose to introduce an "SMS Alert" service to inform passengers in advance the updated arrival/departure time of trains at starting or destination stations. Similarly SMS alert would be sent 15/30 minutes in advance of arrival of the train at the destination.

We will shortly unveil an IT vision for the Railways. Online information on latest berth availability on running trains, an integrated

mobile application including station navigation system, etc. will be made available. Customer friendly freight movement initiatives such as introduction of bar coded/RFID tracking of parcels and freight wagons, automated parcel warehouses, customer relationship management system, etc., will be undertaken. There will be an integration of train control and asset management applications.

Indian Railways recruits various categories of employees through its 21 recruitment boards. As a major transparency initiative, the system of on-line applications has been introduced for two categories as a pilot project. It is proposed to extend this further to include all future recruitments.

Transparency in Indian Railways can be enhanced further by the following measures:

1. Right to Information: Sincere approach to RTI by all officials and following up all cases of appeals in a time bound manner.
2. E-governance: Similar to the lines of E-procurement and E-tendering, all interactions of Indian Railways with its stake holders must be handled through e-portal visible to all.
3. E-Office: NIC India has developed a good software for all ministries to go paperless in their offices. This software will not only save paper but will also result in efficient decision making.
4. Technology: As already discussed in budget speech of Minister of Railway, hand held terminals, RFID, Bar coding, Condition based monitoring, etc are going to be utilized on a large extent.
5. Citizen Charters: Citizen charters have already been put in place in many Zones. This will ensure time bound service delivery to our customers.

## विद्युत और संकेत एवं दूरसंचार विभाग हेतु क्या करें तथा क्या न करें

**- एस.पी.एस. यादव**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत

**विद्युत विभाग**
**क्या करें:-**

- कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्मुक्त होने वाले सामानों की संयुक्त निरीक्षण कर सूची बनाएं।
- कार्य समाप्ति के पहले सुनिश्चित करें कि निर्मुक्त हुए सामानों को लेखा में लिया गया है।
- संवेदक को जारी किए गए रेलवे सामग्रियों का उचित लेखा जोखा रखें।
- कार्य शुरू होने से पहले संवदेक द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निरीक्षण सुनिश्चित करें तथा रेकार्ड का उचित रख रखाव करें।
- संवेदक को सामग्री सिर्फ अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से एवं कार्य प्रगति के अनुसार ही जारी करें।
- कार्यों के संपादन के दौरान प्रमाणिक आरेख एवं विशेष विवरण जैसे RDSO/IS का अनुकरण करें।
- संविदा के शर्तों के अनुसार कार्य के सम्पादन हेतु योग्य तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए जोर डालें।
- कार्य कराते समय करारनामा में अंकित स्पेसीफिकेशन एवं नवीनतम संशोधित आरेख का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
- रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों, संयंत्र और कल पुर्जों का भाड़ा खर्च की वसूली कार्य के तुरन्त बाद संवेदक के क्रियाशील बिल से सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मद में अतिरिक्त कार्य सम्पादन के पहले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित करें ताकि करार भी खराब न हो।
- विभागीय भंडार का सत्यापन ACTM के पारा 10824 के अनुरूप अवश्य ही करा लेना चाहिए।
- खराब बिजली मीटर को प्राथमिकता पर बदलना सुनिश्चित करें।
- क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी पूर्जा/उपकरण हेतु प्रतिस्थापना बही का रखना एवं समय पर इनके बदलाव को सुनिश्चित करें।

# Do's and Don'ts for Electrical and S&T Department

**- S.P.S.Yadav**
Dy.CVO/Elect.

**ELECTRICAL**

**DO'S:**

- Joint inspection of inventory is to be carried out for the material to be released before commencement of the work.
- Ensure all released materials are taken into account before work completion.
- Keep proper accountal of Railway materials issued to the contractors at the site of work.
- Ensure inspection and passing of materials supplied by contractors before these are used in work. Maintain proper records.
- Issue materials to the contractors only through authorized agents and control the issues commensurate with progress of work.
- While execution of works, follow the standard drawings & specification like RDSO/IS.
- Insist for qualified technical supervisors for execution of works as per contract conditions.
- Refer the specifications & drawings thoroughly along with latest amendments as mentioned in the agreement.
- Ensure recovery of cost of materials supplied by Railways, hire charges for tools & plants etc. from the contractors running bills immediately after their use.
- Ensure prior administrative approval of competent authority before executing additional quantities in each item so that the contracts are not vitiated.
- Measurement Books should be issued by competent authority dully filling and signing the first page of MB, to the concerned supervisors only and record should be maintained.
- Perform the departmental stock verification without fail as per Para 10824 of ACTM.
- Ensure that defective energy meters are replaced on priority.
- Ensure to maintain installation register for all fitting/equipment over the jurisdiction and effect the changes in timeline.

**क्या न करें:-**

- जहाँ एक या अधिक शेडयूल आइटमों को मिलाकर काम किया जाना संभव हो। नन शेडयूल आइटम से कार्य नहीं करना चाहिए।
- एक कार्यस्थल पर समान कार्य करने हेतु दो या अधिक संस्था को अनुमति न दें।
- संवेदक को ज्यादा मुनाफा वाली मदों के कार्यों को उसके इच्छानुसार पहले संपादन करने की अनुमति न दें ताकि संवेदक में पूरे कार्य को सम्पन्न करने की रुचि बनी रहे।
- बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के अनुसूची में दी गई मात्रा से ज्यादा सामग्री को स्वीकार न करें।
- एक संस्था द्वारा आंशिक रूप से छोड़े हुए कार्यों के सम्पादन हेतु किसी अन्य संस्था को अनुमति देने के पहले अंतिम माप ले लें एवं उसे पूर्व संवेदक एवं नवीन संवेदक से स्वीकृत करा लें।
- संवेदक द्वारा किए गए विभागीय उपकरणों के उपयोग के बिल की वसूली को संवेदक के अंतिम बिल तक इकट्ठा न होने दें।
- कार्य के परिपूर्ण मदों का भुगतान कार्य स्थल पर सामग्री आने मात्र से न करें जबतक कि संवेदक इसे कार्य की मदों के अनुसार उपर्युक्त स्थान पर लगा न दे।
- अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों की माप पुस्तिका पर अंकित न करें।
- बिना उचित प्राधिकार के वाह्य उपभोक्ता/संवेदक को बिजली की सप्लाई न दें।
- बिना कार्यस्थल का निरीक्षण किए गए संवेदक/निजी संस्थानों को विद्युत कनेक्शन देने हेतु प्राक्कलन न करें।
- कार्य के दौरान निर्मुक्त हुए सामान का करार की शर्तों के अनुसार लेखा जोखा किए बिना कार्य की माप न करें।
- ऐसे विद्युत उपकरण जो आई.एस.आई. मार्क के बिना आते हैं तथा आई.एस. आई. स्पेशीफिकेशन को पूरा नहीं करते हों उनका मांग पत्र नहीं बनाएं।

**संकेत एवं दूरसंचार**

**क्या करें:-**

- मापन पुस्तिका में मापों को अंकित करने में Engineering code के पारा 1315 एवं 1322 का अनुशरण करें। मापें निर्दिष्ट स्थानों के साथ अंकित होने चाहिए।
- Field book को अनुरक्षित करें जिसमें दैनिक प्रगति का विवरण कार्यस्थल

**DON'Ts:**

- Don't operate non-schedule items where it is possible to do work as per schedule items or a combination thereof.
- Don't allow two or more agencies to do similar works at one site.
- Don't allow the contractors to first execute only those items considered more profitable at his discretion, so that contractor's interest in completing the whole works remains.
- Don't accept the materials more than the scheduled quantity without obtaining approval from competent authority.
- Don't allow execution of partly left over works by another agency before taking final measurements of earlier contract and getting them accepted both by the old and the new contractor.
- Don't allow recoveries on accounts of use of departmental machinery by contractors to be accumulated up to the final bill.
- Don't make payment of a 'finished item of work' on mere arrival of the material at site unless it is fixed in position as per description of the item of work
- Don't record the measurements for such works, which are incomplete/ defective.
- Don't extend the temporary power supply to outsiders/contractors without proper authority.
- Don't prepare the estimate for releasing electric connection to contractor/private parties without actual survey at site.
- Don't record the measurement towards dismantling/releasing work without ensuring proper accountable of released materials as per contract conditions.
- Don't indent electric items, which do not confirm to IS specification or bear ISI marks.

**SIGNAL & TELECOM:**

**DO'S:**

- While recording measurements in the MB follow the Engineering Codes 1315 and 1322.The measurements recorded should be specific with locations.
- Maintain field Book consisting of details of daily progress

के कार्य प्रगति के सापेक्ष अंकित करें।

- कार्यस्थल पुस्तिका को अनुरक्षित करें जिसमें अधीनस्थ कार्यपालकों एवं संवेदक को दिए गए निर्देश सम्मिलित हो।
- आपूर्ति सामग्रियों को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का ब्यौरा संविदा करारनामा के अनुसार हो।
- संपादित कार्यों का 20% परीक्षण जांच, मदवार एवं स्थान को दर्शाते हुए किया जाना चाहिए।
- संवदेक द्वारा अनुसूचित आपूर्ति सामग्री को DMTR खाता में उचित चालान एवं जांच प्रतिवेदन के साथ लेना चाहिए।
- कम्पनी को माँगपत्र एवं क्षतिपूर्ति बंध पत्र जमा करने के पश्चात ही संवेदक प्रतिनिधि को कार्य करने हेतु सामग्री निर्गत करना चाहिए।
- कार्य शुरू करते समय, संविदा शर्तों के अनुसार योग्य तकनीकी पर्यवेक्षक हेतु हमेशा जोर दें अन्यथा संबद्ध अधिकारी को तुरन्त सूचित करें।
- केबलों के बिछाने हेतु केबल खन्दक की गहराई, ईंटों, बालू का प्रावधान इत्यादि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- DMTR एवं अंतरणों को प्रतिदिन जरूर बन्द करें एवं सप्ताह में एक बार DMTR पर आद्याक्षर करें।
- दर संविदा वस्तुओं के बिल पारित करते समय दर संविदा के शर्तों के अनुसार वारंटी प्रमाण पत्र हेतु जोर दें।
- सामग्रियों के निरीक्षण प्रमाण पत्र को संविदा के मांग के अनुसार सत्यापित करें।
- निर्मुक्त सामग्रियों के उचित लेखांकन एवं निस्तारण को सुनिश्चित करें।
- निरीक्षण प्रमाण पत्र पारित करने से पहले DMTR को सत्यापित करें।

**क्या न करें:-**

- माप पुस्तिका को बिना कार्य संपादन के न भरें।
- आपूर्ति सामग्री बिना सही जाँच के न स्वीकार करें।
- कार्यस्थल की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना श्रमिक हिस्सा परिचालित न करें।
- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना RDSO/RITES निरीक्षण को प्रेषणी निरीक्षण में न बदलें।
- मूल पर्चा एवं चालानों के बिना सामग्री स्वीकार न करें।
- कार्य के संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अनुमोदन बिना कार्यस्थल को परिवर्तित न करें।

recording particulars with reference to works in progress location.

- Maintain site order book consisting of instruction issued to the Executive sub-ordinate and contractor.
- Ensure before accepting the materials for their make and specification as per contract agreement.
- The 20% test check should be specific with item and the location of the work checked.
- Supply portion in schedule by contractor should be taken into DMTR account with proper invoice bills and test reports.
- Issues of materials to contractor representative for execution should be done duly after receipt of requisition of firm and after submission of INDEMNITY bond.
- Always insists for qualified Technical supervisor as per agreement conditions at the time of commencement of work otherwise communicate immediately to the officer concerned.
- For laying of cables in cable trench proper care to be taken regarding depth, provision of bricks, sand cushion etc.
- DMTR transactions must be closed on every day and initial the DMTR once in a week.
- Insist for warranty certificate as per terms of rate contract while passing bills for RC items.
- Verify inspection certificate as per contract requirements.
- Ensure proper accountal and disposal of released material.
- Verify the DMTR before passing inspection certificate.

**DONT'S:**

- Don't Record measurements without carrying out the work.
- Don't accept materials supply without proper inspection.
- Don't operate labour portion without ensuring site requirements.
- Don't change RDSO/RITES inspection to consignee inspection without approval of Accepting Authority.
- Don't accept the material without original bills and invoices.
- Don't deviate the location without approval of sanctioning authority of the work.

# सामग्री पास करना, मापी दर्ज करना एवं तकनीकी जाँच करना

- जे.के.सिंह
उप मुसताधि/इंजी.

संवेदक के सभी विपत्रों का भुगतान, मापी पुस्तिका में दर्ज संवेदक द्वारा की गयी आपूर्ति/निष्पादित कार्य की मापी मात्रा के आधार पर किया जाता है। सभी सामग्री की आपूर्ति/कार्य में लगाने से पहले सक्षम प्राधिकारी (समई/कार्यपालक अभियंता) द्वारा पास होना आवश्यक है। उस प्रकार मानक स्तर का सामग्री पास कर मुख्य रूप से कार्य की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः सामग्री पासिंग रजिस्टर का सही अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

विपत्रों का भुगतान मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर किया जाता है जो कि तकनीकी कर्मचारी द्वारा विधिवत तकनीकी जाँच किया हुआ होता है। अतः अनुमोदित ड्राईंग (नक्सा) एवं करारनामा के अनुरूप विपत्र के भुगतान के लिए उचित मापी, मापी पुस्तिका का रखरखाव तथा सही तकनीकी जाँच महत्वपूर्ण औजार है।

अतः सामग्री पास करना, मापी दर्ज करना, तकनीकी जाँच करना तथा मापी पुस्तिका के रखरखाव के लिए निम्न बातों को सुनिश्चित किया जाए:-

**सामग्री को पास करना:-**

- सामग्री पासिंग रजिस्टर में प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग पृष्ठ होना चाहिए।
- मद का पूरा विवरण उल्लेखित होना चाहिए जैसे कि-ब्राण्ड का नाम/आकार अथवा मोटाई, सीमेंट इत्यादि के लिए निर्माण का महीना एवं वर्ष।
- पासिंग के लिए तिथिवार प्रस्तावित सामग्री की मात्र, संवेदक एवं संबंधित कार्य निरीक्षक का तिथिवार हस्ताक्षर सहित होना चाहिए ।
- निर्माता की जाँच रिपोर्ट, स्थल पर सामग्री की जाँच एवं सरकारी निबंधित प्रयोगशाला से सामग्री के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संवेदक द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्री को पास करना चाहिए।
- संवेदक द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री को प्रस्तावित करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आपूर्ति की गयी सामग्री निर्धारित मानक अथवा ठेका करारनामा के अनुरुप है तथा सामग्री की आपूर्ति कार्य समाप्ति तिथि के पहले किया गया है।

# Material Passing, Recording of Measurement and Technical Check

**- J.K.Singh**
Dy.CVO / Engg.

Payments of all bills of contractor for work executed or materials supplied are done based on the quantities recorded in Measurement Book. Before execution of work/taking supply of materials, all the materials are required to be passed by competent authority i.e. AEN/XEN. Thus quality of work primarily may be controlled by passing materials as per specification. Hence, proper maintenance of material passing register is an important tool for ensuring good quality of works.

The payments of bills are done based on measurement recorded in measurement book duly technical check done by technical staff. Hence, proper recording & maintenance of measurement book & also correct technical check are important tools to ensure payment as per agreemental scope and as per approved drawings etc.

Thus, following points should be ensured for materials passing, recording the measurements, doing technical checks and maintenance of Measurement Books:-

**Passing of Material:-**

- In material passing register each item should have separate page.
- Complete description of item should be mentioned i.e. brand name including size/thickness, month & year of manufacture in case of cement etc.
- Quantity of materials proposed for passing should be date wise with signature of contractor and concerned IOW.
- Materials supplied by the contractor should be passed, based on manufacturer's test report, testing of material at site, testing of materials by Govt. Registered Laboratories etc.
- Materials supplied by the contractor should be proposed only after satisfying that supplied materials are as per standard specification/ contract agreement and it should also be checked that materials is supplied within DOC.

- सामग्री पास करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर तिथि सहित पास अथवा रिजेक्ट (अस्वीकृत) की गयी सामग्री मात्रा के साथ होना चाहिए।
- पास की गयी सामग्री की मात्रा कार्य के आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।

**मापी पुस्तिका रिकार्डिंग एवं उसका रखरखाव:-**

- मंडल की मापी पुस्तिका क्रमबद्ध तरीके से नामांकित रहेगा तथा इसका एक रजिस्टर मंडल कार्यालय में या उप मुख्य अभियंता (निर्माण) के कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रहेगा।
- मंडल कार्यालय की तरह ही एक रजिस्टर सब डिविजनल कार्यालय में भी अनुरक्षित किया जाएगा।
- जो मापी पुस्तिका व्यवहार में नहीं है (पूरा भरा हुआ न होने पर भी) तुरंत वापस ले लिया जाए।
- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चालू मापी पुस्तिका को 30 अप्रैल तक मंडल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) के कार्यालय में जमा करा दिया जाए।
- मंडल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय में अव्यवहरित मापी पुस्तिका रख लिया जाए तथा शेष बचे मापी पुस्तिका को पुन: कार्य हेतु जारी किया जाय।
- मापी पुस्तिका पुन: जारी करने से पहले अंतिम उपयोग में लाये गये पृष्ठ की संख्या को मापी पुस्तिका रजिस्टर में दर्ज किया जाय।
- मंडल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय में जमा कराये गये मापी पुस्तिका एवं पुन: जारी किया गया मापी पुस्तिका के रजिस्टर को संबंधित वरि. मंडल अभियंता/मंडल अभियंता/कार्यपालक अभियंता तथा वरि. मंडल अभियंता (समन्वय)/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा।
- मापी पुस्तिका पुन: व्यवहार वास्ते प्रत्येक वर्ष 07 मई तक जारी किया जाएगा।
- मंडल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) साथ-ही-साथ सहायक मंडल अभियंता कार्यालय के बिल अनुभाग की जिम्मेवारी होगी कि मापी सिर्फ जारी मापी पुस्तिका में ही दर्ज की गई है।
- एक ही कार्य निविदा संबंधित सभी मापी एक ही मापी पुस्तिका में दर्ज की जाए। पूरी मापी पुस्तिका भर जाने के पश्चात् ही नई मापी पुस्तिका जारी की जाए।

- Signature of material passing officials should be with date duly mentioning quantity of passed or rejected materials.
- Quantity of passed materials should commensurate with scope of the work.

**Recording & upkeep of Measurement Book:-**

- All the Measurement books belonging to a division should be numbered serially and a register of them should be maintained in the Divisional Office and in the Office of Deputy Chief Engineers.
- A similar register should also be maintained in the sub-divisional office.
- A Measurement Book no longer in use should be withdrawn promptly even though not completely written up.
- All field officers will ensure that all the current Measurement Books are brought back to the Divisional/Dy.CE(Const.) office on 30th April every year.
- In the Divisional/Dy.CE (C) office, the Measurement Books, which are no longer in use, shall be retained and other Measurement Books shall be re-issued.
- While re-issuing the Measurement Book, the last issued page number shall also be noted down in the register against the MB.
- This statement of Measurement Book submitted to the Divisional/ Dy.CE(C) office and Measurement Books re-issued shall be countersigned by the Sectional Sr. DEN/DEN/XEN and also by Sr. DEN(Co.)/Dy.CE(C).
- All the Measurement Books shall be reissued by 7th May every year.
- It will be responsibility of the Bill Section of the Divisional/Dy.CE(C) office as well as ADEN's office to ensure that measurement are entered only in Measurement Books, issued during the current year.
- All measurements in respect of a single works contract shall be entered in only one Measurement Book. Once this Measurement Book is filled up, then only a new Measurement Book will be issued for this work.

- मापी पुस्तिका के सभी पन्नों पर पेज संख्या मशीन द्वारा अंकित होना चाहिए। किसी भी स्थिति में बीच से पन्ना न निकाला जाय एवं किसी भी लिखावट को न मिटाये अथवा न धुंघला करें।
- मापी पुस्तिका में सभी प्रविष्टि स्याही से होना चाहिए। गलती होने पर पूरा काट कर पुन: लिखा जाय एवं हस्ताक्षर किया जाए।
- कार्यस्थल पर मापी सीधे मापी पुस्तिका में भरा जाय। अन्य किसी स्रोत से लिया गया मापी मापी पुस्तिका में दर्ज करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
- मापी पुस्तिका में दर्ज की जाने वाली मापी स्थान के साथ लगातार में दर्ज किया जाय। बीच में कोई पन्ना खाली न छोड़ें तथा रद्दीकरण को अभिप्रमाणित करें। मापी का रद्दीकरण संबंधित अधिकारी द्वारा तिथि के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए अथवा संदर्भित आदेश दर्ज किया जाना चाहिए। दोनों स्थिति में कारण लिखा जाय।
- कार्य मद विवरण को दर के साथ मापी पुस्तिका में दर्ज किया जाय।
- मापी की जाँच परीक्षण छुपे हुए मापी को विशेष ध्यान में रखकर किया जाए।
- क्षेत्रफल मापी जैसे कि स्लैब, फर्श, प्री मिक्स रोड कारपेट, लकड़ी का कार्य इत्यादि में मोटाई जाँच पर विशेष ध्यान दिया जाए। जाँच परीक्षण में इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- स्टील एवं सीमेंट का भुगतान कार्य में प्रयुक्त मात्रा के लिए ही किया जाए। उसमें भी जो मानक के अनुरुप किया गया है।
- प्रत्येक चौथा ऑन अकाउंट बिल के साथ विस्तृत एवं अद्यतन मापी संलग्न होना चाहिए। दुबारा या अधिक भुगतान रोकने के लिए यह आवश्यक है।

**विपत्रों की तकनीकी जाँच:-**

- विपत्र मापी पुस्तिका में मूल प्रविष्टियों के आधाार पर बनाया जाना चाहिए।
- करार या कार्यादेश में जो प्रावधान हो उससे उच्च दर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- चालू विपत्र और अंतिम विपत्र की जाँच संवेदक लेजर में दर्ज के अनुसार किया जाना चाहिए।

- The pages of the book should be machine-numbered and no page should on any account be torn out, nor should any entry be erased or defaced so as to be illegible.
- The entries in the Measurement Book should be made in ink. If mistake be made, it should be corrected by crossing out the incorrect words or figures, and rewriting the correct words or figures, and the correction thus made should be initialed.
- The entries must be made directly in the measurement books at the site of work. The copying of entries from another rough note book or similar record is strictly forbidden.
- Entries of measurement with locations should be recorded continuously in the measurement book. No blank pages should be left and the cancellation should be attested. When any measurements are cancelled, the cancellation should be supported by the dated initials of the officer ordering the cancellation, or by a reference to his orders initialed by the officer who made the measurement. In either case, the reason for cancellation should be recorded.
- The details of item of work should be recorded in Measurement Book with indicating rate reference.
- Carry out prescribed test checks of measurements paying particular attention to the hidden measurements.
- Ensure inspection of correct thickness of items payable on area measurements such as slabs, floorings, premixed road carpet, wood work etc. Test check must cover this aspect also.
- Allow payment of only that much quantity of cement and steel which has actually been consumed in the works and that too only for that part of works which has been executed as per the specifications.
- Every fourth On Account Bills should include detailed and up-to-date measurements. This very much essential to avoid duplicate payment or excess payments.

**Technical Check of Bills:-**

- Bill should be as per original entries in Measurement Book.
- The rates higher than those provided in the agreement or work order should not be allowed without the specific sanction of the competent authority.
- The running account and final bills should be checked with the postings in the contractor's ledger.

- कार्य के किसी मद के लिए सामग्री जारी किया गया हो और उस मद का भुगतान जिसमें सामग्री तथा मजदूरी का दर शामिल हो की वसूली नियमानुसार की जानी चाहिए।
- जिस मद हेतु सिर्फ मजदूरी का भुगतान किया जाना हो उसमें सामग्रियों की मात्र कार्य से अधिक नहीं जारी किया जाना चाहिए तथा उसको उस कार्य में अंतिम रूप से चार्ज किया जाना चाहिए। (दोषपूर्ण कार्यों को बाद में सुध ार कार्य में बर्बाद सामग्री को लागत की कटौती किया जाना चाहिये)
- निष्पादित मात्रा अनुमोदित मानचित्र एवं प्राक्कलन के अनुसार होना चाहिए।
- मापी का तरीका सही होना चाहिए।
- कार्य को कार्यान्वित करने के लिए संवेदक को जारी की गयी सामग्री की मात्रा आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। सामग्री का ब्यौरा दिया जाना चाहिए जो संबंधित जेई/एस.ई/एस.एस.ई, सहायक इंजीनियर और संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- अंतिम विपत्र में संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित दावा रहित प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए।
- संवेदक द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री सहायक इंजी/कार्यपालक अभियंता द्वारा पारित होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पारित की गयी सामग्रियाँ भुगतान की गयी मात्रा के समतुल्य है।
- सीमेन्ट तथा स्टील का भुगतान कार्य में वास्तविक खपत के अनुसार होना चाहिए न कि कार्य स्थल पर लायी गयी सामग्री के मात्रा के अनुसार।
- आपूर्ति की गयी सामग्री का चालान संलग्न होना चाहिए।
- प्रबलन के लिए प्रयुक्त छड़ का बेन्डिगवार डायग्राम संबंधित जेई/एसई/एसएसई, सहायक इंजीनियर और संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- मंडल/उप मुइंजी. कार्यालय द्वारा जारी एवं मशीन द्वारा पेज नंबर अंकित किया हुआ लेबल पुस्तिका ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
- लेवल पुस्तिका एवं ग्राफ शीट संबंधित जेई/एसई/एसएसई, सहायक इंजीनियर और संवेदक द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- मिट्टी कार्य के लिए संघनित पंजिका की जाँच अवश्य की जानी चाहिए।
- रिलीज्ड सामग्री का ब्यौरा दिया जाना चाहिए जो संबंधित जेई/एसई/एसएसई, संवेदक तथा सहायक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित हो।

- The recoveries should be correctly made according to rules on account of materials issued against items of works for which labour and material rates are paid.
- The items for which labour, rates only are paid the quantities of materials issued and charged finally to works should not be excessive (the cost of materials wasted in defective works subsequently rectified should be recovered).
- Executed quantity should be as per sanctioned Plans and Estimate.
- The methods of measurement should be correct.
- Quantities of materials issued to contractor for executing the work should be as per requirement. Material statement should be furnished and signed by concerned JE/SE/SSE, AEN and contractor.
- No claim certificate duly signed by contractor should be furnished in final Bill.
- Materials supplied by the contractor should be passed by AEN/DEN and it should be ensured that the materials passed are at par with the quantities paid.
- Payment for supply of cement and steel should be as per actual consumption in work and not as per material brought at site.
- Challan of supplied materials should be enclosed.
- Bar bending diagram for reinforcement should be signed by concerned JE/SE/SSE, AEN and contractor.
- Machine numbered level book issued by divisional/Dy.CE (Con) office only to be used.
- Level Book & Graph sheet must be signed by concerned JE/SE/SSE, AEN and contractor.
- Compaction register for earth work must be checked.
- Released material statement should be furnished and signed by concerned JE/SE/SSE, AEN and contractor.

- भुगतान के लिए दर, दर अनुसूचि तथा संविदा करार के अनुसार होना चाहिए।
- वाहन भाड़ा तथा सामग्रियों की ढुलाई के विपत्र के लिए लॉग बुक और लीड चार्ट की जाँच की जानी चाहिए।
- स्टैक मापी में निमानुसार श्रिंकेज एलाउवन्स की जाँच की जानी चाहिए।
- निर्धारित परीक्षण जाँच सहायक इंजी/उच्च अधिकारियों द्वारा मापी पुस्तिका में स्थान के विरुद्ध दर्ज की जानी चाहिए।
- भैरिएसन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- कार्य का स्कोप और स्थान संविदा करार के अनुसार होना चाहिए तथा इसमें बदलाव सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं होना चाहिए।
- मिट्टी, गिट्टी, पत्थर चूर्ण इत्यादि की आपूर्ति में रायल्टी की कटौती मानदंड के अनुसार की जानी चाहिए। यदि संवेदक एम और एन फार्म जमा करता है तो इसकी जाँच संबंधित कार्यालय से सत्यापित होना चाहिए।
- संविदा करार के अनुसार डिप्लोमा/डिग्री धारक इंजीनियर को लगाया जाना चाहिए।

---

*“ ऐसा धन जो बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद मिलता है या अपना धर्म-ईमान सब खोने के बाद मिलता है या दुश्मनों की चापलूसी करने से मिलता है वैसे धन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ”*

*- चाणक्य*

- Rate for payment should be as per SOR and contract agreement.
- Log Book and lead chart should be checked for bill of hiring of vehicle and transportation of material.
- Shrinkage allowance as per rule for stack measurement to be looke into.
- Prescribed Test check by AEN or higher officials should be recorded against the location in M.B.
- Variation should be approved by competent authority.
- Scope and location of work should be as per contract agreement and it should not be changed without approval of competent authority.
- Deduction of royalty for supply of earth work, ballast, stone dusts etc are to be made as per norms. If contractor has submitted M & N form it should be verified from the concerned office.
- Engagement of Diploma/Degree holder Engineer as per contract agreement.

---

## DEFINITION OF TIME

*Time is Slow when you wait!*
*Time is Fast when you are late!*
*Time is Deadly when you are sad!*
*Time is Short when you are happy!*
*Time is Endless when you are in pain!*
*Time is Long when you feel bored!*
*Every time, time is determind by your feelings and your psychological conditions and not by clocks.*
*So Have A Nice Time Always!*

# पूर्वाग्रह

- **दिनेश सिंह**, वरिष्ठ जाँच अधिकारी

रेल सेवक (अनु. एवं अपील) नियम दिनांक 01 अक्टूबर 1968 से लागू किया गया। यह नियम, रेल कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, के विरुद्ध/द्वारा (प्रसंग के अनुसार) आरोप पत्र जारी करने, निलंबन, दंडारोपण, जाँच, अपील, पुनरीक्षण तथा पुर्णविलोकन की प्रक्रियाओं को नियमबद्ध करता है। सामान्यत: रेल में ऐसे कर्मचारी के लिए आरोपित कर्मचारी शब्द का उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित रेल सेवक (अनु. एवं अपील) नियम 1968 के प्रावधानों को लागू करने के दौरान यह पाया गया कि आरोपी कर्मचारी कभी-कभी जांच अधिकारी के पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं जिसके विरुद्ध उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता है। अत: कर्मचारी पक्ष की ओर से संयुक्त सलाहकार एवं अनिवार्य पंचाट योजना के तहत संस्थापित राष्ट्रीय परिषद में यह मुद्दा उठाया गया। यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि रेल सेवक (अनु. एवं अपील) नियम 1968 के तहत अनुशासनिक पदाधिकारी द्वारा नामित जांच अधिकारी के मनोनयन के आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है तथापि इस आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए।

तदनुसार रेल बोर्ड के पत्र संख्या ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-14 (1) दिनांक 19.06.1974 के तहत निर्देश जारी किया गया कि रेल कर्मचारी, जिसके विरुद्ध रेल सेवक (अनु. एवं अपील) नियम 1968 के तहत अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, यदि जाँच अधिकारी के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आवेदन देता है तो विभागीय जाँच कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा और रेल सेवक (अनु. एवं अपील) नियम 1968 के नियम 25 में वर्णित सक्षम पुनरीक्षा अधिकारी के पास जाँच से संबद्ध सभी अभिलेखों के साथ पूर्वाग्रह के आवेदन को उनके विचारार्थ एवं तत्पश्चात उचित आदेश के लिए भेजा जाएगा।

रेल बोर्ड ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि रेल सेवक (अनु. एवं अपील) नियम 1968 के तहत संचालित जाँच कार्यवाही के लिए मनोनीत जाँच अधिकारी को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तदनुसार रेल बोर्ड के पत्र संख्या 77 ई (जीसी)-1/41 दिनांक 25.02.78 तथा पत्र संख्या ई (डी एंड ए) 2000 आर जी 6-24 दिनांक 20.02.2000 से निर्देशित किया गया कि जाँच अधिकारी-

(1) का जाँच के विषय वस्तु में स्वार्थ न हो,

# BIAS

**Dinesh Singh,** Senior Inquiry Officer

The Railway Servants (D&A) rules 1968 came into force with effect from 1st day of October 1968. The rules codify the process of issuing the charge sheet, suspension, process of inquiry, award of punishment, appeal, revision and review against/by the Railway employee i.e. delinquent employee normally called the Charged Official against whom the disciplinary proceeding has been started.

During the implementation of the rules envisaged in the Railway Servants (D&A) rules 1968, it had been felt that the Charged Official ocassionaly suffered due to bias of the Inquiry Officer against which he had no remedy. The matter was, thus, referred from the staff side to the National Council set up under the scheme of Joint Consultative and Compulsory Arbitration. It was decided that although there was no provision to appeal against an order appointing an official as an Inquiry Officer in a disciplinary proceedings under the Railway Servants (D&A) rules 1968, nevertheless, such an order should be reviewed.

Accordingly Railway Board vide the letter no. E (D&A) 70RG 6-14(1) dated 19.06.1974 directed that whenever an application is made by the Railway Servant against whom disciplinary proceeding has been initiated under the Railway Servant (D&A) rules 1968 against the Inquiry Officer on the ground of bias, the departmental proceeding should be stayed and the application of bias along with other documents pertaining to the enquiry would be forwarded to the appropriate Revising Authority mentioned under rule 25 of the D&AR 1968 for consideration and passing appropriate order thereon by the Revising Authority.

The Railway Board felt the necessity of an Inquiry Officer nominated in the inquiry proceeding under the Railway Servant (D&A) rule 1968 free from bias. Accordingly vide Railway Board's letter no. 77E (GC)-1/41 of 25.02.78 and E (D&A) 2000 RG 6.24 of 20.02.2000, it has been directed that Inquiry Officer should:

(1) Not be interested in subject matter of the enquiry.

**(2) पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो,**
(3) जाँच कार्यवाही में गवाह न हों,
(4) जाँच के विषय वस्तु पर अपना अभिमत नहीं रखा हो,
(5) आरोपी कर्मचारी से पर्याप्त वरिष्ठ हो और
(6) तथ्यान्वेशन के अधिकारी से उच्च स्तर का हो।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में पूर्वाग्रह से संबंधित विभिन्न संदर्भो से संकलित विचार इस निबंध में मैं रख रहा हूँ जिन्हें तथ्यों का संकलन मात्र जानकर अभिरुचि रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विचार योग्य समझा जा सकता है।

**पूर्वाग्रह क्या है?** पूर्वाग्रह न्यायिक/अर्द्धन्यायिक/प्रशासनिक पदाधिकारी (यहाँ जाँच अधिकारी) का विवाद से संबंधित किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव है। इसके परिणामस्वरूप पक्षपात उभरता है। यह पक्षपात विषय-वस्तु एवं तात्कालिक परिस्थितियों को सही ढंग से समझने में बाधा उत्पन्न करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जी. शरण बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय (ए.आई.आर. 1976) में यह व्यवस्था दिया कि अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत - अधिकारी - जो विपरीत पक्षों के बीच किसी विवाद के निर्णय करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं, उसे पूर्वाग्रह अर्थात प्रवर्ती पक्षपात, चेतन अथवा अवचेतन मन से, परिवाद में शामिल किसी एक या दूसरे पक्ष की तरफ झुकाव से रहित होना चाहिए।

दूसरे शब्द में पूर्वाग्रह का मतलब विचारणीय विषय-वस्तु, व्यक्ति या समूह के संदर्भ में चिंतन का एक तरफ झुकाव अर्थात् उचित विकल्प को अनदेखा करते हुए किसी विषय-वस्तु को देखने या समझने का प्रयास है। सामान्यत: पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी एकपक्षीय होते हैं और उनमें तटस्थता का अभाव होता है। पूर्वाग्रह के विभिन्न रूप हैं और इसे बहुधा भूल से पक्षपात का समानार्थी मान लिया जाता है। जबकि पूर्वाग्रह और पक्षपात में सूक्ष्म अंतर है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पूर्वाग्रह का अर्थ है कि संबंधित किसी एक पक्ष की ओर चेतन या अवचेतन मन से प्रवर्ती पक्षपात को दर्शाना। यह निष्पक्षता की अवधारणा के विरुद्ध है जिसका न्यायिक/अर्द्धन्यायिक/प्रशासनिक अधिकारी के कार्य सम्पादन में होना आवश्यक है। पूर्वाग्रह मूलत: विवादग्रस्त मुद्दे के निर्णय पर पहुँचने में गलत ढंग से प्रभाव डालता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी रिकार्ड पर आए साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विचार कर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है।

**पूर्वाग्रह, पक्षपात और दुर्भावना में अंतर:-** सामान्यत: ये शब्द भूल से समानार्थी समझे जाते हैं, परंतु इनमें सूक्ष्म अंतर है। पूर्वाग्रह का मतलब एक या दूसरे पक्ष की तरफ अकारण झुकाव है। यह मन या ध्येय का झुकाव है, अर्थात, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ झुकाव के कारण जाँच अधिकारी तटस्थ नहीं रह पाता है।

**(2) Not be biased.**

(3) Not be a witness in the proceedings.

(4) Not have expressed opinion on merits.

(5) Be sufficiently senior to charged officer.

(6) Be higher in status than one who held fact finding enquiry.

In the light of above mentioned background, I submit my views about bias in the foregoing paras of this article based on facts noted from various texts available on the subject matter which can be considered as collection of ideas relevant for consideration of the interested officials.

**What is Bias?** Bias is an inclination of mind of a judicial/ quasi-judicial/administrative authority (herein Inquiry Officer) in favour of a party or a dispute. As a result partiality emerges. This partiality restrains consideration of an issue or situations. The Supreme Court laid down in case of G. Saran Vs University of Lucknow (AIR 1976) that in case of quasi - judicial proceedings, the authority, empowered to decide the dispute between opposing parties must be one without bias by which is meant an operative prejudice, whether conscious or unconscious, towards one side or the others in dispute.

In other words it may be defined as an inclination of temperaments or outlook to present or hold a partial perspective at the expense of alternatives in reference to objects, people or groups. The authority biased generally is one sided and therefore lacks of a neutral point of view. Bias can come in different forms and may often be confused to be synonyms with prejudice. However prejudice and bias slightly differ.

As stated above bias means an operative prejudice, whether conscious or unconscious, in relation to a party. It is against the doctrine of fair which demands fairness in discharging the functions of a judicial/quasi-judicial/administrative authority. Bias strikes against those factors which may improperly influence the authority in arriving at a decision in the issue at hand. An authority due to bias may fell to apply an independent mind in the light of the evidence on the record to arrive at a fair conclusion.

**Difference among bias, prejudice and malafide: -** These terms are misunderstood as synonyms. But there is a slight difference among them. Bias means unreasonable bent to one side or the other. It is the leaning of mind, i.e. inclination towards some person or objects not leaving the mind indifferent.

जबकि पक्षपात, पूर्व न्याय अर्थात मामले से संबंधित सही तथ्यों से अवगत हुए बिना अपनी राय बना लेना है। यह शब्द जाँच अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी के विचार यथा सामान्य विश्वास, मान्यता, सामाजिक वर्ग, उम्र, योग्यता, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, राष्ट्रीयता, सुंदरता, पेशा या अन्य व्यक्तिगत कारणों से पूर्व मान्यताओं से संबद्ध होने के कारण सामान्यत: लिये जाने वाले प्रतिकूल निर्णय को दर्शाता है। एक व्यक्ति बिना पूर्वाग्रह के भी पक्षपाती हो सकता है।

जबकि दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का मतलब अधिकारी द्वारा अपने लाभ के लिए अवैध कार्य करना है। यही कारण है कि इसे गलत उद्देश्य से अधिकारी के द्वारा अपनी प्रदत्त शक्ति का कपटपूर्ण उपयोग करना कहा जाता है। यह वस्तुत: कानून से प्राप्त अपने अधिकारों का उपयोग निजी उद्देश्य के लिए करना है जो कि कानून में निषिद्ध है।

पूर्वाग्रह दो तरह के होते हैं:-

(क) पूर्वाग्रह का संदेह और

(ख) पूर्वाग्रह की स्पष्ट सम्भावना।

पूर्वाग्रह का संदेह का मतलब है कि रिकार्ड पर उपलब्ध अभिलेख से पूर्वाग्रह के कारण की सम्भावना, जबकि पूर्वाग्रह की स्पष्ट सम्भावना का मतलब है कि रिकार्ड में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर पूर्वाग्रह का स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना।

पूर्वाग्रह के निम्न चार भेद हैं:-

1. व्यक्तिगत पूर्वाग्रह,
2. आर्थिक पूर्वाग्रह,
3. विषय-वस्तु पूर्वाग्रह और
4. विभागीय पूवाग्रह।

1. **व्यक्तिगत पूर्वाग्रह**:- व्यक्तिगत पूर्वाग्रह निर्णय लेने वाले अधिकारी और विवादग्रस्त मुद्‌दे से संबद्ध पक्षों के बीच किसी प्रकार के संबंध के कारण उत्पन्न होता है। इस तरह के समीकरण व्यक्तिगत या व्यावसायिक द्वेषभाव या मित्रता के विभिन्न रूपों के तौर पर विकसित होते हैं। यह व्यक्तिगत वैमनस्यता भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में इसका कारण विवादग्रस्त मुद्‌दे से संबद्ध किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव या दूसरे पक्ष से होने वाला प्रतिकर्षण होने वाला है।

व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से संबद्ध रखनेवाला चर्चित मुकदमा है- खनिज विकास लिमिटेड बनाम बिहार सरकार। खनिज विकास निगम राजा कामाख्या नारायण सिंह के स्वामित्व की एक कंपनी थी। इस कंपनी को बिहार सरकार के द्वारा

Whereas prejudice is pre-judgment or forming an opinion before becoming aware of the relevant facts of the case. The word is often used to refer to pre-conceived views of the official acting as inquiry authority because of their general believes, values, social class, age, disability, region, sexuality, race/ethnicity, language, nation, beauty, occupation or other personal characteristics which may usually result in unfavorable judgment. A man may be prejudiced without being biased.

Whereas malafide means illegal or dishonest behavior in order to gain something for the sake of oneself. It is termed, sometimes, as colourful exercise of power by the authority dealing the proceeding with ulterior motive. It means exercise of statutory power for a purpose which is prohibited in law.

Bias is of two types:-

a) Suspicion of bias and

b) Likelihood of bias.

Suspicion of bias means the probability of reasonable bias which may be inferred from the materials available on the record whereas likelihood of bias means possibility of bias which can be shown from the record to be present.

As stated above, the bias may be of the following kinds:-

(1) Personal bias,

(2) Pecuniary bias,

(3) Subject matter bias and

(4) Departmental bias

**(1) Personal bias: -** Such type of bias arises due to certain relationship between the deciding authority and the parties. Such equation may develop out of varied form of personal or professional hostility or friendship. It may be personal animosity. In other words it may be inclination in favour of one of the parties or repulsion from the other party/parties.

A leading case of personal bias is Mineral Development Limited vs State of Bihar. The Mineral Development Limited was owned by Raja Kamakhya Narayan Singh. The Limited was granted

अबरख के खादान से अबरख निकालने के लिए 3026 गाँवों का 99 वर्ष के लिए पट्टा दिया गया। परंतु बाद में बिहार खजिन अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के राजस्व मंत्री ने 1955 में इस पट्टे को रद्द कर दिया। आवेदक- राजा कामाख्या नारायण सिंह- ने राजस्व मंत्री द्वारा इस पट्टे को रद्द किए जाने कि विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इस मुकदमा का मुख्य आधार व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को बताते हुए निम्नलिखित तथ्य रखे गए:-

(क) खनिज विकास निगम के मालिक राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 1952 के आम चुनाव में राजस्व मंत्री का विरोध किया था।

(ख) कथित मंत्री महोदय ने राजा कामाख्या नारायण सिंह के विरोध में आपराधिक मुकदमा न्यायालय में दायर किया था जिसे दोनो पक्षों के बीच राजनीतिक विरोध के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दिल्ली न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

इस मुकदमे में मंत्री महोदय के पट्टा रद्द करने के निर्णय को गैर कानूनी माना गया क्योंकि निगम के मालिक और संबद्ध मंत्री के बीच व्यक्तिगत शत्रुता सिद्ध हो चुकी थी।

2. **आर्थिक पूर्वाग्रह:-** इस बिंदु पर न्यायिक अभिमत बड़ा ही स्पष्ट है। अधिकारी का वित्तीय हित, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, कार्यवाही को गैर कानूनी बना देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माणिक लाल बनाम प्रेमचंद के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वित्तीय हित, कितना भी महत्वहीन क्यों न हो, किसी व्यक्ति को उस मुद्दे से संबंधित न्याय करने के अयोग्य ठहराता है।
3. **विषय-वस्तु पूर्वाग्रह:-** यदि जाँच अधिकारी सीधे तौर पर कार्य रूप में किसी तथ्य से जुड़ा हो जो बाद में आरोप पत्र का आधार बनता है, तो इसे विषय-वस्तु पूर्वाग्रह की श्रेणी में माना जाएगा। परंतु उस मुद्दे से मात्र जुड़ा होना जाँच की प्रक्रिया को गैर कानूनी नहीं ठहराएगा बशर्ते पूर्वाग्रह की स्पष्ट सम्भावना न दिखती हो।

बतौर उदाहरण, मुरलीधर बनान कदम सिंह के मामले में न्यायालय ने चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय को सिर्फ इस आधार पर कि चुनाव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की पत्नी कांग्रेस पार्टी की सदस्या थीं जिसके उम्मीदवार ने आवेदक को पराजित किया था, रद्द करने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि वैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त वह व्यक्ति जो किसी मुद्दे पर एक बार निर्णय ले लेता है उसे उसी मुद्दे पर अपील की स्थिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रह जाता।

परंतु किसी विषय-वस्तु में अधिकारी का सामान्य अभिरुचि मात्र होने पर उन्हें उस विषय-वस्तु से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अयोग्य नहीं

a lease of 3026 villages for 99 years by the Government of Bihar for the purpose of exploitation of mica. But later on the Minister of Revenue acting under Bihar Mica Act cancelled the license in 1955. The petitioner - Raja Kamakhya Narayan Singh - challenged the action of the cancellation by the Minister of Revenue before the court on the ground of personal bias stating:-

(A) That Raja Kamakhya Narayan Singh, the owner of the Mineral Development Limited, had opposed the Minister in the general election of 1952.

(B) That the Minister filed a criminal case against the petitioner which was transferred by the High Court of the State of Bihar to Delhi on ground of political rivalry between the party.

In the instant case, the act of cancellation order by the Minister became vitiated in law, since the personal rivalry between the owner of the petitioner's company and the Minister concerned was established.

**(2) Pecuniary bias: -** The judicial approach is very clear on this issue. The financial interest of the authority, though may be very small, but will invalidate the proceeding. The Supreme Court in the case of Manek Lal vs Prem Chand pronounced that a pecuniary interest, however, may be an insignificant one, will disqualify a person from acting as a judge.

**(3) Subject matter bias: -** If the Inquiry Officer was involved directly in an action which became the elements of the charge sheet under the inquiry later on, it comes under the subject matter bias. But mere involvement would not vitiate the inquiry unless there is likelihood of bias.

For instance, in the case of Murlidhar vs Kadam Singh, the court refused to quash the decision of the election tribunal on the ground that the wife of the chairman was a member of the Congress party whose candidate defeated the petitioner. That is why subject to statutory provisions the person who once decided a question in an issue should not take part in the process of appeal submitted against the question decided.

But mere general interest in a subject will not be the ground for disqualification of the authority deciding an issue related to the

ठहराया जा सकता। अतः एक दंडाधिकारी जो क्रूरता के विरुद्ध समाज में अपना योगदान देता है उसे घोड़ा के प्रति क्रूर व्यवहार के लिए उस समाज के द्वारा लाए गए विवादित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

4. **विभागीय पूर्वाग्रह:-** यह विषय-वस्तु पूर्वाग्रह का ही एक रूप है। इस तरह का पूर्वाग्रह प्रशासनिक प्रकिया में स्वतः अंतर्निहित होता है और यदि इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाए तो प्रशासन के निष्पक्ष होने का सिद्धांत मखौल बन जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक पदाधिकारी के मस्तिष्क में पहले से मौजूद जानकारी, जो प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से जुड़े होने के कारण मौजूद होती है, इस तरह के पूर्वाग्रह उत्पन्न होने का कारण है। इसी सिद्धांत के आधार पर राज्य यातायात विभाग के सचिव को, जो विभाग के प्रधान होते हैं, उन्हें मोटर सवारी अधिनियम के तहत बनाए गए नियम जो यातायात विभाग के द्वारा बनाया गया है, के तहत निजी मालिकों के आवेदन पर सुनवाई के योग्य नहीं माना जाता है। परंतु यातायात विभाग के प्रभारी मंत्री को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि सचिव विभाग के प्रधान होते हैं जबकि मंत्री विभागीय अधिकारी नहीं माने जाते। मंत्री केवल मंत्री परिषद् के सदस्य होते हैं और मंत्री परिषद् का कार्य राज्यपाल को सलाह देना है।

**पूर्वाग्रह का प्रभाव:-** निष्पक्षता के सिद्धांत में बाधक होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया गया कार्य अवैध है। परंतु मात्र इसी आधार पर पूर्वाग्रह को आधार बनाकर किसी कार्य को अवैध नहीं ठहराया जा सकता बल्कि आर्थिक, व्यक्तिगत या अन्य कारणों से निजी स्वार्थ को साधने के लिए बिना समुचित कारण के लिया गया निर्णय अवश्य पक्षपातपूर्ण प्रदर्शित करता हो। निजी स्वार्थ के कारण पूर्वाग्रह, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत जिसमें अपने ही वाद में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश की भूमिका निभाने से रोकता है, के विस्तृत दायरे में आता है। मानसिक अवस्था के कारण पूर्वाग्रह को कभी-कभी निश्चित रूप से घटित ठहराना असम्भव होता है। इसलिए यह न्यायिक सिद्धांत तय किया गया है कि तथ्यों पर आधारित सम्भावना स्पष्ट होने पर वादी के द्वारा उठाए गए पूर्वाग्रह का आधार किसी प्रक्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त है। यह सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय ने जी.एन. नायक बनाम गोवा विश्वविद्यालय और अन्य में प्रतिपादित किया।

**पूर्वाग्रह के मुद्दे को कब उठाया जाना चाहिए:-** उस पक्ष को जो जाँच अधिकारी के पूर्वाग्रह से भयाक्रांत है, जल्द से जल्द पूर्वाग्रह के मुद्दे को उठाना चाहिए नही तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने इस अधिकार को

subject. Thus a Magistrate who subscribed to the society for the prevention of cruelty will not incur his disqualification for trying a charge brought by that society of cruelty to a horse.

**(4) Departmental bias: -** It is a form of subject-matter bias. It is hidden in the administrative process and, if not checked properly, vitiates the very concept of fairness in the administration. In other words, such a type of bias is aroused out of preconceived notion set in the mind of administrative authority connected to the process since its very initiation.

On the basis of the same principal the secretary of the state transport department as a head of the department is disqualified from hearing of objections of private operators under the Motor vehicles Act at the scheme framed by the transport department as a statutory undertaking created by the Act. But the Minister in-charge of the transport department is not disqualified to hear the same objections on the ground that while the secretary form a part of the department, the Minister does not. A Minister is only a member of council of Ministers which is a body to advice the Governor.

**Effect of Bias: -** Bias being impediment to the doctrine of fair, vitiates an act. But it is not the every kind of bias which in law is taken to vitiate an act. It must be prejudiced which is not founded on reason, and actuated by self interest whether pecuniary or personal or otherwise. Because of this element of personal interest, bias is also seen an extension of the principal of natural justice that no man should be a judge in his own case. Being a state of mind, bias is sometimes impossible to be determined. Therefore the courts have evolved the principle that it is sufficient for a litigant to successfully impugn an action by establishing a reasonable possibility of bias. This opinion is delivered by the Supreme Court in the case of G. N. Nayak vs Goa University and others.

**When the issue of bias be raised:-** The issue of bias should be raised by the party, who felt so, at the earliest, otherwise it would be deemed to have been waived. However it is to be kept in mind that acquiescence, being a principle of equity, must be made applicable where a party knowing all the facts of bias, surrenders to

जान बूझकर छोड़ दिया है। यह बात धयान रखने योग्य है कि न्यायनीति के सिद्धांत के अनुसार जहां पक्षकार जानते हुए भी पूर्वाग्रह के मुद्दे को नहीं उठाता है तो इसे उसकी रजामंदी मानी जाएगी। वस्तुत: रजामंदी का मतलब है कि दूसरे के द्वारा किसी के अधिकार क्षेत्र में वास्तविक अधिकार वाले व्यक्ति की सहमति से प्रवेश। वस्तुत: रजामंदी/छूट किसी मुद्दे के पक्षकार पर ही पूर्वाग्रह के मामले में लागू होता है। छूट का प्रश्न उस व्यक्ति पर नहीं लागू किया जा सकता जो मुद्दे का कोई पक्ष न हो क्योंकि उसे पूर्वाग्रह के मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिलता। यह सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र पाल सिंह भुल्ला व अन्य में प्रतिपादित किया।

**रेल से संबंधित पूर्वाग्रह के कुछ उदाहरण:-** तथ्यों के अन्वेषण में लगाए गए अधिकारी/कर्मचारी को जांच अधिकारी बनाए जाने पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की आशंका बनती है। यही कारण है कि रखाल चंद डे बनाम केंद्र सरकार के मामले में यह व्यवस्था दी गई की आरोपी कर्मचारी की समझ में इस बात की पूरी सम्भावना है कि जाँच अधिकारी जो तथ्यों के अन्वेषण में भी कार्य किए हों, के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की प्रबल सम्भावना बनती है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सजा के आदेश को रद्द कर दिया। पूर्वाग्रह का आधाार यह था कि जांच अधिकारीगण एस.पी.ई. की गाड़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर उस घटना स्थल (जहाँ घूस लेने का आरोप था) तक गए थे जिन्हें जांच प्राधिकारी के समक्ष गवाही देनी थी।

**सारांश:-** आरोपी कर्मचारी को जैसे ही जाँच अधिकारी के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की आशंका हो वैसे ही तत्काल सभी तथ्यों को जिनके आधार पर पूर्वाग्रह की सम्भावना बनती हो का वर्णन करते हुए आवेदन देना चाहिए। अन्यथा, भविष्य में उनके इस अधिकार को समाप्त माना जाएगा। जाँच अधिकारी के विरुद्ध पूर्वाग्रह का आरोप लगने का आवेदन आते ही कार्यवाही को स्थगित करते हुए संबद्ध संचिका को रेल सेवा नियम 1968 के नियम 25 में वर्णित पुनरीक्षा अधिकारी को विचारार्थ एवं तत्पश्चात आवश्यक निर्णय देने के लिए भेज देना चाहिए। सक्षम पुनरीक्षा अधिकारी को मनोनीत जाँच अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोप को आरोपी कर्मचारी द्वारा रखे गए तथ्यों के आलोक में विचार करना चाहिए और तत्पश्चात जैसा उचित समझें वैसा निर्णय शीघ्रताशीघ्र दे देना चाहिए।

the authority of the court/quasi judicial authority without raising any objection. Acquiescence, in fact, is sitting by when another is invading the rights. Needles to say that acquiescence/question of waiver would arise in a case provided the person apprehending the bias/ prejudice is a party to the issue. The question of waiver would not arise against a person who is not a party to the case. As such the person has no opportunity to raise the issue of bias. The above principle has been taken from the Supreme Court decision in the case State of Punjab vs Devendra Pal Singh Bhulla and others.

**Some examples of bias relevant in the Railway:-** Appointment of an officer connected with the fact finding inquiry as an Inquiry Officer gives rise to the apprehension of bias. It is held in the case of Rakhal Chand Dey vs Union of India that there was ample chance and scope or likelihood of reasonable apprehension in the mind of the Charged Official that there was a likelihood of bias working in the mind of Inquiry Officer who conducted the preliminary inquiry.

Madras High Court quashed the punishment order passed by the competent disciplinary authority on the grounds that the inquiry authority was biased. The plea of bias was based on the fact that the inquiry authorities, in course of a visit to the site of the accident (of alleged acceptance of illegal gratification) travelled a long distance by the jeep of SPE in the company of the Police officials who were to depose before the inquiry authority.

**Summary: -** The Charged Official should as soon as submit his application of bias stating details of the ground on which he infers apprehension of bias from the Inquiry Officer. Otherwise, the right may be understood to be waived in future. After getting such an application of bias against the Inquiry Officer, the Inquiry Officer should stay the proceeding and refer the file for consideration and pass order thereon by the revising authority mentioned under rule 25 of the Railway Servants (D&A) rules 1968. The competent revising authority should consider the allegation of bias against the nominated Inquiry Officer based on the facts submitted by the Charged Official and pass order thereon as he thinks fit so at the earliest possible.

# भ्रष्टाचार

**- के.एन. सहाय**
मुसतानि/यातायात

भारत एक विकासशील देश है। 15 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, साहित्यिक इत्यादि अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है परन्तु सरकार द्वारा इन पंचवर्षीय योजनाओं पर लगाई गयी पूँजी का पूर्णरूपेण लाभ जन साधारण तक न पहुँचकर कुछ खास लोगों की जेबों में रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट जैसी सामाजिक कुरीतियों द्वारा जा रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहें कि भ्रष्टाचार का प्रसार कैंसर की भाँति हो रहा है तथा यह समाज का महत्वपूर्ण अवयव बन चुका है तो अतिशयोक्ति न होगी।

आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचाररूपी दानव समाज में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे खाने को आतुर है। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट + आचार शब्दों के योग से बना है। भ्रष्ट का अर्थ है- निकृष्ट श्रेणी की विचारधारा और आचार का अर्थ है- आचरण। मनुष्य भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर अनुचित रूप से दिन-रात अंधाधुंध पैसा बटोर रहा है। भ्रष्टाचाररूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएँ नीचे की ओर बढ़ती हैं, अर्थात इसकी जड़ें नेताओ में और सरकारी तंत्र में वरिष्ठ अफसरों में है, जिसकी शाखाएँ नीचे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हैं। आज लोभ में अंधा मनुष्य भ्रष्टाचार में वशीभूत होकर लोगों का रक्त चूस रहा है। मनुष्य की श्रेष्ठता को धन से आँका जाता है उसके कर्म से नहीं। जिस मनुष्य के पास जितना ही अधिक धन होता है उसका मान-सम्मान समाज में उतना ही अधिक होता है और ठीक इसके विपरीत जिसके पास धन नही वह चाहे कितना भी बुद्धिमान, ईमानदार और कर्मठ क्यों न हो, समाज में उसे कोई नही पूछता।

भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि, जो प्रथम जनगणना के अनुसार लगभग 30 करोड़ थी जो आज सौ करोड़ से भी अधिक हो गई है। साधन यदि सीमित हो और उसका उपयोग करने वाले लोग अधिक हो तो महंगाई एवं भ्रष्टाचार बढ़ता है। व्यवसायी वर्ग वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए जमाखोरी तथा कालाबाजारी करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। निर्धन वर्ग को रोजगार मिल नही रहे, वह जीवन यापन और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट साधनों को अपनाता है।

भ्रष्टाचारी आज अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरे की गर्दन पर छूरी फेरने को तैयार है, चाहे उसकी भावना से आदर्शवादिता का गला ही क्यों न घुट जाए। आज हमारे दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में शुद्धता तो जैसे गायब हो गई है और मिलावट ने उसका स्थान ले लिया है। दूध, तेल, मसाले तथा अन्य खाद्य पदार्थ एवं दवाइयाँ तक इतनी मिलावटी हो गई हैं कि लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कमजोरी का शिकार हो रहे हैं।

भ्रष्टाचार सबसे अधिक राजनीति तथा लोक सेवाओं में व्याप्त है और हमारा भारतीय रेल भी इससे अछूता नहीं है। आज विज्ञान के युग में भौतिक साधनों को जुटाने के लिए मनुष्य हर तरह से भ्रष्ट तरीकों को अपनाकर धनोपार्जन कर रहा है। झूठी मान-मर्यादा, फैशन-परस्ती के चक्कर में प्रत्येक मनुष्य अपने घर को आधुनिकतम बनाना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके पास बँगला, फ्रिज, टी.वी., कम्प्यूटर और शानों-शौकत के अन्य उपकरण हों, भले ही उसे अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी और विवेक की बलि चढ़ाकर धन इकट्ठा करना पड़े।

अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें अपने संगठन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा। भ्रष्टाचार एक प्राकृतिक उत्कृष्टि नहीं है और न ही इसे नैसर्गिक वरदान प्राप्त है। ईमानदारी और सच्चाई उस धागे का स्वरूप है जो मूल्य आधारित समाज की बनावट की नींव का कार्य करते है। एक आदर्श कार्य वातावरण एवं कार्यप्रणाली के बेहतर विकास के लिए जाँच एवं निरूपण अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर की गई जाँचों में मालभाड़े और पार्सल के अत्यधिक कम तौल के मामले पकड़े गए हैं जिससे स्पष्ट है कि सभी को अत्यंत सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है।

सतर्कता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संघटक है। संगठन के विभिन्न कर्मियों की गतिविधियों के बारे में सतर्क एवं जागरूक रहना, स्वस्थ गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा भ्रष्ट गतिविधियों की रोकथाम करना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्णय लेने में देरी और अपारदर्शिता ऐसे दो मूल अवयव है जो किसी भी संगठन में भ्रष्टाचार का प्रसार करते हैं। अपने संगठन से भ्रष्टाचार रूपी रुग्णता को जड़ से मिटाने के लिए हमें अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ानी होगी।

**काश कभी ऐसा दिन आए,**
**रेलवे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए।**
**यदि ऐसा हम कर दिखलाएँ,**
**स्वर्ण पटरियाँ यहाँ बिछ जाए ।।**

## यातायात

- **अरविंद कुमार, के.एन.सहाय,** मुसतानि/यातायात
- **एस.एस.भी.प्रसाद, एस.के.सिन्हा,** मुसतानि/यातायात
- **अभय कुमार, संतोष कुमार,** मुसतानि/यातायात
- **सतीश कुमार, पंकज नयन,** मुसतानि/यातायात
- **एस.पी.पोद्दार,** मुसतानि/यातायात

### 1. जाँच क्रम में स्टेशन रोकड़ सम्प्रेषण एवं आरक्षण काउन्टर में पाई गई अनियमितता :-

सतर्कता दल पूर्व मध्य रेल द्वारा एक स्टेशन पर वाणिज्य पर्यवेक्षक कार्यालय एवं आरक्षण काउन्टर का स्टेशन रोकड़ की निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि स्टेशन रोकड़ एक स्टेशन का 15.02.2016 तक का मंडल रोकड़ कार्यालय भेजा जा चुका था। दैनिक रोकड़ सह सारांश पुस्तिका के अनुसार 16.02.2016, 17.02.2016 (बुकिंग काउन्टर तथा आरक्षण काउन्टर के सभी पाली) तथा 18.02.2016 (बुकिंग काउन्टर के प्रथम पाली) का कुल सरकारी धन रु.180059/- था। जब वाणिज्य पर्यवेक्षक को सरकारी धन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो वाणिज्य पर्यवेक्षक ने 1.8 लाख के स्थान पर 1.14 लाख प्रस्तुत किया, इस प्रकार स्टेशन के सरकारी धन में रु. 65000/- की कमी पाई गई जिसके लिए वाणिज्य पर्यवेक्षक को जिम्मेवार पाया गया। बाद में अनुसंधान के क्रम में यह भी पाया गया कि वाणिज्य पर्यवेक्षक द्वारा नियमित रूप से एक से दो दिन का सरकारी धन को टी.सी. सेफ के संचालन के बावजूद रोककर रखा पाया गया था। इस प्रकार वाणिज्य पर्यवेक्षक द्वारा लम्बे समय तक सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा था।

आरक्षण काउन्टर के जाँच में सरकारी धन में भारी कमी पायी गयी, जाँच के दौरान आरक्षण लिपिक द्वारा सरकारी धन के रूप में रु.7610/- प्रस्तुत किया गया, जबकि डी.टी.सी.एस. के अनुसार सरकारी धन 27575/- रुपया होता था, इस प्रकार सरकारी धन में लगभग रु. 20000/- की बड़ी कमी पायी गयी। जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त दोनों कर्मचारी संवेदनशील पद पर पिछले 10 वर्षों से एक ही स्टेशन पर कार्यरत थे जो

## CASE STUDIES

# TRAFFIC

**Arvind Kumar, K.N.Sahay,** CVI/Traffic
**S.S.V.Prasad, S.K.Sinha,** CVI/Traffic
**Abhay Kumar, Santosh Kumar,** CVI/Traffic
**Satish Kumar, Pankaj Nayan,** CVI/Traffic
**S.P.Poddar,** CVI/Traffic

## I. Irregularities in cash remittance and PRS detected during station check.

A preventive check was conducted by vigilance team of ECR at Commercial Supervisor/Office at a station to check the PRS counter and the remittance of station cash. During check it was detected that station cash station uptil date 15.02.16 was sent to divisional cash office on 17.02.16. Total govt. cash as per DTCS (UTS and PRS) of 16.02.16, 17.02.16 (All shift of UTS & PRS) and 18.02.16 (1st shift of UTS) was Rs. 180059/- When asked to produce the said govt. cash, Commercial Supervisor concerned produced Rs. 1.14 lcs against Rs. 1.8 lcs i.e. Rs. 65 thousand detected short in the govt. cash for which he was found responsible. Further investigation revealed that concerned supervisor was in a regular practice holding one/two station cash despite TC safe movement indicating his long term misappropriation of govt. revenue. Further PRS of station was also checked wherein heavy short remittance was found.

During the check, on duty ECRC produced Rs. 7610/- against his DTCS amount of Rs. 27575/-. Thus, huge shortage of around Rs. 20000/- found in his govt. cash. It was also detected that the concerned both these staff were working at their sensitive posts since last 10 years which was a violation of RB 2 of 2009. Division has been advised to put both staff

RBV-No.2 2009 का उल्लंघन है। इसके लिए मंडल कार्यालय को दोनों कर्मचारी को निलम्बन तथा दीर्घदण्ड के साथ-साथ स्थानान्तरण हेतु अनुशंसा की गई।

## 2. पीआरएस टिकट की वापसी हेतु नकली टिकट कागज का उपयोग :

सतर्कता दल/पूमरे/हाजीपुर द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक प्राथमिकी नकली टिकट कागज का उपयोग कर जालसाजी द्वारा पीआरएस टिकट के वापसी से संबंधित मामला दर्ज करायी गयी जो परिवादी यात्री के प्रारंभिक जाँच के दौरान प्रकाश में आया। यह भी प्रकाश में आया कि 20 आरक्षित टिकट को गलत तरीके से एक स्थान पर निरस्त कराया गया जिससे रेलवे को रु. 1.35 लाख का घाटा हुआ। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस प्रकरण का भंडाफोड़ किया गया जिसमें दो व्यक्ति ट्रेवल एजेन्सी से ताल्लुक रखते थे, एवं व्यक्ति जो नकली कागज पर टिकट को छापते थे (सभी तीन निजी व्यक्तियों) और एक आरक्षण कर्मचारी, दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा उपयोग हेतु संबंधित डाटा को उपलब्ध कराया जाता था। इन चारों अभियुक्तों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमे की कार्यवाही की है। इसके अलावा आरक्षण लिपिकों को जो नकली कागज टिकट की वापसी की थी के लिए अनुशासन एवं अपील नियम के तहत् कार्रवाई हेतु रेलवे को अनुशंसा किया।

जैसा कि जाँच में प्रकाश में आया कि 20 नकली टिकट का निरस्तीकरण धड़ल्ले से एक स्थान पर दिनांक 27.01.2015 से 08.02. 2015 के दौरान मेसर्स एबीसी के प्रतिनिधि 'क' के द्वारा किया गया। सभी निरस्त टिकट जो राजधानी ट्रेन के यात्रा हेतु नई दिल्ली, गुवाहटी और मुम्बई जाने के लिए जो वास्तविक आरक्षण दो माह पूर्व समूह बुकिंग कराया गया था। कुल 20 टिकटों का मूल्य रु. 2,78,205/- था और नकली टिकट को कपटपूर्ण तरीके से निरस्त कराया जिसका कुल मूल्य रु. 1,36,940/- था। श्री 'ख' ने निरस्तीकरण के लिए श्री 'क' से नकली टिकट प्राप्त किया। इस जालसाजी के पीछे मुंबई के एक ट्रेवल एजेन्ट और उसके भाई बोकारो के श्री 'ग' योजनाकार थे। श्री 'ग' रेलवे के नकली टिकटों का उपयोग निजी व्यक्ति के सहयोग से छपवा कर करता था और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने निजी तलाशी के दौरान दो नकली टिकट प्राप्त किया गया और उसने स्वीकार किया कि ट्रेवेल एजेन्सी के द्वारा नकली टिकट को छापने हेतु उसे प्रति टिकट रु. 500-700 प्राप्त होता था। जाँच के क्रम में प्रकाश में आया

under suspension and Major penalty proceeding has been recommended against them along with their transfer.

## II. Refund of PRS ticket on fake stationery.

An FIR was lodged with CBI/RNC by Vigilance of E.C.Railway against fraud committed in refund of PRS tickets on fake stationery which was detected during preliminary check of a passenger complaint. It was observed that the 20 PRS tickets were cancelled at a location causing wrongful loss of Rs. 1.35 lacs to Railway. CBI could crack the racket which involved 2 persons from travel agencies, another person who used to print tickets on fake stationery (all three private individuals) & one Reservation staff/S.E. Railway who used to provide required data from Railway record. CBI is prosecuting all the above 4 persons in the case. They have further recommended Railway to take up ECRCs under DAR for refunding tickets on fake stationery.

As revealed in investigation, 20 fake tickets were fraudulently got cancelled at a PRS location by Shri X of M/s ABC Tour and Travels during the period 27.01.15 to 08.02.15. All the tickets cancelled pertained to group bookings in Rajdhani Trains for journey to New Delhi, Guwahati and Mumbai in which the genuine reservations were made almost 2 months prior to the journey date. The total value of the 20 tickets was Rs. 2,78,205/- and the amount of money defrauded on account of the cancellation of the fake tickets was Rs. 1,36,940/-. Shri X had obtained the fake tickets for cancellation from Shri Y, a Travel Agent in Mumbai and his brother Shri Z of Bokaro, who was the mastermind behind the fraud. Shri Z used to get the blank Railway tickets printed through a private person & during the personal search of person two fake tickets were recovered by the CBI team and he admitted having printed these fake tickets for which he received Rs. 500-700/- per ticket from the travel agent. Investigation further revealed that the information regarding the PNR number, passenger details and the other information required to be printed on the fake tickets used to

कि श्री 'ग' को नकली टिकट छापने के वास्ते पीएनआर नम्बर, यात्री विवरण और अन्य सूचनाएँ आरक्षण लिपिक, दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा सम्बद्ध समय के अन्तर्गत पहुँचायी जाती थी। श्री 'ग' को नकली टिकट (जेसीआरटी) को छापने से संबंधित सभी सूचनाएँ देने के लिए आरक्षण लिपिक को रु. 1000-1500 प्रति टिकट प्राप्त होता था।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जाँच के आधार पर पूर्व मध्य रेलवे ने संबंधित 4 आरक्षण लिपिकों को दीर्घ दण्ड साथ ही साथ उनके स्थानान्तरण एवं गलत तरीके से वापसी की गई राशि की कटौती उनके वेतन से करने की अनुशंसा की है।

## 3. अतिरिक्त वसूली के मामले

### क ) पार्सल कार्यालय में पार्सलों की बुकिंग एवं सुपूर्दगी के दौरान अतिरिक्त रूपये की अवैध माँग :-

पार्सल कार्यालय में पार्सलों की सुपूर्दगी के दौरान अतिरिक्त रुपये की अवैध माँग की स्रोत सूचना के आधार पर एक विभागीय जाँच की गई। जाँच के दौरान संबंधित पार्सल कार्यालय में कार्यरत मार्कामैन द्वारा पार्सल की सुपूर्दगी के समय रु. 40/- अवैध रूप से माँगे एवं स्वीकार किये गये। उपरोक्त मार्कामैन द्वारा निजी धन की घोषणा भी नहीं की गई थी जबकि जाँच के समय उनके द्वारा निजी धन के रूप में रु. 170/- प्रस्तुत किए गए। विभागीय जाँच में व्यवहृत पार्सल पैकेज छद्म यात्री द्वारा पूर्व में ही एक अन्यत्र स्टेशन के पार्सल कार्यालय से बुक की गई थी। पार्सल की बुकिंग के दौरान छद्म यात्री को रु. 205/- की अतिरिक्त राशि कार्यरत मार्कामैन द्वारा माँगे जाने पर देनी पड़ी थी जिसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्षी के द्वारा भी की गई। पार्सल रवन्ना बिल रु. 195/- का जारी पाया गया जबकि कार्यरत मार्कामैन द्वारा छद्म यात्री से रु. 400/- माँगे एवं लिए गए। पार्सल रवन्ना बिल उसके बाद ही छद्म यात्री को मार्कामैन द्वारा सुपूर्द किया गया। पार्सल सुपूर्दगी स्टेशन पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित किया गया तथा बाद में दोनों स्टेशनो के उत्तरदायी कर्मचारियों को इस अनियमितता के लिए दीर्घ शास्ति के तहत अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई।

### ख ) प्राइवेट एजेंट के द्वारा उसके निजी आई.डी पर आरक्षित टिकट जारी करने पर :-

स्रोत सूचना के आधार पर, सतर्कता जाँच रेल सुरक्षा बल के साथ प्राइवेट टिकट बुकिंग एजेंट पर की गई। सूचना के अनुसार एजेंट द्वारा उसके अपने

be obtained by Shri Z from Reservation staff, South Eastern Railway at the relevant time and had access to these information. For passing on the information to Shri Z for printing for the fake JCRTs, the staff used to take Rs. 1000/- to Rs. 1500/- per ticket from him.

Based on the report from CBI, E.C. Railway has recommended to take up the 4 responsible ECRCs under SF-5 along with their transfer & recovery of wrongly refunded amount from their salaries.

## III. Cases of excess realization

### a. At Parcel office:-

Based on source information, decoy check was planned at Parcel booking & delivery points to detect malpractice in the same. Decoy check was conducted at Parcel Office on during which on duty markaman demanded and accepted Rs. 40/- as illegal money during delivery of consignment. The same markaman was also found not having declared his private cash but he produced Rs. 170/- as his private cash during check. Parcel packages which were used in decoy check had been booked earlier by the decoy passenger ex parcel office of different station. During booking the decoy had to pay Rs. 205/- extra amount to the markaman/DHN parcel Office which was also corroborated by independent witness. PW Bill was issued for Rs. 195/- as freight but Rs. 400/- was taken by the concerned markaman. After receiving the amount PW Bill was handed by the markaman to decoy passenger. Staff at Parcel delivery was placed under suspension and responsible staffs are being taken up under Major Penalty.

### b. For Booking reserved tickets on personal ID by a private agent:-

Based on source information, A vigilance check was conducted along with RPF personnel on a private ticket booking agent in

आईडी पर ई-टिकट बनाकर बेचा जाता था और उससे अवैध धन की उगाही उसके द्वारा की जाती थी। निर्देशानुसार छद्म यात्री उस एजेंट के पास गया और गाड़ी संख्या 12393/12401 के स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट पटना से नई दिल्ली हेतु कन्फर्म आरक्षित टिकट जारी करने को कहा। बुकिंग एजेंट ने गाड़ी संख्या 12401 के लिए छद्म यात्री को कन्फर्म टिकट हेतु आश्वस्त किया। कन्फर्म टिकट के एवज में एजेंट ने रु. 2400/- की मांग की और स्वीकार किया और उसने S-6 में बर्थ संख्या 10 एवं 11 का टिकट जारी किए, जिस पर कुल किराया रु. 1273/- ही अंकित था। जैसे ही लेन-देन पुरा हुआ सतर्कता दल ने छद्म यात्री से सम्पर्क किया उसने गाड़ी संख्या 12401 का ई-टिकट प्रस्तुत किया, छद्म यात्री द्वारा दिया गया रु. 2400/- बुकिंग एजेंट से पाया गया। उसके अलावा 33 प्रिंटेड ईआरएस भी पूर्व की तिथि का बरामद हुआ जो कि उसके निजी आईडी पर जारी किया गया था। वह दूसरे निजी आईडी पर भी ई-टिकट जारी करते हुए पाया गया, जाँच के आधार पर केश को रेलवे की धारा-143 के अन्तर्गत उस बुकिंग एजेंट के विरुद्ध दर्ज किया गया और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा उसे आगे भी कार्यवाही हेतु हिरासत में लिया गया।

**ग) कैटरिंग स्टॉल पर :-**

प्राप्त जानकारी के आधार पर, एक मुख्य स्टेशन पर स्थित निजी खान-पान स्टॉल पर शाकाहारी बिरयानी पैकेट की बिक्री में निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की जाती है। जाँच के क्रम में यह पाया गया कि इस महत्वपूर्ण स्टेशन पर निजी खान-पान स्टॉल के विक्रेता ने 02 पैकेट शाकाहारी बिरयानी का मूल्य रु. 100/- माँगा एवं लिया जबकि दो पैकेट शाकाहारी बिरयानी का मूल्य रु. 84/- था (ठेका पत्र में अनुमोदित मूल्यसूची के अनुसार एक पैकेट शाकाहारी बिरयानी का मूल्य रु. 42/- अंकित पाया गया)। इस प्रकार विक्रेता ने प्रति पैकेट बिरयानी की खरीद पर रु. 8/- अधिक वसूल की। यह पूरी घटना एक छद्म यात्री के साथ घटी, स्वतंत्र साक्षी द्वारा देखी गई एवं प्रयुक्त छद्म राशि विक्रेता के अधिकृत स्टॉल काउन्टर से बरामद की गई। साथ ही साथ स्टॉल विक्रेता एवं उसके प्रबंधक दोनों बिना पहचान-पत्र के कार्य करते हुए पाये गए। खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक वसूली किये जाने के कारण संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कारवाई की अनुशंसा की गई है।

city area. As per information, agent was indulging in malpractices and earned illegal money by means of selling reserved rail E-tickets issued on personal ID. As per instruction, decoy passenger approached the agent and asked for issuing confirmed tickets for NDLS ex PNBE in sleeper class during TATKAL hours in train 12393/12401. Booking agent assured that he would arrange confirm ticket in Train no. 12401. For this he demanded and accepted Rs. 2400/- from decoy passenger and generated confirm ticket in S/6 - 10, 11 of actual value of Rs. 1273/-. As soon as the transaction was completed vigilance team contacted the decoy passenger who produced E-ticket of Train no. 12401. Further, the decoy cash of Rs. 2400/- was recovered from the agent along with 33 printed ERS of previous data were also found which was generated on his personal ID. He was also found using different personal IDs for generation of e-ticket. On the basis of check, case was registered under section 143 Railway act against the said booking agent and he was placed under RPF custody for further legal action.

**c. At catering stalls:-**

Source information was received regarding excess realization of money against the prescribed rate for sale of veg biryani packet at a private catering stall at major station. In course of check, it was found that the vendor of private stall at major station demanded and accepted Rs. 100/- as price for 02 packets of Veg biryani against the prescribed rate of Rs. 84 for 2 packet (Rs42/- per pack as laid down in the rate list approved in the agreement of the contract paper). Thus he charged Rs. 8/- excess in each packet of biryani sold. The same was witnessed by decoy & independent witness and decoy cash recovered from the authorized stall vendor. Both the stall vendor and the manager were found working without due ID of the contractor as well. Stringent action is being recommended against the contractor for overcharging of price of edible items.

**घ) बुकिंग काउन्टर पर :-**

प्राप्त स्रोत सूचना के आधार पर बुकिंग काउन्टर पर एक छद्म (डिकॉय) जाँच की गई। जाँच में यह पाया गया कि कार्यरत वाणिज्य लिपिक ने तीन टिकट द्वितीय श्रेणी/मेल एक्सप्रेस सुपर फास्ट आनन्द विहार स्टेशन के लिए वास्तविक किराया रु. 855/- की जगह रु. 900/- मांगा एवं स्वीकार किया, अर्थात् रु. 245/- अतिरिक्त तीन टिकटों के खरीद में उसने मांगा एवं स्वीकार किया। उक्त छद्म राशि उसके काउन्टर से बरामद की गई। जाँच के क्रम में आगे उसके सरकारी धन में कुल रु. 4571/- की भी कमी पायी गयी। कर्मचारी पर दीर्घ दण्ड की कार्रवाई की जा रही है।

**ङ) जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक काउन्टर पर :-**

सूचना स्रोत के आधार पर सतर्कता दल पूर्व मध्य रेल द्वारा एक प्रमुख स्टेशन के निकट स्थित जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक काउन्टर पर छद्म जाँच का आयोजन किया गया। जाँच के दौरान जे.टी.बी.एस काउन्टर कर्मचारी ने जयपुर स्टेशन के लिए द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस के तीन टिकट हेतु कुल रु. 870/- माँगा एवं स्वीकार किया जबकि उक्त एक टिकट का किराया रु.281/- (रु. 280/- + 1) अंकित था। इस प्रकार प्रति टिकट रु. 9/- अतिरिक्त के दर से कुल रु. 27/- अधिक प्राप्त किया गया जो कि जाँच के दौरान जे.टी.बी.एस के काउंटर से बरामद हुआ। जे.टी.बी.एस कर्मचारी ने अपने बयान में अतिरिक्त उगाही को स्वीकार भी किया। जाँच के दौरान काउन्टर कर्मचारी ने कोई पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जे.टी.बी.एस ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

**च) पार्किंग स्टैण्ड पर :-**

विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि एक स्टेशन पर रेलवे कान्ट्रैक्टर के अंतर्गत चल रहे पार्किंग स्टैण्ड पर मोटर साईकिल/स्कूटर रखने वाले यात्रियों से रेल द्वारा निर्धारित दर से एक नियत समय के लिए अधिक शुल्क कान्ट्रैक्टर द्वारा वसूला जा रहा है। इसकी सत्यता की जाँच की गई। छद्म जाँच में यह पाया गया कि ठेकेदार के प्रतिनिधि ने छद्म यात्री से 12 घंटे की अवधि के लिए स्टैण्ड पर रखे मोटर साईकिल के लिए करार में निर्धारित शुल्क रु. 05/- की जगह रु. 10/- की मांग की एवं स्वीकार भी किया।

**d. At Booking Counter:-**

A decoy check was conducted at a booking counter on source information. During check, it was detected that Commercial clerk on duty demanded & accepted Rs. 900/- for three tickets of 2nd Mail/Express superfast of ANVT against the actual fare of Rs. 855/- i.e. he demanded & accepted Rs. 45/- excess on three tickets for his personal gain. The decoy cash was recovered from his counter. Further during check Rs. 4571/- was also found short in his overall govt. cash.

**e. At JTBS Counter:-**

On the basis of source information, a decoy check was conducted at JTBS counter, located near a station. In the check, the staff working at JTBS counter demanded and accepted Rs. 870/- for three tickets for Jaipur against printed fare of Rs. 280/- + Rs. 1/- each i.e Rs. 843/-. Thus, he demanded and accepted an excess of Rs. 9/- each on three tickets i.e. Rs. 27/- for three tickets and the same was recovered from his counter cash. Excess realization was accepted by the JTBS staff in his confrontation statement taken at site. During the check, no any ID or authorization letter from JTBS agent was produced by the counter staff regarding manning the counter. Division has been advised for strict action against the JTBS contractor as per contractual provisions.

**f. At Parking Stand:-**

Source information was received regarding excess money being realized against the prescribed rate as parking charge by the contractor form the passengers offering their vehicle to park at a station parking stand running under Railway contract. In course of the check it was found that the representative of the contractor demanded and accepted Rs.10/- as parking charge for a motorcycle for 12 hrs duration against the prescribed rate of Rs.5/- as laid down in the agreement of the

छद्‌म जांच में प्रयुक्त धनराशि प्रतिनियुक्त स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य में बरामद किया गया। उक्त कान्ट्रैक्टर के विरुद्ध पार्किंग शुल्क के रूप में नियमित रूप से अतिरिक्त वसूली का मामला पाये जाने के कारण कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

## 4. आरक्षित टिकट काउन्टर पर जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताएँ:-

क) एक स्टेशन पर तत्काल आरक्षण टिकटों के समय किये गये एक निवारक जाँच के दौरान दो अवितरित तत्काल आरक्षण टिकट कार्यरत आरक्षण लिपिक के पास से बरामद हुआ जिसका पूरा किराया रु. 7680/- जाँच के समय बकाया था। उक्त टिकटों को उनके दावेदार सत्यापित यात्रियों को सौंपने तथा बकाया किराया की राशि की वसूली के उपरांत भी उक्त कर्मचारी के सरकारी धन में अंतिम रूप से रु. 1255/- की कमी पायी गई। इन अनियमितताओं के साथ-साथ उक्त कर्मचारी द्वारा एक आरक्षण पर्ची जिसके विरुद्ध एक तत्काल यात्रा टिकट बनाया गया था, कम प्रस्तुत किया गया।

ख) एक प्रमुख स्टेशन पर स्थित आरक्षण कार्यालय में सतर्कता दल/पूमरे द्वारा एक निवारक जाँच का आयोजन किया गया। यह जाँच शयनयान श्रेणी के तत्काल टिकट बुकिंग की अवधि करीब 11:05 बजे की गई। इस जाँच में कार्यरत आरक्षण सह पूछताछ लिपिक के काउन्टर पर तत्काल संबंधित शयनयान श्रेणी के 03 अवितरित टिकट पाये गए। उक्त लिपिक को अपना निजी धन एवं सरकारी धन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रारंभ में सरकारी धन में कुल रु. 3380/- की कमी पायी गयी। बाद में कथित तीनों टिकटों के दावेदार सतर्कता दल के समक्ष पहुंचे। सतर्कता दल एवं मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक की उपस्थिति में उन तीनों टिकट दावेदारों का यथार्थ सत्यापन किया गया। तदुपरांत उक्त 03 टिकटों का देय किराया भुगतान होने एवं तीनों दावेदारों का बयान लेते हुए आरक्षण सह पूछताछ लिपिक द्वारा उन्हें टिकट हस्तगत किया गया। लेन-देन प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी सरकारी धन में रू0 50/- की अधिकता पाई गई जिसे विविध धन में जमा कराया गया।

## 5. गाड़ियों की जाँच के दौरान पाई गई अनियमितता:-

क) सतर्कता दल/पूमरे के द्वारा दो स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 12365 के डी/3 कोच में एक निवारक जाँच का आयोजन किया गया। इस जाँच के दौरान गंभीर अनियमितता प्रकाश में आई। उक्त कोच संचालक के सरकारी धन

contract paper.The same was witnessed by decoy & independent witness and cash recovered by the vigilance team. Strict action is recommended against the contractor for regular overcharging of parking fee.

## IV. Lapses detected during PRS checks.

a. In a preventive check conducted at PRS at 10.05 hrs during Tatkal booking time, two Tatkal JCRTs were found undelivered lying in possession of on duty ECRC for which the entire amount of Rs. 7680/- was due at the time of check. Rs. 1255/- was finally detected short in his produced govt. cash after handing over of JCRTs to authorised passengers. Along with the above mentioned irregularities, he also failed to produce one dealt requisition against which a Tatkal JCRT was generated.

b. A preventive check was conducted Vigilance team/ECR at a Reservation office of a major station. It was conducted at the time of Tatkal of Sleeper i.e. at about 11.05 hrs. During check, 03 undelivered JCRTs of sleeper class Tatkal were found at the counter of on duty ECRC. The ECRC on duty was instructed to produce his personal cash as well as his govt. cash. It was detected that there was initial shortage of Rs. 3380/- in his govt. cash. Later claimant of the said JCRTs appeared before Vigilance team. After genuine verification and realization of the due fare of those 3 JCRTs, a statement of those three claimants were taken and the tickets were handed over by ECRC on duty in presence of CRS concerned & Vigilance team/ECR. There was excess of Rs. 50/- found in govt. cash even after completion of transaction which was deposited in sundry earning.

## V. Cases of irregularity in Train Checks.

a. A preventive check was conducted by Vigilance team/ECR in D/3 coach of train no. 12365 between two pair of stations. Serious irregularities were detected during check. An amount

में रु. 500/- धनराशि अधिक पायी गई जिसे विविध धन में जमा कराया गया। जाँच के दौरान यात्रा करते पाये गए 11 यात्रियों से सतर्कता के आदेश पर देयराशि वसूल कर उन्हें डी/3 कोच में रिक्त सीटों का आवंटन किया गया।

ख) दो स्टेशनों के बीच एक निवारक जांच गाड़ी संख्या 12203 में की गई जिसमें कोच संख्या जी. 06 में पांच यात्रियों का समूह द्वितीय श्रेणी मेल/एक्स. सुपर फास्ट अनारक्षित टिकट पर यात्रा करते हुए पाए गए। उक्त यात्रियों से रु. 2700/- का दण्ड प्रभार के रूप में दूसरे चल टिकट निरीक्षक की मदद से वसूला गया। संबंधित कोच के चल टिकट निरीक्षक ने जांच के दौरान गाड़ी के शौचालय में स्वयं को बंद कर लिया था एवं तब तक बाहर नहीं आया जब तक उक्त यात्री का गंतव्य स्टेशन नहीं आ गया।

ग) गाड़ी संख्या 13226 के कोच सं. सी-1 में पूर्व मध्य रेल द्वारा संचालित एक निवारक जाँच के दौरान 05 अनियमित यात्री द्वितीय श्रेणी में एक्सप्रेस का टिकट लेकर वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करते पाये गये। उक्त यात्रियों को सतर्कता दल के निर्देशानुसार सीट आवंटित किया गया तथा रेलवे बकाया के रूप में रु.1375/- की वसूली की गई। संबंधित चेकिंग कर्मचारी उक्त अनियमित यात्रियों की पहचान करने तथा उनसे नियमानुसार प्रभार वसूलने में असफल रहे।

## 6. अनारक्षित टिकट काउन्टर जाँच में पाई गई अनियमितता :

क) सर्तकता दल तथा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा संयुक्त निवारक जाँच एक स्टेशन के विभिन्न यू.टी.एस काउन्टरों पर की गई। उनके सरकारी धन तथा निजी धन की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:

- एक अनारक्षित टिकट काउन्टर पर जाँच के दौरान पाया गया कि कार्यरत बुकिंग बाबू के पास आईटीसी के अनुसार रु. 30835/- होना चाहिए जबकि बुकिंग बाबू के द्वारा सरकारी राशि में रु. 36605/- दिया गया अर्थात् सरकारी राशि में रु. 230/- की कमी पायी गई। कार्यरत बुकिंग बाबू के निजी धन की भी जाँच की गई। उसके द्वारा घोषित निजी धन रु. 200/- के स्थान पर निजी धन के रूप में रु. 800/- प्रस्तुत किया गया अर्थात निजी धन में रु. 600/- अधिक पाया गया। यह भी पता चला कि दो विभिन्न गंतव्यों हेतु उसी तिथि को जारी दो अनारक्षित टिकट उसके काउन्टर पर था। यह पता चला कि इन दोनों अनारक्षित

of Rs. 500/- was detected as excess in govt. cash produced by on duty coach conductor of the said train which was deposited in sundry earning. On behest of Vigilance, total 11 passengers were regularized with the realization of due amount allotting vacant seats in D/3 coach on which passengers were found travelling during check.

b. A preventive check was conducted in train no. 12203 in between two stations where in a group of 5 passengers was found travelling in G/6 on 2nd Mail/Express Superfast UTS tickets. The said passengers were penalized and an amount of Rs. 2700/- realized with the help of other TTE. As the concerned TTE of said coach locked himself in bathroom during the course of check and failed to turn up till the concerned passengers got off the train.

c. A preventive check was conducted in train no. 13236 between pair of stations. In the said check, total 5 irregular passengers found travelling in reserved coach holding II class Mail/Express ticket to BGP. The said passengers were regularized on behest of Vigilance team and Rs. 1375/- was realized as railway due from them. Concerned TTE who had checked the coach had failed to identify irregular travelling and charge them as per rule.

## VI. Irregularities found in UTS Counter checks.

a. Joint preventive check was conducted by Vigilance team along with RPF at a station in several UTS counters on. The govt. cash as well as private cash were checked. During check, following irregularities were found on counters checked:-

- One on duty Booking clerk govt. cash as per ITC Rs. 30835/- and govt. cash produced by on duty booking clerk Rs. 36605/- i.e. Rs. 230/- short in his govt. cash. Private cash was also checked on duty booking clerk, who had declared private cash of Rs. 200/- and produced private cash Rs. 800/- i.e. Rs. 600/- excess in his private cash. Two UTS tickets for different destination issued on same date were detected at his counter. It was detected that the two UTS

टिकटों को न ही सिस्टम के द्वारा न ही हाथ से निरस्त किया गया था।

- उसी स्टेशन के एक अन्य दूसरे काउन्टर पर बुकिंग लिपिक की जाँच के दौरान उसके निजी धन में रु. 300/- की बढ़ोतरी पाई गई। उसने अपने घोषित निजी धन रु. 120/- के विरुद्ध रु. 420/- प्रस्तुत किया। उसने स्पष्टीकरण के दौरान अपनी गलती स्वीकार की और उपरोक्त अतिरिक्त धन को रेलवे के विविध आय में जमा कराया गया।

ख) अनारक्षित टिकट काउन्टर पर सर्तकता दल, पूमरे/हाजीपुर द्वारा की गई एक निवारक जाँच के क्रम में कार्यरत बुकिंग लिपिक के सरकारी धन में रु.605/- की अधिकता पाई गई। जाँच के दौरान उसके द्वारा जारी की गई मध्यवर्ती नकद सारांश के अनुसार उसका सरकारी धन रु.70,195/- होना चाहिए था जबकि उसने सर्तकता दल के सामने अपने सरकारी धन के रूप में रु. 69,590/- प्रस्तुत किए। कार्यरत बुकिंग लिपिक इस अधिकता के लिए कोई भी संतुष्टिजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। अधिकता की राशि को सरकारी विविध आय में जमा किया गया।

ग) एक स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउन्टर पर एक निवारक जाँच में कार्यरत बुकिंग क्लर्क ने अपने मूल सरकारी धन से रु. 355/- अधिक प्रस्तुत किया जिसे सतर्कता दल के निर्देश पर विविध आय में जमा किया गया। उक्त बुकिंग क्लर्क ने वास्तविक सरकारी धन रु. 25,050/-की जगह रु. 25,405/- प्रस्तुत किया। उक्त बुकिंग क्लर्क घोषित धन में भी रु. 480/- अधिक पाया गया। उक्त कर्मचारी ने रु. 140/-के रूप में निजी धन घोषित किया था, परन्तु जांच के समय निजी धन रु. 621/- प्रस्तुत किया। प्राप्त सभी अत्यधिक धन को विविध आय में जाँच दल द्वारा जमा करवाया गया।

घ) सतर्कता दल पूर्व मध्य रेल द्वारा रोड साईड स्टेशन के यूटीएस काउन्टर पर निवारण जांच की गई। एक यूटीएस काउन्टर पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा उसके सरकारी धन में रु. 493/- की कमी पाई गई। जाँच के समय आई॰टी॰सी॰ के अनुसार सरकारी धन रु. 40,790/- था, परन्तु कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सरकारी धन रु. 40,297/- पाया गया। इसके साथ-साथ कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के आईडी पर कार्य करता हुआ पाया गया।

## 7. तुला चौकी की जाँचः

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल के द्वारा विभन्न स्थानों पर रेलवे तथा निजी कम्पनियों द्वारा स्थापित एवं संचालित आणविक गतिमान तुला चौकियों पर

tickets were not cancelled by the system or manually.

- On another counter at check same booking, the booking clerk on duty at window produced Rs. 300/- excess in his private cash. He produced Rs. 420/- against his declared private cash of Rs. 120/-. He accepted his fault during his clarification and the excess amount has deposited in sundry cash of station.

b. In a preventive check conducted at booking office at a station checking of govt. cash as well as personal cash of on duty booking clerk was done. Govt. cash was found excess by Rs. 605/- i.e. on duty booking clerk produced Rs. 70195/- as his govt. cash against the ITC cash of Rs. 69590/-. Detected excess amount was deposited vide money receipt in sundry earning.

c. In a preventive check conducted at UTS counter in a booking office on the booking clerk on duty produced Rs. 355/- excess in his govt. cash, which was deposited in govt. sundry cash on behest of Vigilance team vide MR. The booking clerk physically produced Rs. 25450/- against actual govt. cash of Rs. 25050/-. The booking clerk subjected to check also produced Rs. 481/- excess against his declared private cash. He had declared Rs. 140/- as his private cash as shown in the system, but when asked to produce he physically produced Rs. 621/- from his possession as private cash. This excess of private cash was also deposited in govt. sundry cash.

d. A preventive check was conducted by Vigilance team of ECR at UTS counter of roadside station. The staff working at UTS counter produced Rs. 493/- short in his govt. cash. As per ITC printed as the time of check the govt. cash was Rs. 40790/- whereas he produced Rs. 40297/- as his govt. cash. The staff was also found working at the counter with the ID of another staff.

## VII. Check at Weighbridges.

Checks at Electronic in-motion weighbridge locations both Railway & private were conducted by E.C.Railway Vigilance

रेकों का तौल/ पुनः तौल के साथ-साथ तुला चौकियों की भी जाँच की गई। उक्त जाँचों तथा मंडल से प्राप्त सूचनाओं में यह पाया गया कि अधिकांश रेलवे तुला चौकियों और कुछ निजी कम्पनियों की तुला चौकियों के वर्तमान उपकरण अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानव संगठन के द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कम्पनियों के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान अतिभार की घटना के साथ-साथ कुछ कमियाँ एवं अनियमितताएँ तुला चौकियों पर सामान्य रूप से पायी गई जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार अंकित है:-

(i) अधिकांश स्थानों पर ''आगे तुला चौकी है'' संबंधित संकेतक पटल नहीं पाए गए।

(ii) मंडलीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले संयुक्त निरीक्षण से संबंधित दस्तावेज तुला चौकी पर नहीं पाए गए। यह भी पाया गया कि निरीक्षण के लिए रेल परिषद द्वारा जारी अनुसूची का अनुपालन नही किया जा रहा है।

(iii) तुला चौकी प्रणाली माल भाड़ा परिचालन सूचना-प्रणाली से जुड़ी हुई नहीं है।

(iv) अधिकांश मामलों में तुला चौकी संचालक के पास मूल उपकरण मरम्मतकर्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र नहीं पाए गए।

(v) निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों के द्वारा तुला चौकी के खराब होने से संबंधित पंजिका का ठीक से अध्ययन/पृष्ठांकन नही किया जाता है।

पिछले वर्ष कोयला के रेकों में अतिभार की घटना की जाँच हेतु आणविक तुला चौकियों पर अनेक जाँच किए गए। इस जाँचों के परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष के दौरान रु. 1.41/- करोड़ रेल राजस्व की अवप्रभार के रूप में वसूली की गई।

## 8. परिचालनिक कर्मचारी द्वारा स्वलाभ हेतु स्टेशन रिकार्ड में छेड़-छाड़ः

गुप्त स्रोत से सूचना प्राप्त हुई की स्टेशन अधीक्षक की मिलीभगत से एक स्टेशन पर पदस्थापित काँटावाला के द्वारा गलत रूप से रात्रि ड्यूटी भत्ता लिया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन हेतु सर्तकता दल द्वारा संदर्भित स्टेशन पर एक निवारक जाँच की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अवधि की उपस्थिति पंजिका, स्टेशन मास्टर डायरी तथा वेतन हेतु मंडल कार्यालय को भेजे गए मस्टर रॉल की जाँच की गई। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि वेतन भुगतान हेतु मस्टर रॉल कर्मचारियों द्वारा स्वहस्ताक्षरित उपस्थिति पंजिका के आधार पर स्टेशन अधीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है

along with weighment/reweighment of rakes from time to time. On basis of these checks & reports received from the division, it is found that most of the Railway weighbridges and certain of the private weighbridge have existing equipment of firms which are not in the list approved firm issued by RDSO. Apart from some instances of overloading detected during check, certain deficiencies & irregularities are found in general the details of which are as given below:-

(i) No weighbridge ahead Board found at locations.

(ii) No record regarding Joint inspection by Officers of division are available. The Schedules of inspection laid by Railway Board is not being complied.

(iii) The weighbridge system are not linked with FOIS.

(iv) In several cases no OEM certificate for operator was found available.

(v) Break down register at weighbridge are not being endorsed/scrutinised by inspecting officials.

Further, during last one year several checks were conducted at EIMWB to detect overloading of Coal rakes. As a result of these checks Rs. 1.41 crore was realized as undercharge.

## VIII. Making false station records for giving benefit of NDA:-

Based on source information a preventive check was conducted at Station Superintendent Office of station. During check attendance register along with Muster roll & pay slip of concerned station staff was collected from divisional head quarter office. On scrutiny of all these records for period of three months it was found that attendance of a particular staff in muster roll was different from attendance register to give

एवं मंडल कार्यालय भेजा जाता हैं। मस्टर रॉल में स्टेशन अधीक्षक द्वारा उक्त काँटावाला के लिए दर्शाये गए कार्य के घंटे तथा पाली कई जगहों पर उपस्थिति पंजिका में दर्ज प्रविष्टि से भिन्न पाए गए। उपस्थिति पंजिका के अनुसार काँटावाला की ड्यूटी कुछ महीनों में केवल 08:00 से 16:00 बजे की थी जबकि स्टेधी द्वारा मस्टर रॉल में रात्रि ड्यूटी भी दिखाकर रात्रि ड्यूटी भत्ता का लाभ उक्त कर्मचारी को पहुँचाया गया। स्टेधी द्वारा स्टेशन रिकार्ड का रख-रखाव भी यथोचित नहीं पाया गया। सफाई अनुबंध के अनुरूप सफाई कार्य से संबंधित कागजात भी दैनिक रूप से नहीं बनाया जा रहा था। स्टेशन मास्टर डायरी में कार्यरत कर्मचारी के रूप में नाम दर्ज नही होने के बावजूद भी संबंधित काँटावाला द्वारा गलत रूप से हस्ताक्षर किया जाना पाया गया। स्टेशन अधीक्षक तथा संबंधित काँटावाला दोनों को उपरोक्त अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई एवं स्थानांतरण हेतु अनुशंसा की गई है।

## 9. खान-पान ठेका में अनियमितता:

एक महत्वपूर्ण स्टेशन पर खान-पान एवं भेंन्डिग के आवंटन एवं कार्य प्रणाली से संबंधित परिवाद के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उक्त ठेका किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था जबकि वास्तविक रूप से उक्त ठेका किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा था अर्थात उक्त ठेका का संचालन मूल संवेदक के द्वारा न करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि मूल संवदेक एक सरकारी उपक्रम में कार्यरत है। मूल संवदेक 'क' ने आपसी रजामंदी से उक्त ठेका को 'ख' को भाड़े पर दे दिया। यह पाया गया कि सभी मंडलीय पत्र संवेदक को उसके मूल पते पर न भेजकर स्टेशन अधीक्षक के द्वारा दिया जाता था, जो संभवत: स्थानीय स्टेशन कर्मियों की मिलीभगत से इस धोखा-धड़ी को कायम रखने में सहायक हुआ। संवेदक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार-पत्र के बिना ही रेलवे द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अनुमति-पत्र इत्यादि जारी किए गए। लम्बे समय से उक्त ठेका को मूल संवदेक के द्वारा न चलाकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे ठेका का पता न लगा पाने के कारण उक्त स्टेशन के पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय वाणिज्य कार्यालय, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर को वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने तथा संवेदक का ठेका संचालन में सीधे तौर पर सहभागिता सुनिश्चित करने ताकि इस प्रकार की धोखा-धड़ी की गुंजाइश न हो हेतु दिशा निर्देश जारी करने का सुझाव दिया गया है।

him the benefit of NDA. Up keeping of other records was also not found proper as the daily cleaning chart for sanitation work was not found prepared by SS properly and on daily basis. Concerned Group 'D' staff was found responsible for making false signature in station diary without endorsement of his name as on duty staff by on duty SM and receiving false NDA. For making wrong entries in station records for purpose of attendance, NDA and sanitation both the respective staff were taken up under DAR action and recommended for transfer at other station also.

## IX. Irregularity in catering contract:

During investigation of a complaint case related with allotment and working of catering & vending contract of an important station it was detected that the said contract was awarded to one person but the actual working was being done by someone else. It was detected that the catering unit was being run by person other than contract awardee. Also the original awardee was found to be an official employee of a government undertaking. The original awardee "A" subletted the said contract to "B" through their mutual agreement. It was observed that all divisional letters was sent through Station Master to contractor instead of his original address which helped perpetuate the fraud perhaps with local connivance at station staff. Also all medical, permits etc were being issued by Railway without any authority letter of the contractor or his authorized representative. DAR action has been recommended against the Railway supervisory officials for not detecting the practice in which stall were subletted by original awardee over a long period of time and being run by imposter. Zonal commercial office has also advised to streamline the existing system for better & direct involvement of awardee with Railway contract operations to avoid any such chances of fraud.

## 10. स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली रियायत में अनियमितता:

प्राप्त स्रोत सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 12309 में अमूक तिथि को द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में 12 बर्थ पटना से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी एवं सहचर के गलत पास नम्बर पर ब्लॉक किया गया। इन सभी बर्थ को अनाधिकृत बिना टिकट यात्रियों को ढोने के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसकी जाँच के लिए उक्त गाड़ी में मुगलसराय एवं कानपुर स्टेशनों के बीच एक निवारक जाँच की गई। जाँच में यह पाया गया कि सूचना प्राप्त सभी 12 बर्थ पर कोच कंडक्टरों की सहमति से बिना टिकट यात्री यात्रा कर रहे थे। यात्रा कर रहे किसी यात्री का नाम ट्रेन वर्किंग चार्ट में अंकित नहीं था। जाँच के दौरान यह पाया गया कि सभी संबंधित कोच कंडक्टरों ने ट्रेन वर्किंग चार्ट में उपरोक्त संदर्भित सीटों पर चार्ट में नामित यात्रियों को उपस्थित दर्शाया था। सभी 12 बिना टिकट यात्रियों को दण्ड प्रभार के साथ नियमित किया गया एवं प्रति यात्री रु. 4,210/- के दर से कुल रु. 50,700/- रेल बकाया के रूप में वसूल किया गया। प्रथम दृष्टया मामला कुछ विशेष स्टेशनों के आरक्षण लिपिकों एवं उक्त राजधानी एक्सप्रेस में नियमित रूप से रोस्टर में कार्य कर रहे चेकिंग स्टॉफ के एक विशेष वर्ग के बीच अनुचित सांठ-गांठ का है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एवं सहचर की जाली पास संख्या पर आरक्षित बर्थ पर व्यक्तिगत लाभ के लिए बिना टिकट यात्रियों को ढोने का है, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

विगत छः माह के डाटा की समीक्षा से यह प्रकाश में आया है कि अवधि समाप्त एवं जाली स्वतंत्रता सेनानी के पास संख्या पर चार एवं छः के समूह में तीन संलिप्त आरक्षण लिपिकों द्वारा बार-बार यात्रा सह आरक्षण टिकट जारी किया गया जिसका बिना टिकट यात्रियों को ढोने में उपयोग हुआ। यात्रा तिथि का स्वरूप जिन पर यात्रा सह आरक्षण टिकट जारी किए गए, उक्त गाड़ी में कार्य कर रहे एक विशेष जाँच दल की रोस्टर तिथि के अनुसार था। इन जाली एवं अवधि समाप्त पास संख्याओं पर पूर्व में जारी एक लम्बी अवधि की यात्रा तिथि ट्रेन वर्किंग चार्ट की जाँच से यह ज्ञात होता है कि उन सभी तिथियों को कार्यरत् कोच कंडक्टर द्वारा यात्रियों को उपस्थित दर्शाया गया। इस प्रकार आरक्षण लिपिक और ट्रेन में कार्यरत चेकिंग स्टॉफ द्वारा जिसमें बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता भी संभव है की एक लम्बे अवधि से धोखाधड़ी में संलिप्तता पायी गयी। केस अभी जाँच प्रक्रिया में है।

## X. Irregularities in Freedom Fighter concession:-

On source information that 12 berths of 2AC coaches of train no. 12309 between PNBE and NDLS stations are falsely blocked against Freedom Fighter & companion pass numbers, for carrying unauthorized passengers, a preventive check was conducted between MGS & CNB stations to verify the same. During the check all of these 12 berths were found occupied by without ticket passengers entirely other than the chart named passengers. It was also found that all the three coach conductors, who manned these coaches, had marked passengers turned up in their respective train working charts of the coaches involved. All detected 12 without ticket passengers were regularized with penalty on the behest of vigilance team, realizing Rs. 4210/- from each passenger, collecting together Rs. 50,700/- as Railway due. The check prima facie indicates a nexus between checking staff of the said train and PRS staff of certain reservation office with outsiders for illegally issuing tickets for purpose of carrying unauthorized passengers.

Further background data analysis for last 6 month period indicated rampant issue of JCRTs on expired/false Freedom Fighter passes (for group of 4/6 passengers each)by three ECRCs of a division in Rajdhani 12309/12310 running between Patna and New Delhi. Pattern of date of journey on these JCRTs also coincided with train movement of a particular set of ticket checking team manning train wherein all passengers in previous train working charts were marked as 'ticked' for travel. Thus there appears connivance between ECRCs, train manning staff and outside elements for perpetrating this fraud over a long period of time. Case is under further investigation.

# केस अध्ययन

## लेखा एवं कार्मिक

- **श्री कुमार ज्ञानजीत**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **श्री अमूल कुमार सिंह**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा

### 1. पररूपधारी व्यक्ति द्वारा रेलवे में अपने भाई के नाम से नौकरी करने के संबंध में।

एक परिवाद की जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि 'X' नाम का एक व्यक्ति जो कि इस रेलवे के एक मंडल में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत था वह अपने बड़े भाई 'Y' के छद्म नाम से रेलवे में काम कर रहा था। सर्तकता जांच के दौरान यह उजागर हुआ कि 'Y' जिसने रेलवे में आकस्मिक श्रमिक के रूप में वास्तव में काम किया था, उसने बाद में राज्य सरकार के नलकूप विभाग में योगदान कर लिया, जहां बाद में कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा दिनांक 25.11.95 को उसकी हत्या कर दी गई।

बाद में, मंडल के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा रेलवे में आकस्मिक श्रमिक के रूप में किए गए कुल कार्य-दिवस के आधार पर विभिन्न ग्रुप 'डी' के पदों पर नियुक्ति हेतु 'Y' को शामिल करते हुए एक पैनल का प्रकाशन किया गया चूँकि मंडलीय अधिकारीगण 'Y' के दूसरे विभाग में योगदान करने तथा उनकी मृत्यु के तथ्य से पूरी तरह अनजान थे। 'X' जो कि वास्तव में 'Y' के छोटे भाई थे, रेलवे द्वारा 'Y' के नाम से भेजे गये चिकित्सा पत्र को प्राप्त करने में सफल हो गए तथा अपने मृत बड़े भाई 'Y' के नाम से अपना चिकित्सीय-जाँच कराकर अपने बड़े भाई के नाम से रेलवे में गैंगमैन के पद पर बहाल हो गये।

आगे की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 'Y' का मृत्यु प्रमाण-पत्र जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। इस मृत्यु प्रमाण-पत्र को जिला प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित भी कर दिया गया। नलकूप विभाग के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भी यह सत्यापित कर दिया गया कि 'Y' उनके विभाग में कार्यरत थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा के पक्ष में विभाग द्वारा समापक राशि का भुगतान किया गया है। सतर्कता टीम द्वारा 'Y' के पैतृक गाँव में जाकर उस गाँव के सरपंच के

# CASE STUDIES

## Accounts & Personnel

**- Sri Kumar Gyanjeet,** CVI/A
**- Sri Amul Kumar Singh,** CVI/A

### I. Working in Railway by forgery in the name of his brother through impersonation.

During investigation of a complaint case, it has come to notice that one 'X', working as a Trackman in one of the division of this railway was working in Railway in forged name of his elder brother 'Y'. It was revealed in the vigilance investigation that 'Y' who had actually worked as a casual labour in railway had joined the PHED department of state government and latter he was murdered by some anti-social elements on dt 25.11.95.

A panel was prepared including 'Y' for appointment in various class IV recruitment categories and posts by the screening committee of the division on the basis of total working days done as a casual labour as divisional authorities were unaware of the joining in other department and murder of 'Y'. 'X' who is actually the younger brother of 'Y', managed to get the medical letter sent by the railway and he succeeded in getting his medical by the name of his deceased elder brother 'Y' and joined in Railway as a Gangman in the name of his elder brother.

During further investigation, it came to notice that the death certificate of the 'Y' has been issued by the district authorities. The certificate was got certified by the concerned authorities of the district administration. The concerned authorities of the PHED department, where 'Y' was working at the time of his murder has also certified that 'Y' was working in his office and after his death, the settlement payment has been made in favour of the widow of 'Y'. During the personnel visit to the native village of 'Y' by the vigilance team, the surpunch of that village also certified that 'Y'

द्वारा भी यह सत्यापित किया गया कि 'Y' जो कि वास्तव में रेलवे में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु वर्ष 1995 में ही हो चुकी है।

उपरोक्त सारे तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी संशय के यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'Y' जिसने रेलवे में वास्तव में आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य किया था, उनकी मृत्यु वर्ष 1995 में ही हो चुकी है तथा जो व्यक्ति रेलवे में 'Y' के नाम से नौकरी कर रहा था, वह निश्चित रूप से 'Y' नहीं था तथा वास्तव में वह एक पररूपधारी था।

**सतर्कता जाँच के आलोक में संबंधित मंडल को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये हैं।**

## 2. हॉस्टल सब्सिडी के मद में अनियमित भुगतान।

कर्मचारियों को अनुमेय शैक्षणिक भत्ता/होस्टल सब्सिडी के पहलू पर किये गये एक निवारक जांच में यह पाया गया कि इस रेलवे के एक अधीनस्थ कार्यालय में कर्मचारियों को होस्टल सब्सिडी भुगतान की मंजूरी इस संबंध में रेल बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2008/ED-2/4 दिनांक 07.06. 2013 (RBE 55/2013) में निहित अनुदेशों/निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

मौजूदा अनुदेशों/निर्देशों के अनुसार होस्टल सब्सिडी से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा किये गये उस खर्च की भरपायी से है जो अपने बच्चे को वैसे आवासीय विद्यालय/संस्थान में रखने से संबंधित है जो उसके निवास स्थान से 50 किमी. से अधिक की दूरी पर स्थित हो, परन्तु यह पाया गया कि 50 किमी. से कम की दूरी पर स्थित आवासीय विद्यालय/संस्थान से संबंधित दावे मंजूर एवं भुगतान किये गये।

**इस संबंध में रेल बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों/निर्देशों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है। इसके साथ ही अनियमित भुगतान की राशि को संबंधित कर्मचारी से वसूल करने की सलाह संबंधित मंडल को दी गयी है।**

who had actually worked in railway has already expired in the year 1995.

In light of the above facts and after considering all the documentary as well as the circumstantial evidences, it has been concluded beyond doubt that the man 'Y' who had actually worked in the Railway as a casual labour died way back in the year 1995 and the man who was working in railway by the name of 'Y' is certainly not 'Y' and he was an impersonator.

**Concerned Division has been advised to take necessary action in view of the findings of investigation as mentioned above.**

## II. Irregular payment to staff on account of Hostel Subsidy.

During investigation of a preventive check conducted in one of the subordinate offices of this railway on the aspect of grant/ sanction of CEA/Hostel subsidy to railway staff, it was found that re-imbursement of Hostel Subsidy to employees has been granted/paid in violation of instructions/guidelines issued on the revised policy for grant of CEA/Hostel Subsidy vide Railway Board's letter E(W)2008/ED-2/4 dt.7.06.2013/RBE No. 55/2013.

As per existing instructions/guidelines, Hostel Subsidy means expenses incurred by the government servant if he/she keeps his/her children in a hostel of a residential school/institution located beyond a distance of 50 Kms from his/her residence. However, it was found that claim where distance of the School/ Hostel was less than 50 Kms from the residence/place of posting was processed for sanction and payment made.

**Suitable DAR action has been recommended against the staff found responsible for violation of instructions/ guidelines issued by Railway Board in matter in question. Further, the division has also been advised for recovery of irregular payment made to staff on account of Hostel Subsidy.**

## अभियंत्रण

- **जेड.ए. मल्लिक**, सतर्कता अधिकारी/इंजी.
- **राकेश सिंह, राज कुमार प्रसाद** एवं
- **विद्यानन्द प्रसाद**, मुसतानि./इंजी.

### 1. श्राव छिद्र के लिए पीवीसी पाइप के क्रियान्वयन में अनियमिततायें:-

**निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान निम्न अनियमिततायें पायी गयी:-**

भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए बोल्डर पिचिंग की मरम्मती के लिए रैन्डम रबल मैसोनरी (आरआरएम) के कार्य का निष्पादन किया गया था। रैन्डम रबल मैसोनरी में श्राव छिद्र प्रदान करने के लिए, 8.8 मिमी. मोटाई वाला 100 मिमी. व्यास का पीवीसी पाइप का प्रावधान रु. 490.31 प्रतिमीटर की दर से दर-अनुसूची की मद सं. 11010 (i) के अनुसार अनुसूची में बनाया गया था और तद्नुसार एजेन्सी को भुगतान भी कर दिया गया था। जाँच के दौरान 2 मिमी. मोटाई वाला पॉली पैक आइएस-13592 यूपीवीसी पाइप 110 व्यास मिमी पाया गया। यह सामग्री समई द्वारा पास किया गया था, जिसको कार्य निरीक्षक द्वारा मैटेरियल पासिंग रजिस्टर में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 'यूपीवीसी पाइप 110 मिमी व्यास' स्पष्ट रुप से दर्ज किया गया था और यूपीवीसी पाइप के विनिर्देश के अनुसार रु. 202.15 प्रति मीटर की दर से यह दर अनुसूची की मद सं. 12086 (iii) है। इस प्रकार, सामग्री जो कार्यस्थल पर उपयोग किया गया था, उसे ही समई द्वारा पास किया गया था तथा 2 मिमी. मोटाई वाला यूपीवीसी पाईप 110 मिमी. ही श्राव छिद्र में उपयोग के लिए पर्याप्त था, लेकिन जैसा अनुसूची में दिया गया था, उस सामग्री के लिए भुगतान किया गया।

**इस प्रकार, दर अनुसूची की मद सं. 12086 (iii) की सप्लीमेन्टरी एसओआर स्वीकृति प्राप्त किये बिना रु. 490.31 प्रति मी. की दर से भुगतान जारी किया गया जबकि कार्य स्थल पर प्रयोग किये गये सामग्री का दर 202.15 रु. प्रति मीटर था, परिणामस्वरुप रेलवे को रु. 3,02,633/- का नुकसान हुआ।**

## ENGINEERING

**- Z.A. Mallick,** VO / Engg.
**-Rakesh Singh, Raj Kr. Prasad,**
**Vidyanand Prasad,** CVI/E

## I. Irregularity in execution of PVC pipe for weep hole:-

**During investigation of a preventive check, following irregularities were found:-**

The work of Random rubble masonry was executed for repairing of damaged boulder pitching due to land slide. For providing weep holes in Random rubble masonry, provision of PVC pipe 100 mm dia having wall thickness 8.6mm@ Rs. 490.31/m vide SOR item 11010(i) was made in schedule and accordingly payment was also made to agency. During joint check, "Poly pack-IS 13592 UPVC pipe 110mm SWR having wall thickness 2mm was found. The material was passed by ADEN as proposed by IOW in material passing registers wherein it was clearly mentioned "UPVC Pipe 110mm" and as per specification of UPVC pipe it is SOR item no. 12086(iii) having rate Rs. 202.15/meter. Thus the same materials were used in field which were passed by AEN & "UPVC Pipe 110mm having wall thickness 2mm" was also adequate for using in weep holes, but payment was released for materials as provided in Schedule.

**Thus payment was released at the rate of Rs. 490.31/m as provided in schedule without getting approval of supplementary SOR item no. 12086(iii) which was used at site & having rate Rs. 202.15/m, resulting in loss of Rs. 3,02,633/- to railway.**

**2. पुल के जैकेटिंग के कार्य में अनियमितायें:-**

**निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान निम्न अनियमिततायें पायी गयीं:-**

- पुल के जैकेटिंग में, निविदा की गैर सूची मद में विनिर्माण, आपूर्ति, फिटिंग एवं डॉवेल बार की फिक्सिंग निविदा सूची में शामिल था और सूची अनुसार डॉवेल बार की कुल लंबाई 450 मिमी. तथा 300 मिमी. एंबेडेड लंबाई होना चाहिए था।
- इस जैकेटिंग कार्य के लिए ड्राइंग आरडीएसओ ड्राईंग के आधार पर तैयार किया गया था, लेकिन निविदा, ड्राइंग अनुमोदन के पूर्व ही निकाल दिया गया और अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार डॉवेल बार की लंबाई 400 मिमी. जिसमें एंबेडेड लंबाई 200 मिमी. होनी चाहिएथी।
- संयुक्त जाँच के दौरान, डॉवेल बार की लंबाई 400 मिमी.पाई गई जिसमें एंबेडेड लम्बाई 200 मिमी. थी जो कि अनुमोदित ड्राईंग के अनुरुप थी।

**इस प्रकार, कार्य अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार करवाया गया लेकिन संवेदक को भुगतान निविदा की अनुसूची के अनुसार यानि 50 मिमी. अतिरिक्त लंबाई एवं 100 मिमी. अधिक ड्रिलिंग एवं ग्राउटिंग के लिए किया गया। तद्नुसार संवेदक को रु. 1,29,155/- का अधिक भुगतान किया गया।**

**3. वाशिंगपिट के निर्माण में अनियमिततायें:-**

**निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी:-**

- वाशिंग पीट का कुछ कार्य एक करारनामा के तहत कराया गया था और बचा हुआ कार्य दूसरे करारनामा के तहत किया गया था। पहले करारनामा के तहत स्लैब का कुल कॉलम का कास्टिंग किया गया था और द्वितीय करार के तहत बचे हुए कॉलम एवं कैटवॉक स्लैब का कास्टिंग किया गया।
- मुख्यालय स्तर पर अनुमोदित जीएडी के आधार पर दोनों करारनामा के कार्यों का निष्पादन किया गया था और इस जीएडी में संरचना नक्शा के लिए दूसरे नक्शे को संदर्भित किया गया था। इसके अलावा, यह संदर्भित संरचना नक्शा निर्माण संगठन के नक्शा के आधार पर तैयार किया गया था।

## II. Irregularity in execution of jacketing of bridge:-

**During investigation of a preventive check, following irregularities were found:-**

- For jacketing of bridge, NS item of manufacturing, supplying, fitting & fixing of dowel bars was included in tender schedule & as per schedule the dowel bar should have been of 450mm length with 300mm embedded length.
- The drawing for this jacketing work was also prepared based on RDSO drawing but tender was floated before approval of drawing & as per approved drawing, dowel bar should be 400mm long with 200mm embedded length.
- During joint check length of dowel bar was found 400mm with embedded length of 200mm, which was in accordance with approved drawing.
- **Thus the work was done according to approved drawing, but payment was made to agency as provided in schedule i.e. 50mm extra length and 100 mm more drilling with grouting for each hole. Thus total Rs.1,29,155/- excess payment was made to the agency.**

## III. Irregularity in construction of washing pit:-

**During investigation of a preventive check, following irregularities were found:-**

- Part work of washing pit was executed in one agreement & leftover work was executed in another agreement. Against 1st agreement some column of catwalk slab was casted & rest column including catwalk slab were casted in 2nd agreement.
- Both agreements were executed as per GAD approved at HQ level and in this GAD another drawing was referred for structural drawing. Further, this referred structural drawing was also prepared based on another drawing of construction organisation.

- इस संदर्भित संरचना नक्शा में केवल तीन-तीन मीटर पर कॉलम दिखाया गया था लेकिन प्रत्येक कॉलम में रिइन्फोर्समेन्ट बार की संख्या नहीं दिखाया गया था यद्यपि, जिस नक्शा के आधार पर यह तैयार किया गया था उसके प्रत्येक कॉलम में रिइन्फोर्समेन्ट बार की संख्या 8 एवं प्रत्येक कॉलम तीन-तीन मीटर पर स्पष्ट रुप से वर्णित था।
- तथापि, कार्य स्थल पर जाँच के दौरान प्रत्येक कॉलम में रिइन्फोर्समेन्ट बार की संख्या 8 के बदले केवल 6 ही पाया गया था और यहाँ तक की कॉलम के केन्द्र से केन्द्र की दूरी 03 मीटर के बदले 3.65 मी. पाया गया था। इसके अतिरिक्त, आरसीसी कार्य की गुणवत्ता बिना क्यूब जाँच सुनिश्चित किये अधिकांश कॉलम कार्य का निष्पादन किया गया था और यहाँ तक कि बिना विनिर्माता जाँच रिपोर्ट या स्वतंत्र प्रयोगशाला से जाँच सुनिश्चित किये बिना रिइन्फोर्समेन्ट बार का उपयोग किया गया था।
- इस प्रकार न केवल अधूरा संरचना नक्शा तैयार किया गया बल्कि कार्यस्थल पर कॉलमों की संख्या भी घटा दी गयी और कार्यस्थल पर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई, इसका परिणाम कॉलम का मुड़ना और कैटवाक स्लैब का गिरना हुआ, जिसकी वजह से वाशिंग पीट बिना परिचालन का हो गया।

## 4. एनआइपी के भौतिक कार्यान्वयन में अनियमितता:-

**निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पाई गयी:-**

- सतर्कता संबंधित एक मामले में, एक कर्मचारी पर लघु शास्ति के तहत 'वेतन वृद्धि पर एक वर्ष के लिए बिना संचयी प्रभाव के साथ' रोक का आदेश दिनांक 21.09.2011 द्वारा अधिरोपित किया गया था, हालांकि, दिनांक 01.07.12 के आदेश द्वारा अपील पर शास्ति की अवधि छः महीने के लिए कम कर दी गयी। एनआइपी के अनुसार, शास्ति की अवधि अगले वेतनवृद्धि अर्थात् दि. 01.07.12 से प्रभावित होना चाहिए था, परन्तु शास्ति अधिरोपित नहीं किया गया।
- इसके अतिरिक्त, दिनांक 24.09.2012 को संबंधित कार्यालय से शास्ति परिचालन की अवधि प्राप्त होने के पश्चात् दि. 19.10.2012 से कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति दे दिया गया, इसमें

- In this referred structural drawing, only column at 3m c/c was shown but numbers of reinforcement bars in each column was not shown, although the drawing on which it was prepared, 08 nos. of reinforcement bars in each column including 3 m c/c distance of column was clearly mentioned.
- However, during joint check at site, nos. of reinforcement bars was found only 06 nos. in each column against required 08 nos. & even c/c distance of column was found 3.65m against required c/c distance of 3m. Further, most of the column work were executed at site without ensuring quality of RCC work by cube testing & even steel reinforcement were also used without ensuring manufacturers test report or independent testing from lab.
- Thus not only deficient structural drawing was prepared, even field officials provided less nos. of columns & did not ensured quality of work at site which resulted into yielding of column & collapse of catwalk slab, thereby making non-operational of washing pit.

## IV. Irregularity in physical implementation of NIP.

**During investigation of a preventive check, following irregularities were found:**

- In one of the vigilance related case, Minor Penalty of "withholding of increment of pay for a period of one year which will not have the effect of postponing the future increments of his pay" was imposed upon an employee by order dated-21.09.2011, however, on appeal penalty period was reduced to six month vide order dated-22.03.2012. According to NIP, penalty should have been effective from next date of increment i.e. 01.07.12, but penalty was not imposed.
- Further, promotion was also given from Jr.Scale to Sr.Scale on 19/10/2012, after taking operating period of penalty from concerned office which was communicated on 24.09.2012,

यह उल्लेख था कि शास्ति परिचालन की अवधि जुलाई-13 से दिसंबर-13 है।

- इसके अलावे, जिस व्यक्ति के खिलाफ यह एनआइपी जारी किया गया था, वह उसी अनुभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, जहाँ वेतन का ऑडिट किया जाता है और यहाँ तक कि इस एनआइपी को उन्हें जारी किया गया था, परन्तु उन्होंने इस एनआइपी को कार्यान्वित नहीं किया ।
- इसके अलावे, यह शास्ति दि. 01.07.13 से प्रभावी नहीं हुआ, बल्कि एक बार अतिरिक्त राशि जुलाई-14 माह में उसके नियमित वेतन से वसूल किया गया था और यहाँ तक कि यह वसूली सतर्कता विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ वास्तविक शास्ति अधिरोपण की अवधि पता करने के बाद ही किया गया।

इस प्रकार से, निश्चित समय पर अर्थात् दि. 01.07.12 से 31.12.12, शास्ति का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नती दे दिया गया। इसके अलावे, शास्ति भी भौतिक रुप से लागू नहीं किया गया, बल्कि एक बार वेतन से वसूली जुलाई-14 यानि 02 वर्ष बीत जाने के बाद किया गया।

## 5. पुल के टो दीवारों के निर्माण में अनियमितता:-

**निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी:-**

- पुल के टो दीवारों का निर्माण अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार किया जाना था एवं इस अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार पुल के टो दीवार की फूटिंग रेक्टैन्गुलर स्लोप्ड फूटिंग होनी चाहिए, जिसकी मोटाई टो दीवार के किनारे पर 700 मिमी. तथा फूटिंग के किनारे पर 350 मिमी. होनी चाहिए थी।
- संयुक्त जाँच के दौरान टो दीवार की फूटिंग रेक्टैंगुलर पाया गया तथा मोटाई टो दीवार के किनारे पर 700 मिमी. एवं किनारे पर 350 मिमी. के बदले 150 मिमी. ही पाया गया। साथ ही आरसीसी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीमेन्ट कंक्रीट क्यूब का परीक्षण नहीं कराया गया और मिक्स डिजाइन रिपोर्ट मिलने के पूर्व ही इस पुल का कार्य पूरा कर लिया गया।

wherein it was mentioned that operating period of penalty is from July'13 to Dec'13.

- Further, the person against whom this NIP was issued was also working as AFA of the section, where audit of salary is done & even this NIP was also served to him, but he did not got implemented the NIP.
- Further, this penalty was also not made effective from 01.07.13, rather one time excess amount recovered from his regular salary bill in the month of July'14 & even this recovery was made only when vigilance department chased regarding actual imposition of penalty period against that employee.

Thus due to non-implementation of penalty in due time i.e. from 01.07.12 to 31.12.12, promotion was given from Jr.Scale to Sr.Scale. Further, penalty was also not physically implemented, rather, one time recovery from salary was done in July '14 i.e. after lapse of 02 years.

## V. Irregularity in construction of Bridge Toe walls.

During investigation of a preventive check, following irregularities were found:

- The construction of Bridge Toe wall was to be done as per approved drawing and as per this approved drawing, foundation of Toe wall should be of rectangular sloped footing having depth at the edge of footing 350mm & depth at the edge of toe wall 700mm.
- During joint check shape of footing was found rectangular and having depth only 150mm at the edge as well as at the edge of toe wall against required depth of 350mm at the edge & 700mm at the edge of toe wall. Further, quality of RCC work was not ensured by testing of CC cube & even work was completed at this bridge well before getting mix design report.

- संयुक्त जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि हॉरिजेन्टल रिइन्फोर्समेन्ट बार की संख्या 12 थी जबकि भुगतान हेतु रिइन्फोर्समेन्ट रजिस्टर में छड़ों की संख्या 36 दर्ज है। इसी तरह वर्टिकल रिइन्फोर्समेंट बाहरी दीवार की ओर 230 मिमी. (केन्द्र से केन्द्र) पर तथा भीतरी दीवार की ओर 200 मिमी. (केन्द्र से केन्द्र) की दूरी पर पाया गया जबकि वर्टिकल रिइन्फोर्समेन्ट बार का भुगतान बाहरी दीवार की ओर 200 मिमी. (केन्द्र से केन्द्र) पर तथा भीतरी दीवार की ओर 150 मिमी. (केन्द्र से केन्द्र) के लिए किया गया था।

**इस प्रकार रिइन्फोर्समेन्ट और एम-25 कंक्रीट कार्य को अनुमोदित ड्रॉइंग के आधार पर कार्यान्वित नहीं किया गया और संवेदक को कुल रु. 5,27,368/-का अतिरिक्त भुगतान किया गया।**

**6. हाथ नलकूप के निष्पादन में अनियमिततायें:-**

**एक शिकायती मामले के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी:-**

- 'कॉलोनियों में हाथ नलकूप का प्रावधान' के कार्य के अन्तर्गत विभिन्न कॉलोनियों में कुल 18 अदद् हाथ नलकूप का कार्य निष्पादित किया गया। अनुसूची के अनुसार 18 मी. लम्बे 100 मिमी. व्यास का जी.आई आवरण पाईप तथा 32 मी. लम्बा 40 मिमी. व्यास का जीआई पाईप लगाया जाना था। लेकिन, संयुक्त जाँच के दौरान एक नलकूप की मापी एक धागा के अंतिम शिरा में बोल्ट बांधकर किया गया तथा आवश्यक 50 मीटर गहराई की जगह पर सिर्फ 39.40 मी.पाया गया।
- इसके आगे, संयुक्त जाँच के दौरान यह पाया गया कि 100 मिमी. जी. आई. आवरण पाईप की जगह 110 मिमी. पीवीसी आवरण पाईप का कार्य कराया गया था, तथापि, जी.आई आवरण पाइप का भुगतान एजेन्सी को नहीं किया गया था, परन्तु कार्य संविदा करार के अनुरुप नहीं कराया गया था।
- इसके अतिरिक्त, संयुक्त जाँच के दौरान संबंधित कार्यनिरीक्षक द्वारा यह बताया गया कि चट्टानी क्षेत्र होने की वजह से छलनी पाइप नहीं लगाया गया है। इस प्रकार, छलनी जो कि नलकूप के उचित कार्य करने में एक महत्वपूर्ण घटक है उसे नहीं लगाया गया।

**इस प्रकार, सभी 18 अदद नलकूपों में छलनी नहीं लगाया गया और 50 मी. की जगह लगभग 40 मी. ही पाईप लगाया गया। फलस्वरुप, रेलवे को रु. 59,146.11 की क्षति हुई।**

- During joint check it was also found that only 12 nos. of horizontal reinforcement bars was provided in toe wall against payment made for 36 nos as recorded in reinforcement register. Similarly vertical reinforcement was provided at 230mm c/c along outside wall & at 200mm c/c along inside wall but payment was made for 200mm c/c along outside wall & 150mm c/c along inside wall.

**Thus reinforcement and M-25 concrete work were not executed as per approved drawing & total Rs. 5,27,368/- excess payment was made to the agency.**

## VI. Irregularity in execution of hand tube well:-

**During investigation of a complaint case, following irregularities were found:-**

- The work of "Provision of hand tube wells in colonies" was executed & total 18 nos. hand tube wells in different colonies were provided. As per schedule 18m long G.I casing pipe of 100mm dia & 32m long GI pipe of 40mm dia were to be provided in tube well. But during joint check, depth of one of the tube well was measured with the help of cord having bolt tied at one end & found only 39.40m against required depth of 50m.
- Further, during joint check it was found that PVC casing pipe 110mm was provided in place of G.I casing pipe 100mm dia, however, payment for GI casing pipe was not made to agency but work was not executed as provided in contract agreement.
- Further, during joint check field officials stated that strainer pipes has not been provided due to rocky area. Thus strainer which is important component for proper functioning of tube well was not provided.

**Thus in all the 18 nos. tube well strainer were not provided & also approximate 40m pipe provided instead of 50 m resulting loss of Rs. 59146.11 to the Railway.**

## केस अध्ययन

### चिकित्सा

### 1. स्टेशन सफाई के निविदा आवंटन में निविदा शर्तों का उल्लंघन

- **के.के. मिश्र**, मुसतानि/सुरक्षा

एक मंडल में स्टेशन की सफाई से संबंधित निवदा प्रक्रिया के पूरी करने और उसके आवंटन में हुई अनियमितताओं की जाँच के क्रम में निम्न वर्णित विसंगतियाँ पाई गई:-

(i) स्टेशन 'अ' की सफाई निविदा के प्राक्कलन मूल्य 2,18,32,519.00 का अनुमोदन मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दिया गया जो कि पूर्व के कार्य मूल्य से 250% अधिक था। कार्य के प्राक्कलन मूल्य का मूल्यांकन दिनांक 19.09.13 की तिथि को लागू unskilled labour @ 207/-, semi-skilled labour @ 241/- तथा skilled labour @ 291/- की न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर किया गया जबकि प्राक्कलन की तिथि दिनांक : 26.06.14 से पूर्व हीं दिनांक: 04.03.14 को इस दर को संशोधित किया गया था। EPF का दर भी जैसा कि प्राक्कलन एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित किया गया था, 10% नहीं बल्कि 13.61% था। आश्चर्यजनक रुप से मदवार प्राक्कलन दर को भी निविदा दस्तावेज का एक हिस्सा बनाया गया। 'न्यूनतम मजदूरी दर का उल्लंघन प्रतिबंधित है' की शर्त दर शिड्युल में अंकित थी। निविदा दस्तावेज के पारा 8(i) व (j) में **'वैसे निविदाकर्ता जो श्रम शक्ति मूल्य के लिए मजदूरी कानून की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उनके ऑफर को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा'** की शर्त भी अंकित थी। यह शर्त कि- 'मजदूरी दर के लिए दर परिवर्तन लागू होगा' भी निविदा शर्त में शामिल की गयी।

(ii) निविदा दिनांक 12.08.14 को खोली गई, जिसमें छः प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। टेबुलेशन स्टेटमेन्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिष्ठानों द्वारा अलग-अलग तरीके से दर ऑफर किए गए यथा- पुराने मजदूरी दर एवं गलत इ पी एफ

# MEDICAL

## I. Awarding cleaning contract of stations in violation of tender condition

**- K.K. Mishra,** CVI/Sec

During investigation of a case pertaining to irregularities in tendering and award of station cleaning contract in a Division, following irregularities as mentioned below were noted:

(i) Approval for cleaning contract of station 'A' at an estimated cost of Rs 2, 18, 32, 519.00 was accorded by DRM which was higher by more than 250% than the earlier cost of the work. Estimated value of the work was calculated based on the minimum wages rate @ Rs 207/- for unskilled, Rs 241/- for semi skilled and Rs 291/- for skilled personnel prevailing as on 19.09.13. Well before the date of preparation of Estimate on 26.06.14, wage rate was revised on 04.03.14. Rate of EPF was also not 10% as mentioned in estimate and tender document but it was 13.61%. Surprisingly the item wise estimated rate was also made a part of the tender document. It was mentioned in the rate schedule that- "Violation of minimum wages Act is prohibited". It was also mentioned in the tender document at para 8 (i) & (j) that- **'quotations of tenderers which do not fulfill the labour laws condition for manpower cost will be summarily rejected".** Condition that- 'PVC will be applicable on wage rate' was also included in tender condition.

(ii) Tender was opened on 12.08.2014. Six firms offered their rates. From tabulation statement it transpired that the firms offered their rates differently i.e. as per the old wage rate and wrong

की दर से जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित था व इस टिप्पणी के साथ/ के बिना कि निविदा खुलने की तिथि पर प्रभावी दर बिलिंग के समय लागू होगी, प्राक्कलन में वर्णित पुराने मजदूरी दर लेकिन सही इ पी एफ दर से तथा निविदा खुलने की तारीख को प्रभावी मजदूरी दर एवं सही इ पी एफ दर से।

एक बार जब 'न्यूनतम मजदूरी दर का उल्लंघन प्रतिबंधित है' की शर्त, 'श्रम बल की मजदूरी से संबंधित केन्द्र सरकार के श्रम कानून की शर्तों को निविदाकर्ता द्वारा पूरा नहीं करने पर उनके ऑफर को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देने' और 'मजदूरी दर के लिए दर परिवर्तन कानून (PVC) लागू होने' की शर्तों को निविदा में शामिल किया गया, उसके बाद निविदा खुलने की तारीख को लागू केन्द्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर/इ पी एफ की दर वैधानिक हो जाती है और ऐसी अवस्था में निविदा खुलने की तिथि को लागू न्यूनतम मजदूरी दर व ई पी एफ दर से कम दर ऑफर करने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहना चाहिए था। विभिन्न फर्मों से अलग-अलग तरह से प्राप्त हुए मजदूरी दर व इ पी एफ दर को, जिन फर्मों द्वारा इस शर्त के साथ अपना ऑफर दिया गया था कि बिलिंग के समय लागू मजदूरी/इ पी एफ दर चार्ज किया जाएगा, निविदा खुलने की तिथि को लागू मजदूरी दर व इ पी एफ दर पर अद्यतन कर, फर्मों की परस्पर रैंकिंग निर्धारित करनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और ऑफर किए गए दर (पुराने/गलत) पर आदेश के लिए विचार किया गया। न्यूनतम मजदूरी दर के लिए दर परिवर्तन कानून (PVC) के लागू होने की स्थिति में जिस प्रतिष्ठान को कम मजदूरी दर पर निविदा आवंटित की गई वह निविदा खुलने की तिथि को प्रभावी मजदूरी दर से दावा करने के लिए सक्षम था। निविदा खुलने की तिथि पर प्रभावी मजदूरी दर से कम दर/कम इ पी एफ दर पर निविदा आंवटित करने की स्थिति में मजदूरी दर पर दर परिवर्तन कानून (PVC) किस प्रकार लागू होगा, समझौते में इसका उल्ललेख नहीं किया गया था।

**अतः स्टेशन 'ए' की सफाई निविदा में M/s 'X' द्वारा पुराने मजदूरी दर एवं कम इ पी एफ दर @ 10% से दर ऑफर किए जाने के बाद भी**

EPF rate as mentioned in the tender document with and without remarks that billing would be done as per the rates prevailing as on the date of tender opening, as per estimated old wage rate but correct EPF rate and as per the prevailing rates of wages and EPF as on the date of tender opening.

Once the conditions that "violation of minimum wages act is prohibited", condition for "summarily rejection of offers of tenderers not fulfilling the labour laws condition of central govt for manpower cost" and "PVC for wage rate" had been mentioned in the tender condition, the prevailing minimum wage rate/EPF rate of central govt. as on the date of tender opening became statutory and option for quoting rates lower than the prevailing minimum wages rates and EPF rate should not have been there. Inter-se ranking of the firms in case of offers at different rates of wages/EPF and who had offered that billing would be done as per the prevailing rate of labour & EPF, was then required to be assessed after updating all the offered rates at the prevailing rate of wages/EPF/other taxes on the date of tender opening. But, in this case it was not done and the offered rates (though old/incorrect) were considered for ordering. Due to applicability of PVC for minimum wages, the firm on whom contract at lower wage rate had been awarded was able to claim payment as per the rate applicable as on the date of tender opening. In the event of awarding contract at lower rate than the prevailing wages rate/ EPF rate as on the date of tender opening, how PVC on the wage rates would be applicable, was not mentioned in the agreement.

**Therefore, in the cleaning contract of station 'A', M/s 'X' offered as per old rate of labour wages and lesser EPF rate**

**इस निविदा शर्त कि–'जिन फर्मों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर की शर्त को पूरा नहीं किया जाएगा उनके ऑफर को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा'' की अवहेलना कर निविदा आवंटित की गई। कम मजदूरी दर एवं गलत इ पी एफ दर ( वैसे फर्म जिनके द्वारा बिलिंग, कार्य के दिन प्रभावी मजदूरी दर से की जाएगी की टिप्पणी दी गई ), को अद्यतन नहीं किए जाने के कारण, फर्मों की रैंकिंग बिगड़ ( vitiate हो ) गई।**

(iii) एक अन्य स्टेशन 'बी' की सफाई निविदा में M/s 'Y' द्वारा निविदा खुलने की तिथि पर प्रभावी दर से कम मजदूरी दर ऑफर किया गया। निविदा खुलने की तिथि पर मजदूरी दर unskilled 220/- रु, semi-skilled 256/-रु तथा skilled labour 309/-रु और EPF 13.61%, ESI 4.75% थी। फर्म द्वारा unskilled 207/- रु, semi-skilled 241/- रु तथा skilled labour 291/-रु, **इ पी एफ/इ एस आई सहित ऑफर किया गया। निविदा खुलने के बाद फर्म ने यह गलत सूचित किया कि उसके द्वारा मजदूरी दर इ पी एफ और इ एस आई छोड़कर ऑफर किए गए थे।** उन्होंने लिखा कि इ पी एफ एवं इ एस आई न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनके द्वारा इ पी एफ एवं इ एस आई का भुगतान स्वयं किया जाएगा। **फर्म द्वारा यह पत्र निविदा खुलने के बाद लिखा गया जिस पर निविदा समिति के द्वारा विचार किया गया एवं निविदा फर्म को आवंटित की गई।**

टेबुलेशन स्टेटमेंट एवं ब्रीफ नोट की विधिक्षा के क्रम में वित्त विभाग ने M/s 'Y' के ऑफर पर निविदा खुलने की तिथि को प्रभावी दर से कम मजदूरी दर ऑफर करने के कारण विचार नहीं किया जाए का मंतव्य दिया। वित्त विभाग की अभियुक्ति पर निविदा समिति की कार्यवृत में यथाविधि चर्चा नहीं की गई एवं निविदा के आवंटन के लिए M/s 'Y' के ऑफर को निविदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

(iv) जाँच के क्रम में यह पाया गया कि स्टेशन 'ए' एवं 'बी' की सफाई की वर्तमान निविदा में प्राक्कलन एवं आबंटित मूल्य पूर्व की संविदा से काफी

**@ 10%, despite that contract was awarded in favour of the firm violating the tender condition that offers of the firms not fulfilling the minimum wages rate condition would be summarily rejected. Due to non-updation of offered lower wage and incorrect EPF rates (of such firms who had given remarks that billing would be done as per the prevailing wage and EPF rates), rankings of the firms were also vitiated.**

(iii) In Cleaning Contract of another station 'B', the firm M/s 'Y' offered lower wage rate than the prevailing rate as on the date of tender opening. The wage rates prevailing on the date of tender opening were Rs 220/- for unskilled, Rs 256/- for semi skilled and Rs 309/- for skilled personnel plus 13.61% EPF and 4.75% ESI. The firm offered wages rate @ Rs 207/- for unskilled, Rs 241/- for semi skilled and Rs 291/- for skilled personnel **including EPF & ESI. Later on after opening of tender the firm wrongly intimated that the wage rates offered by them were excluding EPF & ESI.** They wrote that EPF and ESI do not come within the purview of Minimum Wages Act and the same would be paid by them on their own. **This letter of the firm written after opening of tender was considered by the TC and contract was awarded to the firm.**

Finance during vetting of Tabulation statement and Brief Note had opined that the offer of firm M/s 'Y' should not be considered as they had offered lower wage rate than the prevailing rate on the date of tender opening. This observation of Finance had not been discussed duly in the TCM and M/s 'Y' was considered by the TC for ordering.

(iv) It was noted during investigation that the estimated and awarded values of the current cleaning contracts for stations 'A' and 'B'

ज्यादा यानि क्रमशः लगभग 250% व 350% अधिक था। पूर्व एवं वर्तमान समझौते में दर के शिड्यूल को अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया गया था। नए समझौते में कालोनियों की सफाई में विभागीय व्यक्ति को लगाए जाने से संबंधित 1996 के यार्डस्टिक के अनुसार श्रम शक्ति लगाए जाने, न्युनतम मजदूरी दर अधिनियम का अनुपालन किए जाने, कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने इत्यादि को शामिल किया गया एवं अलग-अलग मद यथा मजदूर, मशीन, सफाई सामग्री, वर्दी इत्यादि के दर माँगे गए। पूर्व के समझौते में वर्ग फिट में सफाई के क्षेत्रफल के आधार पर दर माँगे गए थे। प्राक्कलन बनाने के स्तर पर इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि क्यों दर शिड्यूल के बदल देने से कार्य की अनुमानित राशि पुराने कार्य की राशि से 250%-350% अधिक बढ़ गई जबकि सफाई किए जाने के क्षेत्रफल में कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं हुई थी।

एक ही मंडल के दो अलग-अलग स्टेशनों एवं विभिन्न मंडलों के स्टेशनों में सफाई निविदा के कार्यवृत भी समान नहीं पाए गए।

(v) दोंनों 'ए' एवं 'बी' स्टेशनों की सफाई निविदा के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संवेदकों द्वारा जानबूझकर कम मजदूरी दर एवं कभी-कभी बिना इ पी एफ और इ एस आई के, इस प्रतिबद्धता के साथ दर ऑफर किए गए कि न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम के अनुपालन के लिए शेष राशि स्वयं उनके द्वारा भुगतान की जाएगी। सफाई निविदा के मूल्य में मजदूरी का मूल्य एक प्रमुख हिस्सा (70% से अधिक) है। संवेदकों द्वारा कम ऑफर की गई मजदूरी दर के लिए स्वयं अपने दम पर शेष मजदूरी राशि प्रदान करने के दावे सही एवं तार्किक प्रतीत नहीं होते हैं। संवेदकों के द्वारा कम मजदूरों की तैनाती कर अधिक का भुगतान का दावा करने के विचार के साथ कम मजदूरी दर ऑफर किया जाता हैं। पूर्व मध्य रेल में सफाई निविदा में वर्णित मजदूरों की संख्या से कम मजदूरों की तैनाती के उदाहरण करीब सभी स्टेशनों पर पाए गए।

मामला अभी अन्वेषणाधीन है।

were **much higher i.e. by more than 250% and approx. 350% than the previous contract values.** Schedule of rate for earlier agreement and current agreement had been defined differently. In new agreement, factors like provision of manpower as per yardstick of 1996 for engagement of departmental personnel for cleaning of colonies, compliance of minimum wages act, providing safety equipments to workers etc. had been included and rates for items like labour, machine, cleaning materials, uniform etc had been asked separately. In earlier agreements, rates were asked for the area to be cleaned in sqft/rft. This aspect was not discussed during estimate stage that why due to change in schedule of rate, the estimated value of the work increased by 250-350% than the cost of earlier work though there was no appreciable change in the area of cleaning.

Current scopes of work for cleaning contracts of two different stations of the same division and stations of different divisions were also not found similar.

(v) From investigation of the cleaning contracts of both stations 'A' and 'B', it was noted that tenderers knowingly offer lower wage rates and sometimes without EPF & ESI with the commitment that to comply the minimum labour wages act, balance amount would be paid by them on their own. The cost component of labour constitutes the major part (more than 70%) of the cleaning contract. Under this situation, making payment to the labours for less offered wage rate by the contractors on their own does not seem to be correct and logical. The tenderes thus offer lower wage rates with the idea of deploying less labours during execution of the contract and claiming payment of more. Instances of deployment of less labours than the provision in cleaning contracts have been noted at all stations of ECR.

The case is under investigation.

## 2. एमआरआई एवं सिटीस्कैन के ठेके के निष्पादन में अनियमितताएँ

– **विकास कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

अस्पताल इकाइयों द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत कराए जा रहे रोगियों के सिटीस्कैन एवं एमआरआई के कार्य में अनियमितताओं का पता लगाने हेतु जाँच की गई। निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः–

क. केन्द्रों के चुनाव हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए किसी भी अस्पताल इकाई द्वारा निविदा समिति का गठन नहीं किया गया। फिर भी एक अस्पताल इकाई 'क' को छोड़कर बाकी सभी अस्पताल इकाइयों ने प्रत्येक मामले में केन्द्रों के चुनाव हेतु तीन या तीन से ज्यादा चिकित्सकों का एक पैनल मनोनित किया था। **अस्पताल इकाई 'क' ने तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन मात्र एक चिकित्सक के द्वारा कराया।**

ख. मुख्य चिकित्सा निदेशक कार्यालय के परामर्श के अनुरूप सभी अस्पताल इकाइयों ने निविदा के पूर्व निर्धारित पात्रता की शर्तों का प्रकाशन कराया था। परन्तु तकनीकी उपयुक्तता निर्धारित करते समय कुछ अस्पताल इकाइयों ने इस विषय पर यह चर्चा नहीं की कि प्रस्तावकर्ताओं ने निविदा की सभी शर्तों का अनुपालन किया है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, अस्पताल इकाई 'क' ने एक मामले में दो फर्मों को वित्तीय बोली के लिए अयोग्य ठहराया था परन्तु बिना इस चर्चा के कि ये दोनों प्रस्तावकर्ता फर्म पात्रता की किन शर्तों का अनुपालन नहीं करते थे। एक अन्य मामले में एक प्रस्तावकर्ता के प्रस्ताव को इकाई 'क' के मु.चि.अधीक्षक ने यह कहते हुए अयोग्य ठहराया कि प्रस्तावकर्ता के पास कुछ ढांचागत सुविधाओं जैसे रोगियों के लिए शौचालय आदि की कमी है परन्तु ऐसी कोई भी शर्त निविदा की पूर्व निर्धारित पात्रता की शर्तों में शामिल नहीं थी। इसी अस्पताल इकाई ने इसी प्रस्तावकर्ता को समान कार्य के लिए पिछले वर्ष भी ठेका दिया था एवं उक्त ठेके के अन्तर्गत फर्म के द्वारा किए गए कार्य निष्पादन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/शिकायत नहीं पाई गई थी। हालांकि मु.चि.अधीक्षक की सिफारिश को अनुमोदन प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया एवं तकनीकी बोलियों की नए सिरे से जाँच इसी इकाई के अपर मु.चि.अधीक्षक के द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए।

ग. एमआरआई एवं सिटीस्कैन के आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव की वित्तीय सहमति अस्पताल इकाई 'ख' के द्वारा एक मामले में एवं इकाई 'ग' के द्वारा सभी

## II. Irregularities in finalization of contracts for MRI & CT scan

**- Vikash Kumar,** CVI/S

Checks were conducted in hospital units to find out irregularities in outsourcing of work for conducting CT scan & MRI of patients. Following irredularities were noted:-

(i) No TC (Tender Committee) was constituted by any hospital for evaluation of technical bids to shortlist a panel of centers from whom financial bids were to be called for. However, hospital authorities nominated a panel of three or more doctors for shortlisting of centers except one hospital **'A' where technical bids were scrutinized by a single doctor.**

(ii) Pre-determined eligibility criteria, as advised by CMD office for judging technical suitability of offers, were published by hospitals but while deciding technical suitability, compliance of all criteria by offerers were not discussed by some of the hospitals. For example, two firms were not considered for calling financial bids in one case by the hospital unit 'A' without specifically mentioning that which predetermined eligibility criteria was not fulfilled by these two firms in their offers. In another case, offer of one firm was not considered for calling of financial bid by CMS of the hospital unit 'A' owing tolack of certain infrastructural facilities with the firm like toilet for patients etc. which were not included in the predetermined eligibility criteria/parameters. This firm was, however, awarded contract for the same work during previous year by the hospital unit 'A' and no adverse remark/ complaint in execution of work by the firm was noted. Recommendation of CMS was, however, not accepted by the approving authority and the matter was got re-examined by ACMS of the same hospital.

(iii) Finance concurrence of proposal for outsourcing of MRI & CT Scan was obtained in only one case (out of four cases) by the

मामलों में प्राप्त की गई परन्तु अन्य अस्पताल इकाईयों द्वारा किसी भी मामले में वित्तीय सहमति प्राप्त नहीं की गई । हालांकि सभी अस्पताल इकाईयों ने इकाई 'क' के तीन मामलों को छोडकर वित्तीय बोलियों के टेबुलेशन स्टेटमेन्ट की वित्तीय विधिक्षा करवाई । अस्पताल इकाई 'क' के उक्त तीन मामलों में संबंधित वित्त विभाग ने ब्रीफनोट की विधिक्षा करने से इन्कार कर दिया तथा मात्र दरों की अनुसूची की ही वित्त विभाग ने विधिक्षा की।

घ. निविदा मूल्य का आकलन किसी भी अस्पताल इकाई द्वारा पिछले वर्ष के एमआरआई एवं सिटीस्कैन के मामलों, समान मद का समान अस्पताल इकाई या अन्य अस्पताल इकाई द्वारा पिछले स्वीकृत दर या सीजीएचएस दर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए था, परन्तु अस्पताल इकाईयों ने किसी भी मामले में ऐसा नहीं किया।

ङ. भिन्न-भिन्न अस्पताल इकाईयों ने भिन्न-भिन्न तरह के एमआरआई एवं सीटीस्केन की जांच हेतु करार किए। उदाहरण के लिए, एमआरई एवं सिटीस्कैन की जांच के लिए किसी एक वर्ष में एक अस्पताल इकाई 'क' के द्वारा 24 मदों, 'ख' के द्वारा 11 मदों, 'ग' के द्वारा 34 मदों, 'घ' के द्वारा 14 मदों एवं 'ड.' के द्वारा 53 मदों के लिए निविदा की प्रक्रिया अपनाई गई। समान अस्पताल इकाईयों के द्वारा भी भिन्न-भिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न तरह के एमआरआई एवं सिटीस्कैन की जांच के ठेके देने की प्रक्रिया अपनाई गई। उदाहरण के लिए, अस्पताल इकाई 'क' के द्वारा एमआरआई एवं सिटीस्कैन के वर्ष 2009 में 16 मदों, वर्ष 2011 में 15 मदों, वर्ष 2013 में 22 मदों एवं वर्ष 2014 में 24 मदों के लिए निविदा की प्रक्रिया अपनाई गई।

च. सभी अस्पताल इकाईयों द्वारा एमआरआई एवं सिटीस्कैन के जांच की दर की उचितता उसी इकाई/अन्य मंडलीय इकाई/अन्य क्षेत्रीय इकाई द्वारा पिछले स्वीकृत दर/सीजीएचएस दर को ध्यान में रखकर प्रमाणित नहीं की गई। परिणामस्वरूप इकाईयों द्वारा दिए गए ठेकों में कुछ मदों के दर पिछले स्वीकृत दर से 40 से 70% अधिक पाए गए। कुछ मामलों में स्वीकृत दर अन्य अस्पताल इकाईयों द्वारा स्वीकृत दर/सीजीएचएस दर से 150 से 200% अधिक पाए गए।

मामला जांच के अधीन है।

hospital unit 'B' and in all cases by hospital unit 'C' but it was not obtained in any case by other hospital units. Finance vetting of tabulation statement was however got done by the hospital units in each case except in three cases of hospital unit 'A'. In these three cases of hospital unit 'A', finance denied to vet the brief note and hence only schedule of rates were got certified by finance.

(iv) Tender value was not assessed by any of the hospital units by taking into account MRI/CT scan cases handled during previous years and CGHS rate/LARs of same and/or other units.

(v) Different hospitals awarded contracts for different types of tests of MRI & CT Scan which varied widely. For example, cases were processed for 24 nos of items of MRI & CT Scan by hospital 'A', 11 nos by 'B', 34 nos by 'C', 14 nos by 'D' & 53 nos by 'E' in a year. The same hospitals also processed contracts for different types of tests during different years. For example, the same hospital 'A' processed cases for 16 nos. of items of MRI & CT Scan in the year 2009, 15 nos. in year 2011, 22 nos. in year 2013 & 24 nos. in year 2014.

(vii) Rate reasonability of tests by comparing the offered rates with LARs, CGHS rates and/or rates of same/other divisions/zonal railways was not certified by all the Hospitals. This caused award of contract by the same units at higher rates in some cases by 40 to 70% of their previous rates. In some cases, rates were higher by 150 to 200 % in comparison to rate of other hospitals/ CGHS rates.

The case is under investigation.

# <u>सुरक्षा</u>

- **के.के. मिश्र,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/सुरक्षा

## 1. रेसुब कर्मियों की सेवा पुस्तिका में अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के तहत जारी दंडात्मक आदेश के सारांश का समय से प्रविष्टि नहीं किया जाना

'ए' एवं 'बी' मंडल के सुरक्षा आयुक्त कार्यालय में रेसुब कर्मियों की सेवा पुस्तिका में अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के तहत जारी दंडात्मक आदेश के सारांश की प्रविष्टि से संबंधित जाँच के क्रम में निम्न अनियमितताएँ पाई गई:-

(i) मंडल 'ए' में जाँच के क्रम में पाया गया कि जनवरी 2015 से दिनांक: 12.08.15 तक की अवधि में कुल 06 दीर्घ शास्ति आरोप पत्र एवं कुल 13 लघु शास्ति आरोप पत्र जारी किए गए। 06 दीर्घ शास्ति आरोप पत्र के विरुद्ध निर्गत 03 दंडात्मक आदेश में से सिर्फ एक आदेश का सारांश संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना पाया गया तथा शेष दो मामलों में संबंधित कर्मी की सेवा पुस्तिका जाँच की तिथि पर प्रस्तुत नहीं की गई।

(ii) मंडल द्वारा जारी कुल 13 लघु शास्ति आरोप पत्र के मामलों के निस्तारण आदेश निर्गत पाए जाने के बाद भी 13 में से कुल 7 मामलों में हीं निर्गत दंडात्मक आदेश के सारांश सही-सही सक्षम कार्यालयी के हस्ताक्षर सहित संबंधित कर्मी की सेवा पुस्तिका में अंकित पाए गए। शेष 05 मामलों में दंडात्मक आदेश के सारांश तो संबंधित कर्मी की सेवापुस्तिका में अंकित किए गए परन्तु उस प्रविष्टि की प्रमाणिकता स्वरुप सक्षम कार्यालयी का हस्ताक्षर नहीं लिया गया। शेष बचे एक मामले में जाँच की तिथि तक निर्गत आदेश का सारांश संबंधित कर्मी की सेवापुस्तिका में अंकित नहीं किया गया।

(iii) इसी मंडल में जाँच के क्रम में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि एक रेसुब कर्मी को एक ही घटना के लिए दो बार आरोपित कर दो बार दंडात्मक आदेश जारी किए गए।

उपरोक्त मामले में जाँच पूरी की गई है तथा अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के डीलर जो इस स्थान पर 20 वर्षों से भी अधिक समय से पदस्थापित थे को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने तथा उनको लघुदंड आरोप पत्र (परिनिन्दा एवं सुविधा पास या सुविधा टिकट रोके जाने के अतिरिक्त) जारी करने का सुझाव दिया गया।

(iii) मंडल 'बी', में जाँच के क्रम में माह अप्रैल 2015 से माह मार्च 2016 तक की अवधि में कुल 03 दीर्घ शास्ति आरोप पत्र निर्गत किया जाना पाया गया। जाँच की तिथि तक उपरोक्त तीनों मामलों की जाँच लगभग छः माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लंबित पाई गई।

(iv) मंडल के लघु दंड शास्ति के अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अवधि में कुल 17 लघु शास्ति आरोप पत्र निर्गत पाए गए। निर्गत 17 आरोप पत्र में से 15 मामलों में दंडात्मक आदेश निर्गत पाए जाने के बाद भी 15 में से कुल 7 मामलों में हीं निर्गत दंडात्मक आदेश के सारांश सही-सही सक्षम कार्यालयी के हस्ताक्षर सहित संबंधित कर्मी की सेवा पुस्तिका में अंकित पाए गए। शेष 05 मामलों में दंडात्मक आदेश के सारांश तो संबंधित कर्मी की सेवापुस्तिका में अंकित किए गए परन्तु उस प्रविष्टि की प्रमाणिकता स्वरुप सक्षम कार्यलयी का हस्ताक्षर नहीं लिया गया। एक मामले में जाँच की तिथि तक निर्गत आदेश का सारांश संबंधित कर्मी की सेवापुस्तिका में अंकित नहीं किया गया एवं शेष बचे दो मामलों में यह कहकर कि सेवा पुस्तिका एक अन्य मंडल में एमएसीपी हेतु भेजी गई है, जाँच की तिथि पर सेवा पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।

(v) अन्य मंडल में मंडल 'बी' द्वारा एमएसीपी हेतु भेजी गई दोनों सेवा पुस्तिकाओं की जाँच के क्रम में पाया यह गया कि दोंनों कर्मियों के विरुद्ध दिनांकः 12.06.15 एवं दिनांकः 22.01.16 को दण्डादेश जारी किए जाने के बाद भी जाँच की तिथि 05.05.16 तक अर्थात लगभग 11 माह एवं 05 महीने बीत जाने तक मंडल 'बी' द्वारा बिना दण्डादेश सारांश की प्रविष्टि के हीं सेवा पुस्तिका अन्य मंडल को भेजी गई।

उपरोक्त मामले में जाँच पूरी की गई है तथा अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के डीलर के विरुद्ध लघुदंड आरोप पत्र जारी करने का सुझाव दिया गया।

## केस अध्ययन

# भंडार

## 1. निम्न गुणवत्ता वाले पेन्ट की आपूर्ति, अवास्तविक अनुमानित वार्षिक खपत का निर्धारण और भारी मात्रा की खरीद

**प्रमोद यादव**, मुसतानि/भंडार

Paint Exterior synthetic Finishing Air craft Blue की गुणवत्ता पता करने हेतु गढ़हरा भंडार डिपो में जाँच की गई। **सरकारी प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में सामग्री फेल हो गयी।** भंडार नियंत्रक/पूमरे से अनुरोध किया गया कि सामग्री की खराब गुणवत्ता के पहलू को ध्यान में रखते हुए आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान और जाँच एजेन्सी पर कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस प्रतिष्ठान को क्रयादेश देने के वक्त इस पहलू को ध्यान में रखा जाए।

सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के दौरान सामग्री के निर्गमन, अनुमानित वार्षिक खपत के निर्धारण और खरीद से संबंधित निम्न अनियमितताएँ दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् पायी गयी:

**(अ) सामग्री का निर्गमन :-** वर्ष 2014-15 में सामग्री की प्राप्ति के उपरान्त भंडार डिपो के द्वारा लगभग आठ माह में अनुमानित वार्षिक खपत से **97.5 प्रतिशत अधिक** सामग्री निर्गत की गयी। डिपो से इतनी भारी मात्रा में सामग्री के निर्गमन का उद्देश्य यही था कि यथाशीघ्र इसके स्टॉक को नि:शेष कर दिया जाए क्योंकि यह एक जीवनाधि मद था। यह भी तथ्य पाया गया कि गढ़हरा एवं समस्तीपुर दोनों ही डिपो के द्वारा अनुमानित वार्षिक खपत से कम सामग्री निर्गत की गयी (समस्तीपुर डिपो ने अनुमानित वार्षिक खपत के आधे से भी कम मात्रा निर्गत की) और इसी अवधि में **वैसे उपयोगकर्ता जिनका कोई अनुमानित वार्षिक खपत निर्धारित नहीं था, उनको भी काफी अधिक मात्रा में सामग्री निर्गत की गयी।** इन पहलूओं की कि क्यों (अ) माँगकर्ताओं को अनुमानित वार्षिक खपत से कम और (ब) वैसी इकाई जिनका कोई अनुमानित वार्षिक खपत निर्धारित नहीं था उन्हें भी सामग्री निर्गत की गयी, की जाँच के लिए मद के अनुमानित वार्षिक खपत के निर्धारण और भंडार नियंत्रक के द्वारा मद की खरीदारी के पहलुओं की समीक्षा की गई।

**(ब) अनुमानित वार्षिक खपत का निर्धारण-** दानापुर एवं धनबाद मंडल के

# STORES

## I. Supply of inferior quality of paint, unrealistic EAC fixation and huge procurement

**Pramod Yadav,** CVI/S

A Check was conducted at GHZ Stores Depot to ascertain the quality of Paint Exterior Synthetic Finishing Air Craft Blue. **The material failed in quality test at a govt. lab.** COS/ECR was requested to take up the issue of bad quality of supply with the firm and the inspecting agency and keep this aspect in view while ordering on the firm in future.

During the course of quality check of the material, following irregularities in issue, fixation of EAC and procurement of material were also noted from records:

(a) **Issue of material:** The item was issued by the stores depot by **more than 97.5% of its EAC** in about eight months after receipt of material in 2014-15. The intention behind such huge issue of material by the Depot was to exhaust the stock as soon as possible as it was a shelf life item. It was also noted that during 2015-16, the material was issued less than EAC by both the stores depots GHZ and SPJ (this depot issued less than half the EAC) and at the same time **large amount of the material was issued to those units whose EAC was not available** for the item. To examine the aspects that why (a) issue less than EAC to indentors and (b) issue to other units whose EAC was not available were made, fixation of EAC of the item and procurement of the item by COS office were investigated.

(b) **Fixation of EAC:** EAC of the item of the end users of DNR and

उपयोगकर्ताओं की लगातार तीन-चार वर्षों की इस मद की अनुमानित वार्षिक खपत की जाँच की गई। यह संज्ञान में आया कि 2013-14 और 2014-15 में अनुमानित वार्षिक खपत से कम खपत होने के बावजूद **बिना कारण ही दानापुर मंडल के द्वारा 2015-16 की अनुमानित वार्षिक खपत में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई।** हालाँकि धनबाद मंडल द्वारा बाद के वर्षों में अनुमानित वार्षिक खपत में कमी की गयी और अनुमानित वार्षिक खपत का निर्धारण भंडार नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुकूल किया गया। इस प्रकार दानापुर मंडल के द्वारा मद की अनुमानित वार्षिक खपत का निर्धारण वास्तविक रूप से नहीं किया गया।

**(स) मद की खरीद**- मद की खरीद हेतु मांग पत्र गढ़हरा, समस्तीपुर, हरनौत और बॉक्सन/मुगलसराय डिपो के द्वारा बनाए गए। बॉक्सन/मुगलसराय की आवश्यकता को दोनों डिपो गढ़हरा एवं बॉक्सन/मुगलसराय की मांग में शामिल किया गया। यह पाया गया कि **गढ़हरा डिपो द्वारा अनुमानित वार्षिक खपत 12,880 लीटर के स्थान पर 26,260 लीटर** अर्थात दो वर्षों से भी अधिाक की आवश्यकता का मांग पत्र बनाया गया। हालाँकि, गढ़हरा डिपो द्वारा अपनी गलती को सुधारा गया और मांग समीक्षा मुख्यालय को भेजी गयी जिसके माध्यम से केवल 16,833 लीटर खरीदने हेतु सलाह दी गयी तथा फिर बाद में मुख्यालय द्वारा क्रयादेश जारी करते समय डिपो द्वारा कहा गया कि केवल 12,880 लीटर ही खरीद की जाए। हालाँकि **गढ़हरा डिपो के इस सही प्रयास के कोई अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि दोनों मांग समीक्षा मुख्यालय को प्राप्त तो हुए लेकिन उन्हें मिसिल में नहीं लगाया गया।** इस प्रकार से एक जीवनावधि मद के दो साल से अधिक की आवश्यकता की खरीद बिना अलग-अलग परिदान तिथि (Staggered delivery) के की गयी।

एक प्रणाली सुधार पत्र पहले भी इसी तरह के समान मामले में जाँच के दौरान पायी गई उपरोक्त अनियमिताओं हेतु जारी किया गया था। उसी के अनुपालन हेतु भंडार नियंत्रक एवं मुख्य यांत्रिक अभियंता को कहा गया है। वित्त सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी से आग्रह किया गया है कि क्रयादेश के विधिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित कराया जाए कि निविदा समिति/स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा डिपो से प्राप्त मांग समीक्षा के आधार पर ही खरीद की मात्रा का निर्धारण किया गया है। भंडार नियंत्रक से यह

DHN divisions of consecutive 3-4 years was examined. It was noted that despite less consumption than the EAC in 2013-14 and 2014-15, DNR division **increased the EAC of 2015-16 of the item by more than 50% without any reason.** DHN, however, kept on reducing the EAC in subsequent years and fixed EAC of the item as per the instruction issued by COS Office. **EAC of the item was thus not fixed by DNR division realistically.**

**(c) Procurement of the item:** Demands for procurement of the item were made by GHZ, SPJ, HRT and BOXN/MGS depots. Requirement of BOXN/MGS was included in demands of both GHZ and BOXN/MGS depots. It was noted that **against EAC of 12,880 ltrs, GHZ depot made demand for 26, 260 ltrs** i.e. for more than two years requirement. However, GHZ depot rectified its mistake and advised HQs to procure only 16,833 ltrs by sending Demand Review immediately after sending the demand and subsequently at the time of placement of PO by HQs, the depot asked to purchase only 12,880 ltrs for it. The right efforts of GHZ depot, however, **did not bear any good result as both the Demand Reviews though were received at HQs but not put up in file.** More than two years requirement of shelf life item was thus purchased without keeping any condition for staggered delivery.

A System Improvement Letter had already been issued covering the above irregularities in similar case investigated earlier. Compliance of the same was asked from COS and CME. FA&CAO was requested that while vetting the POs, finance should ensure that Demand Review from depot was called for

भी आग्रह किया गया है कि जीवनावधि मद हेतु अलग-अलग परिदान तिथि (Staggered delivery) का प्रावधान क्रयादेश में किया जाए। हरनौत डिपो की अनुमानित वार्षिक खपत काफी अधिक (9000 लीटर) होने के कारण मुख्य कारखाना प्रबंधक/हरनौत को मद की आवश्यकता की समीक्षा करने हेतु कहा गया है।

## 2. आर.ओ. जलशोधक की आपूर्ति और प्राप्ति में अनियमितताएँ

**प्रमोद यादव**, मुसतानि/भंडार

एक मंडल में स्थानीय खरीद के माध्यम से आपूर्तित आर.ओ. जलशोधक की प्रामाणिकता की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईः-

(i) मंडल में आर.ओ. जलशोधक की खरीद हेतु स्थानीय क्रय निविदा खोली गई और क्रयादेश जारी किया गया। सबसे कम दर प्रस्तावक प्रतिष्ठान मेर्सस 'ए' जिस पर क्रयादेश जारी किया गया था, वे आर.ओ. जलशोधक के निर्माता नहीं थे और उनके ऑफर में, जिस मद की आपूर्ति की जानी थी, उसके मेक/ब्रांड के नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया था। वारंटी शर्त भी प्रतिष्ठान के दर प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं था। माँगकर्त्ता अधिकारी ने प्रस्तावों की तकनीकी उपयुक्तता और दर की औचित्यता देने के समय प्रतिष्ठानों के ऑफर की जाँच/समीक्षा सही तरीके से नहीं की। यह भी पाया गया कि निविदा की विशेष शर्त में निर्माणकर्ता प्रतिष्ठान से प्राधिकरण प्रमाण पत्र, उत्पाद सूची, मूल्य सूची आदि दस्तावेज ऑफर के साथ प्रस्तुत करने से संबधित शर्तों का उल्लेंख नहीं किया गया।

(ii) उपरोक्त क्रयादेश के तहत् आपूर्तित आर.ओ. जलशोधक का निरीक्षण जिस माँगकर्ता कार्यालयी के द्वारा किया गया था, उन्होंने अपने निरीक्षण प्रमाण पत्र में सामग्री की क्रम सं. का उल्लेख नहीं किया। साथ ही साथ, जिन्होंने इन सामग्रियों को प्राप्त किया था उनके द्वारा भी लेजर में क्रम सं. का उल्लेख नहीं किया गया और न हीं चलान, बीजक और बिल इत्यादि पर सामग्री की क्रम सं. आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा अंकित करायी गई। आर.ओ. जलशोधक की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए क्रम सं. एक महत्वपूर्ण कारक है और भविष्य में वारंटी अविध में उपकरणों की विफलता को आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान/निर्माणकर्ता के संज्ञान में लाने के लिए यह आवश्यक है। उन

by the purchase officer and considered at the time of TC meeting/ acceptance. COS was also requested that for shelf life items provision for staggered delivery be kept in POs. EAC of HRT depot for the item was considered to be very high (9000 ltrs). CWM/HRT was asked to review the requirement.

## II. Irregulatities in supply and receipt of RO Water Purifier

**Pramod Yadav,** CVI/S

During a check pertaining to genuineness of RO water purifiers supplied at a division against Local purchase and their use, following irregularities were noted:

(i) For purchase of RO water purifier, LP tender was opened in division and PO was placed. The lowest offerer M/s "A" on whom PO was placed was not a manufacturer of RO water purifier and also did not mention in their offer the name of make/brand of item to be supplied by them. Warranty condition offered by the firm was also not clear. The indenting officer while giving technical suitability & rate reasonability of offers did not properly scrutinize the offers of the firms. It was also noted that specific tender conditions regarding submission of authorization certificate from OEM, product Catalogue, price list etc were not available in tender condition. The above irregularities resulted in supply of material of spurious quality

(ii) Officials of Indenting department who inspected the material RO water purifier supplied against above PO, did not mention the sl. no. of the item on IC as well as those who received the material also did not mention sl. no. of item on ledger and neither got it mentioned by the firm on challan, invoice, bill etc. Sl. No. is one of the key factors to ensure genuineness of items like RO water purifier and pursue the matter of warranty failure of equipment with the supplying firm/OEM in future. They also

कर्मियों ने आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान से आर.ओ. जलशोधक के निर्माणकर्ता प्रतिष्ठान का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी नहीं माँगा।

(iii) **गुणवत्ता की जाँच के दौरान, आपूर्तित आर.ओ. जलशोधक नकली पाए गए। आर.ओ. जलशोधक की आपूर्ति हेतु विशिष्ट निविदा शर्तों का उल्लेख नहीं होने के कारण नकली आर.ओ. जलशोधक की आपूर्ति हुई। आर.ओ. जलशोधक के बिल, चालान, निरीक्षण प्रमाण पत्र इत्यादि पर उपकरण की क्रम सं. अंकित नहीं होने के कारण साथ ही साथ आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान से निर्मातकर्ता प्रतिष्ठान के द्वारा प्रदत्त वारंटी प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाने से, दोषी प्रतिष्ठान के विरुद्ध नकली आर.ओ. जलशोधक की आपूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।**

(iv) मंडल द्वारा एक अन्य क्रयादेश जारी किया गया जिसके तहत् एक अन्य मांगकर्ता 'बी' को तीन अदद आर.ओ. जलशोधक की आपूर्ति की जानी थी। सामग्री की प्राप्ति के उपरान्त, इन आर.ओ. जलशोधक को तीन अलग-अलग स्टेशनों को उपयोग हेतु निर्गत किया गया।

(v) जाँच के दौरान, **मांगकर्ता 'ब' हेतु आदेशित आर.ओ. जलशोधक के मेक का ही एक आर.ओ. जलशोधक मंडल के मांगकर्ता विभाग के एक अधिकारी के आवास पर लगा हुआ पाया गया।** तीन आर.ओ. जलशोधक जो विभिन्न तीन स्टेशनों को दिए गए थे, बाद में जाँच के दौरान इन तीन स्टेशनों में से एक स्टेशन 'सी' पर आदेशित मेक से अलग मेक का एक आर.ओ. जलशोधक बिना चालू हालात में पाया गया। स्पष्टीकरण के दौरान स्टेशन 'सी' के स्टेशन प्रबंधक ने कहा कि आर.ओ. जलशोधक जो उनके स्टेशन को दिया गया था, कभी भी चालू हालात में नहीं था, परन्तु इसकी सूचना उन्होंने अपने अधिकारियों को नहीं दी। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि आपूर्तित तीन आर.ओ. जलशोधक में से एक नग सामग्री को मांगकर्ता विभाग के अधिकारी के आवास पर लगा दिया गया एवं उसके बदले दूसरे मेक का एक पुराना आर.ओ. जलशोधक जो चालू अवस्था में नहीं था, को स्टेशन 'सी' पर लगाया गया।

भंडार नियंत्रक/पूमरे/हाजीपुर से आग्रह किया गया है कि मंडल में स्थानीय क्रय करनेवाले कार्यालयी को सलाह दी जाए कि स्थानीय क्रय निविदाओं में उचित और विशिष्ट निविदा शर्तों को शामिल किया जाए। मंडल के मांगकर्ता को यह सलाह दिया गया है कि बिल, चालान, लेजर एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र आदि पर उपकरण की क्रम सं. अंकित की जाए, साथ ही साथ निर्माणकर्ता से उपकरण की वारंटी भी माँगी जाए।

मामला जाँच के अधीन है।

did not ask for guarantee / warrantee certificate of manufacture of the RO water purifier from the supplying firm.

(iii) **During quality check, the RO water purifiers supplied were found to be of spurious quality. Not mentioning specific tender condition for supply of RO water purifier caused supply of spurious material. Due to not mentioning sl. no. of RO on the bill, challan, IC etc as well as not asking warranty certificate of manufacturer from the supplying firm, no action against the defaulter firm could be taken for supply of spurious RO water purifier.**

(iv) Another PO was placed by the division for supply of 03 nos. of RO water purifiers for another indentor 'B'. After receipt, the RO water purifiers were given to end users at three different stations.

(v) During check, **one RO water purifier of the same make as ordered by division for indentor 'B' was found installed at the residence of one of the divisional officer of indenting department.** During subsequent checks at all the three stations to which 03 RO water purifiers were given, one water purifier of different make than the ordered one in non-working condition was found at one of the stations 'C'. Station Manager of that station 'C' during clarification stated that the RO water purifier given to his station was never in working condition but he did not report it to his officers. This raised doubt that one of the three RO water purifiers supplied to indentor 'B' was installed at the residence of Officer of indenting department and in lieu one old water purifier in non-functional condition of other make was installed at the station 'C'.

COS was requested to advice officials concerned with LP in division to incorporate appropriate and specific tender condition in LP tender cases. Divisional indentors were advised to mention sl. no. of equipments in Bill, Challan,Ledger & Inspection Certificate as well as ask for manufacturer's warranty of equipments.

The case is under investigation.

## 3. बिना निरीक्षण के कच्चे माल की जाँच रपट जारी करना

**राजीव कुमार**, मुसतानि/भंडार

ERC की आपूर्ति के लिए क्रयादेश मेसर्स 'एक्स' को जारी किया गया। आदेशित सामग्री के विनिर्देश के पारा 4.11.1 के अनुसार ERC के निर्माण के लिए उपयोग होने वाले कच्चे माल स्टील राउन्ड के निरीक्षण के दौरान, ERC के निर्माणकर्ता के द्वारा अन्य प्रासांगिक दस्तावेजों के साथ कच्चे माल राउन्ड स्टील के निर्माणकर्ता के द्वारा जारी इनवाईस व सामग्री जाँच रपट भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। विनिर्देश के पारा 3 के अनुसार कच्चा माल स्टील राउन्ड आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित स्रोतों से ही खरीदा जाना है।

उपरोक्त क्रयादेश के तहत् सामग्री की आपूर्ति 06 लॉटों में मेसर्स 'एक्स' के द्वारा की गयी। प्रथम लॉट के कच्चे माल व तैयार उत्पाद का निरीक्षण पूर्व मध्य रेल के प्रतिनिधि 'ए' के द्वारा और अन्य पाँच लॉटों का अन्य प्रतिनिधि 'बी' के द्वारा किया गया। सामग्री का निरीक्षण दो चरणों में किया जाना है- प्रथम चरण में कच्चे माल का निरीक्षण उसके निर्माणकर्त्ता द्वारा प्रदत्त इनवाईस व सामग्री जाँच रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है। द्वितीय चरण में तैयार उत्पाद यथा ईआरसी का निरीक्षण किया जाना है।

कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद (ERC) से संबंधित दस्तावेजों की जाँच की गयी। प्रतिनिधि 'बी' के द्वारा निरीक्षित सभी पाँच लॉटों के निरीक्षण से संबंधित दस्तावेजों के साथ कच्चे माल के निर्माता का इनवाईस व सामग्री जाँच रिपोर्ट जो कि निरीक्षण अधिकारी 'बी' के द्वारा प्रमाणीकृत था, पाए गए। कच्चे माल के निर्माता के द्वारा प्रदत्त इनवाईस और सामग्री जाँच रिपोर्ट निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत होना व इनका रिकार्ड में उपलब्ध रहना आवश्यक है, क्योंकि इनवाईस सं. निर्माणकर्त्ता प्रतिष्ठान के द्वारा जारी कच्ची सामग्री जाँच रिपोर्ट में तथा सामग्री जाँच प्रमाण पत्र सं. निरीक्षण अधिकारी द्वारा जारी सामग्री जाँच रिपोर्ट में अंकित किया जाता है। लेकिन उपरोक्त दोनों दस्तावेज अर्थात् कच्चे माल के निर्माणकर्त्ता का इनवाईस व सामग्री जाँच रिपोर्ट निरीक्षण अधिकारी 'ए' के द्वारा निरीक्षित प्रथम लॉट के निरीक्षण दस्तावेज के साथ नहीं पाया गया।

प्रथम लॉट के ERC के निर्माण के लिए आरडीएसओ अनुमोदित निर्माता

## III. Issue of raw material check report without inspection

**Rajeev Kumar,** CVI/S

PO for supply of ERC was placed on M/s 'X'. As per Para 4.11.1 of specification of ordered material , at the time of inspection of raw material steel round to be used for manufacture of ERC, the manufacturer of ERC had to furnish invoice and test report of raw material steel round of its manufacturer along with other relevant documents. As per para-3 of specification, R/M steel round is to be procured from RDSO approved sources.

The material against above PO was supplied by the firm M/s 'X' in 06 lots. Inspection of R/M and finished product of 1st lot was done by representative 'A' of ECR and of other 05 lots by another representatives 'B'. Inspection of the material is to be done in two stages - in 1st stage, inspection of raw material based on invoice & material test certificate of manufacturer of raw material is to be done and in 2nd stage inspection of finished product i.e. ERC is to be done.

Documents pertaining to inspection of raw material and finished product (ERC) were examined. For all the 05 lots inspected by 'B', invoice and test certificate of manufacturer of raw material duly authenticated by inspecting officials 'B' were available along with other relevant inspection documents. Invoice and test certificate of manufacturer of R/M are required to be authenticated by inspecting official and kept in record because invoice no. is mentioned in the test certificate of raw material furnished by manufacturer and test certificate no. of raw material is to be mentioned in material check report furnished by inspecting official. But both these documents i.e. invoice and manufacturer's test certificates of R/M authenticated by inspecting official 'A' were not available along with other relevant inspection documents for 1st lot of supply inspected by representatives 'A'.

For manufacture of 1st lot of ERC, R/M of heat nos (i) 'L'

द्वारा आपूर्तित कच्चे माल के रूप में हीट सं. (i) 'एल' मात्रा-'पी' एमटी और (ii) 'एम' मात्रा-'क्यू' एमटी प्रतिनिधि 'ए' द्वारा जारी कच्ची सामग्री जाँच रपट में दिखायी गई। उत्तर रेलवे में ERC की आपूर्ति से संबंधित निरीक्षण विवरणी भी प्राप्त की गयी। उत्तर रेलवे के कच्चे मालों के निरीक्षण संबंधी दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि समान हीट सं. (i) 'एल' मात्रा-'पी' एमटी और (ii) 'एम' मात्रा-'क्यू' एमटी वाली सामग्री का उपयोग उत्तर रेल के ERC के निर्माण के लिए किया गया था। कच्चा माल निर्माणकर्त्ता द्वारा जारी इनवाईस एवं जाँच प्रमाण पत्र जो हीट सं. (i) 'एल' और (ii) 'एम' के लिए था, को उत्तर रेल के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणीकृत किया गया था। उत्तर रेल के प्रतिनिधि के द्वारा पूर्व मध्य रेल से दो माह पूर्व कच्चे माल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व मध्य रेल के प्रतिनिधि 'ए' के द्वारा प्रथम लॉट की सामग्री जाँच रिपोर्ट में कच्चे माल के निर्माणकर्त्ता का समान इनवाईस सं. व हीट सं. दिया गया था, लेकिन इन दस्तावेजों को प्रमाणीकृत नहीं किया गया।

एक ही हीट सं. व मात्रा के कच्चे माल का उपयोग पूर्व मध्य रेल और उत्तर रेल दोनों के लिए ERC के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः कच्चे माल का निरीक्षण पूर्व मध्य रेल के निरीक्षणकर्त्ता 'ए' के द्वारा नहीं किया गया तथा बिना कच्चे माल की जाँच के, जाँच रपट जारी किया गया। कच्चे माल की जाँच रपट से स्पष्ट है कि ERC (तैयार उत्पाद) की आपूर्ति उसके निर्माता के द्वारा आरडीएसओ स्रोत से कच्चे माल की खरीद करके नहीं की गई।

मामला जाँच के अधीन है।

## 4. सामग्री की खरीद में अनियमितताएँ

- **विकास कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

एक इकाई में निवारक जांच के दौरान एक मद की खरीद में विभिन्न स्तरों पर जैसे इंडेन्ट करने में, निविदा की प्रक्रिया अपनाने में एवं ठेका दिए जाने में विसंगतियां पाई गईं जो निम्नलिखित हैं :-

**अ. मांग पत्र बनाने में विसंगतियाँ**- मुख्यालय को थोक खरीद के लिए प्रस्तुत किए गए मांग पत्र (डीएस-2) में इकाई के द्वारा मद का विवरण सही नहीं

quantity 'P' MT of RDSO approved manufacturer 'Y' of raw material and (II) 'M' quantity 'Q' MT were shown to used as mentioned in material checking report duly signed by inspection representatives 'A'. Inspection details for supply of ERC in N. Rly were also collected. From the documents of inspection of Raw Material by N. Railway, it was noted that Raw Material of same heat nos i.e. (i) 'L' Quantity 'P' MT & (iii) 'M' quantity 'Q' MT of same RDSO approved manufacture 'Y' of raw material were used for manufacture of ERC for N. Rly. Invoice and manufacturer's test certificate for heat nos (i) 'L' and (ii) 'M' were authenticated by representatives of N Railway. Inspection by NR was done two months prior to inspection by E.C.Rly. Reference of same invoice no. and heat no. were given in the material checking report of 1st lot of supply inspected by representatives 'A' of ECR but manufacturer's invoice & test report of raw material were not authenticated by him.

The raw material of same heat no. & qty cannot be used for manufacture of ERC for ECR and N. Railway both. Raw Material checking was thus not done by inspecting official 'A' of ECR and without checking, raw material check report was issued by him. On the basis of raw material check report, the firm supplied ERC (the finished product) which was not manufactured from raw material supplied by RDSO approved manufacturer.

The matter is under investigation.

## IV. Irregularities in purchase of material

**- Vikash Kumar,** CVI/S

During preventive check in a unit, following discrepancies in procurement of an item at different levels i.e. in indenting, tendering and in awarding contract were noted:-

**(a) Discrepancies in indenting:-** Description of the item was not mentioned in the requisition (DS-2) for bulk purchase by HQs

दर्शाया गया था। हालांकि निविदा करते वक्त इसमें सुधार कर लिया गया। समान मांगकर्ता के लिए इसी मद की एक छोटी मात्रा की स्थानीय खरीद पूर्व में की गई थी परन्तु उस समय मद का विवरण/ड्राइंग वर्तमान विवरण/ड्राइंग से भिन्न था। **स्थानीय खरीद द्वारा प्राप्त किए गए मद को इकाई द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सका, फिर भी आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किए गए मद की संपूर्ण मात्रा का भुगतान कर दिया गया।** थोक मात्रा की खरीद के दौरान वित्त विभाग की अभ्युक्ति के अनुपालन के क्रम में **मांगकर्ता द्वारा वित्त विभाग को आश्चर्यजनक रूप से गलत जानकारी दी गई कि इकाई ने स्थानीय खरीद द्वारा आपूर्ति किए गए मद की संपूर्ण मात्रा का उपभोग कर लिया है।**

ब. **निविदा में विसंगतियाँ-** थोक मात्रा की आपूर्ति के लिए इंडेन्ट बनने के उपरान्त निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगभग 06 माह का समय लग गया, परन्तु सीमित निविदा को संबंधित वेवसाईट पर अपलोड होने के सिर्फ 02 दिनों के अन्दर सामग्री की अत्यन्त आवश्यकता का हवाला देते हुए खोला गया। **निविदा में मात्र 01 फर्म का ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ।**

स. **ठेका देने में विसंगतियाँ-** प्रस्ताव देनेवाले एक मात्र फर्म का दर पिछले क्रय के दर, जो लगभग 01 वर्ष पुराना था, से लगभग 10% ज्यादा था। बिना किसी विश्लेषण और तर्क दिए मांगकर्ता द्वारा दर की उपयुक्तता सिर्फ यह उल्लेख करते हुए प्रमाणित की गई कि -'दर उपयुक्त है'। क्रय अधिकारी ने निविदा मामले को स्वीकार करते समय यह उल्लेख करते हुए दर की उपयुक्तता स्वीकार की कि यद्यपि फर्म द्वारा प्रस्तावित दर पिछले क्रय के दर से 10% अधिक है लेकिन यह दर पिछले क्रय से पूर्व किए गए क्रय के दर से कम है । **क्रय अधिकारी द्वारा दर की उपयुक्तता प्रमाणित करने का यह तर्क सही नहीं है ।** सामग्री के दर में गिरावट की प्रवृत्ति थी क्योंकि समान मद को एक अन्य रेलवे द्वारा खरीदे जाधने का एक मामला प्रकाश में आया जिसके अन्तर्गत **उपरोक्त स्वीकृत दर से 19% कम दर पर खरीद की गई।**

सामग्री के मांग पत्र (डीएस-2) के अनुसार मांगकर्ता अधिकारी 'क' था परन्तु मांग पत्र की विधिक्षा के क्रम में अधिकारी 'ख' के द्वारा वित्त विभाग की अभियुक्तयों का जबाब दिया गया। **मद के ड्राफ्ट आपूर्ति**

correctly. However, it was rectified at the stage of tendering. Small quantity of the same item was purchased earlier also (but with different specification/drawing) by the same indentor through local purchase. **The item purchased through LP couldn't be used but payment for full quantity was made to the firm.** Surprisingly, while furnishing compliance to observation of finance during purchase of bulk quantity, **the indentor incorrectly intimated to finance that full quantity procured through local purchase was consumed.**

**(b)** **Discrepancies in tendering:-** It took almost 06 months to go for tendering since demand for bulk quantity was prepared. But the case processed through limited tender was opened within two days time citing urgency of material. In tender, **offer of only one firm was received.**

**(c)** **Discrepancies in awarding contract:-** The rate offered by the only firm was higher than LPR by approx. 10% in about one year. Rate reasonability was furnished by the indentor without any analysis/logic and simply mentioning that- "the rate is reasonable". Purchase Officer while accepting the case stated the rate as reasonable on the logic that offered rate though was higher than LPR by 10% but was lower than the rate of a PO of date earlier to the LPR. **This logic of furnishing rate reasonability is not correct.** The rate of the item had downtrend because the item was again ordered by another railway **at rate 19% less than the LPR.**

In the DS-2, indenting official was 'A' but replies of finance observation during vetting of requisition were furnished by the officer 'B'. **Name of bill passing officer of requisition was**

**आदेश में भी बिल पास करने वाले अधिकारी का नाम क्रय अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण का उल्लेख करते हुए 'क' से 'ख' काटकर किया गया।**

उपरोक्त विसंगतियों को यूनिट/विभाग के प्रमुख के संज्ञान में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लाया गया है।

## 5. सामग्री की आपूर्त्ति के बिना भुगतान करना

**रणजीत कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

एक मंडल द्वारा स्थानीय क्रय के तहत खरीद की गई सामग्री की प्राप्ति, निरीक्षण एवं निर्गमन तथा संबंधित दस्तावेजों के अनुरक्षण के संबंध में जाँच की गई। तीन मद यथा- (i) सुरक्षा कवच- स्टार डेल्टा पम्प मैनेजमेंट सिस्टम एचपी-30, किवा-22.5 (ii) 54 वाट ट्यूब लाईट टीएल-5 और (iii) एलइडी बल्ब उजाला, एल्युमिनियम हाउसिंग 150 एमए 7 वाट, मेक-पावरलाइट/आधुनिक के लिए जाँच की गई।

**अ. सामग्री की प्राप्ति, निरीक्षण एवं निर्गमन में अनियमितता-**

**(i) सुरक्षा कवच-स्टार डेल्टा पम्प मैनेजमेंट सिस्टम एचपी-30, किवा-22.5:** इस मद के 03 नग के लिए मेसर्स "X" को मंडल के द्वारा क्रयादेश जारी किया गया। जाँच के दौरान, व.अ.अ./विद्युत/भंडार ने बताया कि उक्त क्रयादेश के तहत प्राप्त सामग्री में से 02 नग सुरक्षा कवच कंसाइनी 'ए' को व 01 नग कंसाइनी 'बी' को दिए गए। सामग्री के लेजर में भी इसी प्रकार से प्रविष्टि पाई गई।

कंसाइनी 'ए' के यहाँ सामग्री की आपूर्त्ति के करीब 01 माह बाद जाँच के दौरान दोनों सुरक्षा कवच पुराने पाए गए। दोनों नग सामग्रियों की क्षमता क्रयादेश में वर्णित क्षमता 30 एचपी 22.5 किवा. के स्थान पर 20 एचपी 15 किवा. पाई गयी। कंसाइनी 'बी' के यहाँ पाई गई 01 नग सामग्री पुरानी, जंग लगी तथा चालू हालत में नहीं पाई गई। सामग्री पर कोई क्षमता अंकित नहीं थी।

जाँच के दौरान कंसाइनी 'ए' ने क्रयादेश के तहत व.अ.अ./विद्युत/भंडार के यहाँ से पुरानी सामग्री के प्राप्त होने की बात नहीं बताई। जाँच से पूर्व उन्होंने इस तथ्य को अपने उच्चाधिकारियों को भी नहीं बताया।

**changed in the draft PO** by the purchase officer from 'A' to 'B' without assigning any reason thereof.

The above discrepancies were brought to the knowledge of unit/ department head for taking suitable corrective action.

## V. Making payment without supply of material

**Ranjeet Kumar,** CVI/S

A check on the aspect of receipt, inspection and issue of material purchased through Local Purchase and maintenance of record thereof by a division was conducted. Three items namely (i) Suraksha Kavach - Star Delta Pump Management System HP-30, KW-22.5 (ii) 54 W Tube Light TL-5 and (iii) LED Bulb Ujjal, Aluminium Housing 150 MA 7W, Make - Power Lite /ADHUNIK, were taken up for investigation.

**A. Irregularity in receipt, inspection & issue of material -**

**(i)** Suraksha Kavach - Star Delta Pump Management System HP-30, KW-22.5 - Purchase Order for 03 nos of the item was placed on M/s 'X' by the division. During check, SSE/Elect/Store stated that 02 nos of Suraksha Kavach supplied against the above PO were issued to consignee 'A' and 01 no to consignee 'B'. Entry was found to be made in the ledger of the material accordingly.

During check at consignee 'A' after about 01 month of supply, both the Suraksha Kavachs were found to be old. Capacity of the items was not 30 HP, 22.5KW as mentioned in PO but it was 20 HP, 15KW. At another consignee end 'B', the material 01 no. was also found to be old, rusted and in non-working condition. No capacity was mentioned on the equipment.

Consignee 'A' did not say during check about receipt of old material against the PO through SSE/Elect/Store. He had also not intimated the matter to his superiors prior to check.

तदनंतर, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के दौरान पुरानी सामग्री प्राप्त करने की बात स्वीकार की जिसे व.अ.अ/ विद्युत/भंडार के द्वारा एक क्रयादेश के तहत प्राप्त होना बताया गया था। जाँच के दौरान कंसाइनी 'बी' ने बताया कि पुराना और जंग लगा हुआ सुरक्षा कवच जिसे क्रयादेश के तहत प्राप्त हुआ बताया गया, व.अ.अ./ विद्युत/भंडार के द्वारा उन्हें दिया गया था। उन्होंने पुन: बताया कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के यूनिट में यात्रा तथा उस अवधि में त्योहार पड़ जाने के कारण वे उपरोक्त गड़बड़ी को अपने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं ला सके।

व.अ.अ./विद्युत/भंडार ने बाद में अपने स्पष्टीकरण के दौरान बताया कि क्रयादेश के तहत पुराने सुरक्षा कवच की आपूर्त्ति प्रतिष्ठान के द्वारा की गई। लेकिन इस प्रश्न का वे कोई जवाब नहीं दे पाए कि क्यों एक क्रयादेश के तहत उन्होंने पुरानी सामग्री प्राप्त की और वह भी चालान, निरीक्षण प्रमाणपत्र और बिल पर इस संबंध में बिना किसी अभ्युक्ति दिए। जिस अधिकारी ने सामग्री का निरीक्षण किया उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के दौरान कहा कि उन्होंने बक्से में रखी हुई सामगी का निरीक्षण किया था और उस समय कोई अनियमितता नहीं थी लेकिन बाद में क्या हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

जिस प्रतिष्ठान को सुरक्षा कवच का क्रयादेश जारी किया गया था, उनके प्रतिनिधि ने बताया कि सामग्री के चालान पर केवल उनका हस्ताक्षर है और उसमें वर्णित अन्य तथ्य यथा सामग्री का विवरण, उसकी मात्रा व दर उनके द्वारा नहीं भरा गया है। **उन्होंने अपने प्रतिष्ठान द्वारा सामग्री की आपूर्त्ति किए जाने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया।** जिस प्रतिष्ठान को क्रयादेश जारी किया गया वह सुरक्षाकवच का निर्माणकर्त्ता नहीं था। निर्माणकर्त्ता का इंवाइस, वारंटी प्रमाणपत्र जैसे आदि कोई भी दस्तावेज रिकार्ड में उपलब्ध नहीं पाए गए जिससे यह प्रमाणित हो कि असली सामग्री की आपूर्त्ति की गई।

एक क्रयादेश के तहत पुरानी, जंग लगी व गैर चालू हालत में सामग्री की आपूर्त्ति का जैसा कि व.अ.अ./विद्युत/भंडार ने बताया, कोई औचित्य नहीं बनता है। फिर भी रु. 2,10,000/–का पूर्ण भुगतान प्रतिष्ठान को कर दिया गया। **इस प्रकार बिना सामग्री की आपूर्ति और प्राप्ति के प्रतिष्ठान को भुगतान कर दिया गया।**

Subsequently during clarification he, however, accepted that he had received old materials (from SSE/Elect/Store), which were stated to have been received against a PO. Consignee 'B' stated during check that old and rusted Suraksha Kavach in non-working condition stated to have been received against a PO was given to his unit by SSE/Elec/Store. He further stated that due to visit of VIPs in his unit and festivals during that period he could not intimate about the discrepancy to his superiors.

SSE/Elect/Store stated later on during clarification that the firm had supplied old Suraksha Kavach against the PO. But he could not reply anything when asked that why did he receive old material against a PO and that too without giving any remarks to this effect on the challan, IC and bill. The officer who had inspected the material stated during clarification that he had inspected the material kept in box and at that time there was no irregularity but he did not know that what happened later on.

The representative of the firm on whom PO was placed for Suraksha Kavach confirmed that the challan of the material bore his signature only and other details in the challan like description of item, qty, rate etc had not been filled in by him. He did not confirm supply of the item by his firm. The firm on whom the PO was placed was not a manufacturer of the item Suraksha Kawach. No document like manufacturer's invoice, warranty certificate etc which could have proved supply of genuine equipment was available in record.

Supply and receipt of old, rusted and non-working equipment against a PO as stated by SSE/Elect/Store stands no logic. Despite that full payment amounting to Rs 2,10, 000/- was made to the firm. **Payment was thus made to the firm without supply and receipt of material.**

(ii) **54 वाट ट्यूब लाईट टीएल-5** - क्रॉम्पटन ग्रीव्स मेक के इस मद के 400 नग की आपूर्त्ति के लिए क्रयादेश मेसर्स "Y" को जारी किया गया। व.अ.अ./विद्युत/भंडार के द्वारा यह सामग्री 90 नग कंसाइनी "B" को दी गई।

कंसाइनी "B" के यहाँ जाँच के दौरान, 40 नग 54 वाट ट्यूब लाइट टी-5 पाई गई, जिसमें से 20 नग क्रॉम्पटन ग्रीव्स (आदेशित) मेक और 20 नग फिलिप्स (गैर आदेशित) मेक की थी। 20 नग फिलीप्स मेक की सामग्री में से, 19 नग सामग्री पुरानी थी।

स्पष्टीकरण के दौरान व.अ.अ./विद्युत/भंडार ने कहा कि कुल 400 नग आदेशित मात्रा में से 80 नग फिलीप्स (गैर आदेशित) मेक की सामग्री की आपूर्त्ति की गई थी जिसमें से 19 नग सामग्री पुरानी थी।

गैर आदेशित मेक व पुरानी सामग्री की आपूर्त्ति के संबंध में चालान, बिल व निरीक्षण प्रमाणपत्र पर कुछ भी अंकित नहीं था। प्रतिष्ठान को पूर्ण भुगतान किया गया।

(iii) **एलइडी बल्ब उजाला, एल्युमिनियम हाउसिंग 150 एमए 7 वाट, मेक-पावरलाइट/आधुनिक :** इस मद के 190 नग का क्रयादेश मंडल के द्वारा प्रतिष्ठान "Z" पर जारी किया गया। सामग्री का कंसाइनी व.अ.अ./"C" था किन्तु प्रतिष्ठान ने सामग्री की आपूर्त्ति व.अ.अ./विद्युत/भंडार के यूनिट में की, उनके द्वारा सामग्री का निरीक्षण भी किया गया तथा कंसाइनी में परिवर्तन के लिए बिना सुधारपत्र जारी किए हीं प्रतिष्ठान को भुगतान कर दिया गया। सामग्री प्राप्ति के छः माह बाद भी कंसाइनी "C" को कोई सामग्री निर्गत नहीं की गई जिसके माँग के तहत सामग्री की खरीद की गई थी।

**ब. कार्य को निर्गत की गई सामग्री के रिकॉर्ड का अनुरक्षण-**

सामग्री एलइडी बल्ब उजाला, एल्युमिनियम हाउसिंग 150 एमए 7 वाट, मेक-पावरलाइट/आधुनिक जो व.अ.अ./"C" के लिए खरीदी गई थी, उन्हें व.अ.अ./टी एस के द्वारा मंडल मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर लगाया जाना बताया गया। लेकिन, इस संबंध में कोई रिकार्ड कि कितने बल्व किस स्थान पर लगाए गए और क्या इन जगहों से पुराने बल्ब भी रिलीज हुए इसका कोई रिकॉर्ड यूनिट के द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया। समान प्रकार के उपयोग के लिए दूसरे मंडल के यूनिट के द्वारा सटीक ढंग से रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया जाना पाया गया।

(ii). 54 W Tube Light TL-5 - PO was placed by division on M/s 'Y' for supply of 400 nos of the item of Crompton Greaves make. 90nos of the item was issued by SSE/Elect/Store to consignee 'B'.

During check at consignee 'B', 40 nos of the item 54 W Tube Light TL-5 was found on ground out of which 20 nos were of Crompton Greaves make (the ordered make) but 20 nos were of Philips make (other than the ordered make). Out of 20 nos of Philips make, 19 nos of the items were found to be old.

During clarification SSE/Elect/Store stated that out of total ordered quantity of 400 nos, 80 nos were supplied of Philips make (different from ordered make) and out of which 19 nos were old.

Nothing in regards to supply of old material of other than ordered make was mentioned in challan, bill and IC. Full payment was made to the firm.

(iii). LED Bulb Ujjal, Aluminium Housing 150 MA 7W, Make - Power Lite /ADHUNIK - Order for 190 nos of the item was placed by the division on M/s 'Z'. Consignee for the material was SSE/C. The firm supplied material at SSE/Elect/Store, the same was inspected by him and payment made without any amendment in PO regarding change of consignee. Even after more than 6 months of receipt of material, no material was issued to the consignee 'C' against whose requisition the item was purchased.

**B. Maintenance of record for issue of materials to works -**

LED Bulb Ujjal, Aluminium Housing 150 MA 7W, Make - Power Lite /ADHUNIK which were purchased for SSE/'C' were stated to be installed at different places in the division HQ by SSE/TS but no record in this regard i.e. details of places, nos. of items put in use at those places and whether any old bulbs were released from these places were not maintained by the unit. System of maintenance of record for similar use in other division was checked and noted to be maintained properly.

**स. मंडल द्वारा विद्युत/सामान्य मदों की वृहत मात्रा में खरीद-**

एक मंडल के द्वारा विद्युत/सामान्य सामग्रियों की वृहत मात्रा में स्थानीय खरीद का तथ्य मुख्य विद्युत अभियंता व भंडार नियंत्रक महोदय के संज्ञान में पूर्व में भी लाया गया था। उनसे यह आग्रह किया गया था कि सामग्रियों की आवश्यकता की समीक्षा संबंधित कर्मियों से करा ली जाए एवं उनको न्यूनतम आवश्यक मात्रा की खरीद करने की सलाह दी जाए। इस मंडल के द्वारा विद्युत सामान्य मद की कुल मासिक खरीद का मूल्य पहले करीब रु. 5.0 से रु. 7.5 लाख तक था जो कि बाद के महीनों में रु.14.0 से रु.18. 5 लाख तक हो गया। पू.म.रेल के अन्य मंडलों में विद्युत/सामान्य सामग्रियों की कुल मासिक खरीद (कुछ अपवाद को छोड़कर) रु. 5.0 से रु. 7.5 लाख तक हीं पायी गयी। जाँच के बाद, इस मंडल में भी विद्युत/सामान्य सामग्रियों की कुल मासिक खरीद रु. 5.0 से रु. 7.5 लाख के बीच रह गयी। इन मदों का क्रय दर भी मंडल में अनुमानित मूल्य से 30-40% कम हो गया। मामला जाँच के अधीन है।

## 6. कार्य संविदा के तहत Single section Digital Axle Counter की अत्यधिक दर पर खरीद

- **रणजीत कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

भंडार विभाग के दर से बहुत अधिक दर पर कार्य संविदा के तहत यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इन्स्ट्रूमेंट (यूएफएसबीआई) व सिंगल सेक्शन डिजीटल एक्सल काउन्टर (एसएसडीएसी) की खरीद से संबंधित परिवाद की जाँच की गई।

(i) जाँच के दौरान पूर्व मध्य रेल में निर्माण विभाग व विभिन्न मंडलों द्वारा कार्य संविदा के तहत खरीदी गई दोनों सामग्रियों यथा यूएफएसबीआई व एसएसडीएसी के दर मंगाए गए। यह पाया गया कि पू.म.रेल के निर्माण विभाग द्वारा यूएफएसबीआई की खरीद कार्य संविदा के तहत नहीं की गई। हालांकि इस मद की खरीद कार्य संविदा के तहत मंडल 'x' के द्वारा @ रु. 5,37,000/- + स्थापना शुल्क @ रु. 15,000/- प्रति जोड़ी + प्रवर्तन शुल्क @ रु. 15,000/- प्रति जोड़ी की दर से की गई। समान विर्निदेशन वाले इसी मद का भंडार विभाग के द्वारा की गई खरीद का दर @ रु. 5,35,500/- + वैट 4% + स्थापना व प्रवर्तन शुल्क @ रु. 30,000/- प्रति जोड़ी था। **दोनों दर समान हीं समझे गए।**

C. **Huge Bulk of local purchase of Elect general items by a division-**

The issue of huge local purchase of electrical general items by a division was brought to the notice of CEE and COS earlier also. They were requested to get the requirement reviewed by officials concerned and advice them to purchase the bare minimum requirement. Purchase of Elect General items by this division earlier was about Rs 5 to 7.5 lakh per month which increased to about Rs 14 to 18.5 lakh per month later on. In other divisions of ECR, purchase of Elect General items was noted to be within the range of Rs. 5 to 7.5 lakhs per month barring few exceptions. After check, the bulk of purchase of Elect/G items in this division also has been reduced within the range of Rs 5 to 7.5 lakh per month. Purchase rates of these items have also been reduced in the division by about 30-40% than the estimated rates. The case is under investigation.

## VI. Purchase of Single Section Digital Axle Counter through workes contact at exorbitantly high rate

**Ranjeet Kumar,** CVI/S

---

A complaint regarding purchase of Universal Fail Safe Block Instrument (UFSBI) and Single Section Digital Axle Counter (SSDAC) against works contract at much higher rate than the rate of Stores department was investigated.

(i) Rates of different divisions and construction wings of E C Railway for both the items UFSBI and SSDAC purchased against workes contact were called for. It was noted that UFSBI had not been purchased by construction wing under works contract in ECR. The item had however been purchased by division 'A' under works contract @ Rs 5, 37, 000/- + installation charge @ Rs 15, 000/- each pair + commissioning charge @ Rs 15, 000/- each pair. Rate of Stores department for the item of same specification was @ Rs 5, 35, 500/- + VAT @ 4% = installation and commissioning charge @ Rs 30, 000/- each pair. **Both the rates were considered comparable.**

(ii) एसएसडीएसी की खरीद पूमरे के निमार्ण विभाग व विभिन्न मंडलों द्वारा कार्य संविदा के तहत की गई। हालांकि विभिन्न यूनिट द्वारा इस सामग्री की खरीद के दर अलग-अलग थे लेकिन निर्माण यूनिट 'बी' के एक मामले को छोड़कर कार्य संविदा के तहत इस मद की खरीद के दर व भंडार विभाग के द्वारा की गई खरीद के दर का प्रतिशत अन्तर ज्यादा नहीं था। निर्माण इकाई 'बी' के द्वारा एक कार्य संविदा के तहत खरीद की गई एसएसडीएसी का दर रु. 11,94,227.90/- था । इस दर पर यूनिट के द्वारा 03 नग एसएसडीएसी की खरीद की गई । इस यूनिट के द्वारा उपरोक्त खरीद से 02 महीने पहले भी कार्य संविदा के तहत इस मद की खरीद रु. 6,65,615. 20/- पर की गई थी। अतः दो महीने के अन्तराल पर इस मद की खरीद एक हीं इकाई के द्वारा करीब-करीब दुगुने दाम पर की गई।

**जिस संविदा में सामग्री का दर रु. 11,94,227.90/- था, उसके स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, रु. 6,65,615.20 की दर से खरीद किए जाने वाले निविदा में निविदा समिति के सदस्य (कार्यकारी सदस्य) थे। अतः उच्च दर (दो महीने पहले खरीद की गई सामग्री के दर से करीब दो गुने दर) पर निविदा स्वीकार करने के समय निविदा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अपने हीं यूनिट में कम दर पर सामग्री की खरीद की जानकारी थी।**

(iii) जिस निविदा मामले में अधिक दर पर सामग्री की खरीद की गई, उसकी विस्तृत जाँच की गई। यह निविदा स्टेशन 'x' के पैनल इंटरलॉकिंग के लिए जारी की गई थी। इस निविदा के मूल प्राक्कलन में, 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्त्ति का प्रावधान नहीं रखा गया था तथा शुरुआत में प्राक्कलन की राशि रु. 56,24,328/- थी। संचिका मुख्यालय को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन व वित्तीय सहमति के लिए भेजी गई। उस अवधि में प्राक्कलन को उपांतरित किया गया और प्राक्कलन में 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति को शामिल किया गया। उसके बाद प्राक्कलन की राशि रु. 75,50,502/- हो गयी। अर्थात् पूर्व की प्राक्कलन राशि से 03 नग एसएसडीएसी के मूल्य के बराबर (करीब) बढ़ गयी। बाद में इन्हीं 03 नग एसएसडीएसी की खरीद अनुमानित राशि से करीब दो गुने अधिक दर पर की गई।

(ii) SSDAC had been purchased by different Divisions and construction units of ECR. Though rates of various units for this item differed but percentage difference in rates was not high in comparision to the rates of Stores department of ECR except in one case of Construction unit 'B'. Rate of the item SSDAC of Construction unit 'B' purchased through works contract was Rs 11, 94, 227.90/-. The unit had purchased 03 nos of the item at this rate. 02 months earlier also, this item was purchased by the same unit through works contract @ Rs 6, 65, 615.20. **Thus the item was purchased at about double high rate within two months.**

**The accepting authority of the case in which ordered rate was Rs 11, 94, 227.90/- was one of the TC members (executive member) of the case whose ordered rate was Rs 6, 65, 615.20. Therefore, while accepting tender at higher rate (about double) than the rate of the item purchased two months before, the tender accepting authority had the idea of purchase of the item at lower rate in his unit in past.**

(iii) Details of tender case file whose rate was higher were examined. The said tender was issued for Panel Interlocking (PI) work of station 'X'. In this tender in the original estimate, provision for 03 nos of SSDAC was not kept and hence the value of the estimate was Rs 56, 24, 328/-. The file was sent to HQs for approval and concurrence. During that period, the estimate was modified and supply of 03 nos of SSDAC was also included in the estimate. The value of the estimate thereafter became Rs 75, 50, 502/- which was thus increased by the value of approximately 03 nos of SSDAC. **These 03 nos of SSDACs were later on purchased at twice the estimated rate.**

(iv) निर्माण इकाई 'बी' के प्रभारी ने बताया कि चार स्टेशनों (जिनमें उपरोक्त वर्णित स्टेशन 'x' भी शामिल था) की पैनल इंटरलॉकिंग के पूर्व के एक कार्य संविदा के तहत 16 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति की गई थी जिसमें सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठान 'z' को भुगतान कर दिया गया था। प्रतिष्ठान ने 03 स्टेशनों पर 13 नग एसएसडीएसी की स्थापना कर दी लेकिन 03 नग एसएसडीएसी की स्थापना स्टेशन 'x' पर नहीं की जिसके लिए उपरोक्त (iii) पर वर्णित निविदा जारी की गई।

(v) निर्माण इकाई 'बी' के प्रभारी स्पष्टीकरण के दौरान तथ्य निश्चित किया कि जिसे निविदा जारी किया गया था, उसकी दर उच्च थी, उसकी अनुसूची में 3 नग एसएसडीएसी का प्रावधान नहीं था और उसके बाद आकलन के अनुमोदन एवं वित्तीय सहमति के अवस्था में शामिल किया गया। बाद में यह मद जैसे 3 नग एसएसडीएसी उच्च दर पर इस निविदा में क्रय की गयी।

(vi) ये दोनों तथ्य कि (a) अगर स्टेशन 'x' की पैनल इंटरलॉकिंग कार्य के लिए पूर्व की कार्य संविदा के तहत ही 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति कर दी गई थी तो उसी स्टेशन के पैनल इंटरलॉकिंग कार्य के लिए बनाए गए नए प्राक्कलन में 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति के मद को क्यों शामिल किया गया व (b) एसएसडीएसी के उच्च दर जो निविदा के तहत स्वीकार किए गए उसकी दर औचित्यता के निर्धारण का क्या आधार था, निर्माण यूनिट 'B' के प्रभारी द्वारा स्पष्ट किए गए।

(vii) निर्माण इकाई 'B' के प्रभारी ने मुख्यरूप से निम्न दो तथ्यों का वर्णन किया:-

(अ) **दर की औचित्यता के संबंध में**- उन्होंने कहा कि स्टेशन 'x' के लिए खुली निविदा 05 बार आमंत्रित की गई थी लेकिन कोई ऑफर प्राप्त नहीं हुआ था। अन्त में स्पेशल लिमिटेड टेंडर जारी किया गया जिसके तहत एसएसडीएसी के सामान्य दर से करीब दो गुने दर पर 'निविदा की स्वीकृति का पत्र' (एलओए) जारी किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्य अत्यावश्यक था जिसके बिना स्टेशन 'x' पर पैनल इन्टरलॉकिंग

(iv) In charge of Construction unit 'B' stated that against an earlier work of Panel Interlocking at four stations (including station 'X'), 16 nos of SSDACs were supplied for which payment was made to the contractor M/s 'Z'. The firm installed 13 nos of SSDACs at three stations but installation of 03 nos of SSDACs was not done at station 'X' for which the above mentioned tender at (iii) was processed.

(v) During clarification, in charge of Construction unit 'B' confirmed the aspect that in the schedule to the tender whose awarded rate was high, provision of 03 nos of SSDAC was not there and later on it was included in the estimate at approval and concurrence stage. Subsequently this item i.e. 03 nos of SSDAC was purchased at higher rate in this tender.

(vi) The aspects that (a) if 03 nos of SSADCs for station 'X' were already supplied against the earlier contract then why in the estimate of new tender for the same station, 03 nos of SSDACs were included in the schedule and (b) what was the basis of reasonability of the higher rate of SSDAC awarded against the tender, were got clarified by in charge of Construction unit 'B'.

(vii) In charge of Construction unit 'B' mainly mentioned following two aspects:

(a) **As for the reasonability of rate:** He stated that for the work at station 'X', open tender was invited 5 times but no offer was received. Finally SLT was called for against which LOA having twice the regular rate of SSDAC was issued. He further stated that the work was urgent without which PI at station 'X' was not

का कार्य संभव नहीं था, कार्य संरक्षा प्रकृति का था और कार्य के असंपादित रह जाने के कारण रेलवे बोर्ड के द्वारा एक तथ्यान्वेषण समिति गठित की गई थी। उन्होंने कहा कि कार्य को अत्यावश्यकता और पूर्व में जारी की गई निविदाओं में ऑफर प्राप्त नहीं होने के कारण स्पेशल लिमिटेड टेंडर के तहत प्राप्त एसएसडीएसी के उच्च दर को औचित्यपूर्ण समझा गया।

(ब) **कार्य शिड्यूल में 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्त्ति को शामिल करने के संबंध में-** निर्माण इकाई 'B' के प्रभारी ने बताया कि यद्यपि पूर्व की कार्य संविदा के तहत स्टेशन 'x' के पैनल इन्टरलॉकिंग के लिए 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति की जा चुकी थी फिर भी रेलवे बोर्ड के द्वारा दिए गए लक्ष्य के तहत इकाई के विभिन्न कार्यों के लिए करीब 25 नग एसएसडीएसी की कमी थी। इसलिए शिड्यूल में 03 नग एसएसडीएसी का प्रावधान किया गया। उन्होंने पुन: कहा कि इस एलओए के तहत जो एसएसडीएसी का दर था उसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

**एक बार अगर स्टेशन 'x' के लिए पैनल इन्टरलॉकिंग के लिए 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति हो गई थी, तो फिर उसी स्टेशन 'x' के पैनल इन्टरलॉकिंग कार्य के लिए 03 नग एसएसडीएसी की आपूर्ति के लिए शिड्यूल में प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए था। यूनिट के अन्य कार्यों के लिए 25 नग एसएसडीएसी की जरूरत के लिए, जैसा कि यूनिट इन्चार्ज के द्वारा बताया गया, अलग शिड्यूल तैयार किया किया जाना चाहिए था। अगर यूनिट के संपूर्ण लक्ष्य के मद्देनजर, एसएसडीएसी की आपूर्ति को नई निविदा के शिड्यूल में शामिल करने का निश्चय किया भी गया तो केवल 03 नग हीं एसएसडीएसी की आपूर्ति को क्यों शामिल किया गया, वह भी मुख्यालय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन व वित्तीय सहमति के समय?**

मामला जाँच के अधीन है।

possible, the work was of safety nature and Railway Board had set up a fact finding committee for non-finalisation of the work. He stated that in view of the urgency of the work and non-receipt of offers on earlier tendering the higher rate of the SSDAC was considered reasonable.

(b) <u>As for including 03 nos of SSDAC in the schedule -</u> In charge Construction unit 'B' stated that though SSDAC for station 'X' was supplied against earlier work, there was shortage of about 25 nos of SSDAC considering the target of Rly Bd for various works of the unit. Therefore, provision of 03 nos of SSDAC was made in the schedule. He further stated that the rate of SSDAC of that LOA was banned for future reference.

**Once 03 nos of SSDACs were supplied against the earlier contract for station 'X', in the tender schedule for PI work at the same station 'X', provision for supply of 03 nos of SSDAC should not have been kept. For requirement of 25 nos of SSDACs as stated by the in charge of the unit, separate schedule should have been prepared. If it was considered necessary to include the requirement of SSDACs (in view of overall target of the unit) in the new tender schedule for PI work at station 'X', then why supply of only 03 nos of SSDACs was included and that too at the approval and concurrence stage at HQs?**

The matter is under investigation.

## विद्युत

# 33/11 के.भी. उपकेन्द्र के इरेक्सन एवं कमीशनिंग के करार के संपादन में पाई गई अनियमिततायें

- **शिव कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/विद्युत

पूर्व मध्य रेलवे के एक मंडल में 33/11 के.वी. सबस्टेशन की स्थापना के लिए इरेक्सन एवं कमीशनिंग हेतु करार के संपादन की निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:-

1. इस करार में 33/11 के.वी. सब स्टेशन की स्थापना करनी थी जिसके लिए सब स्टेशन के स्विच यार्ड का क्षेत्रफल 32 मी. x 34 मीटर (आर.डी. एस. ओ. के ड्राईंग /आरेख के अनुसार) कार्य सूची में लिया गया था।
2. स्थान क्षेत्र की कमी के कारण, सक्षम अधिकारी ने इस कार्य का निष्पादन के लिए आरेखन/ड्राईंग को संशोधित कर 32 मी. x 34 मी. की जगह 32 मी. x 18.5 मी. कर दिया।
3. ड्राईंग में संशोधन के कारण स्विच यार्ड में कार्य कराने के लिए चार मुख्य मदों की मात्रा कम हो गई।
4. स्विच यार्ड का क्षेत्र कम होने के कारण इन मदों की मात्रा में कमी हुई।
5. संयुक्त जांच के दौरान पाया गया कि ये चारों मुख्य मदों (स्थान की कमी के कारण संशोधित ड्राईंग में प्रभावित हुई मदें) का कार्य निष्पादन संशोधित ड्राईंग यानि कि 32 मी. x 18.5 मी. के अनुसार हुआ।
6. लेकिन, कार्य निष्पादन पर्यवेक्षक ने इन चारों मदों का माप कार्य सूची में दिए गए मात्रा यानि कि 32 मी. x 34 मी. के अनुसार अंकित किया।
7. संशोधित ड्राईंग को कार्य निष्पादन पर्यवेक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी (20% टेस्ट चेक अधिकारी) ने बनाया था एवं बिल पासिंग अधिकारी ने अनुमोदित किया था।
8. कार्य निष्पादन पर्यवेक्षक ने सही तरह से माप नहीं किया और मापन पुस्तिका में इन चारों मदों की अधिक मात्रा को अंकित किया, जिसके कारण संवेदक को कार्य से अधिक का भुगतान किया गया।
9. 20% टेस्ट चेक अधिकारी ने भी टेस्ट चेक सही प्रकार से नहीं किया और मात्रा में परिवर्तन को देख नहीं पाये। जबकि यह परिवर्तन आसानी से देखा जा सकता था क्योंकि उन्होंने स्वयं संशोधित ड्राईंग पर हस्ताक्षर किया था।
10. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी पर डी.ए.आर. के तहत कार्यवाही की गई है।

## Electrical

# Irregularity in execution of contract of "Erection & commissioning of 33/11 KV sub-station"

- **Shiv Kumar,** CVI/Elect.

During a preventive check of a contract for erection and commissioning of 33/11 KV sub-station in one of the division of ECR, following irregularities were found:-

1. In this contract, 33/11 KV substation was to be erected, in which area of switch yard of substation taken in schedule was 32 Mtr. X 34 Mtr. (As per RDSO Drg.)
2. Due to space constraints, competent authority modified the drawing for execution of work to 32 Mtr. X 18.5 Mtr. in place of 32 Mtr. X 34 Mtr.
3. Due to modification in drawing, quantity of 4 major items for execution in switch yard was reduced.
4. The reduction in these items was due to reduction in switch yard area of substation.
5. During joint check, it was found that 4 major items executed (which affected due to modification in drawing due to space constraints) as per modified drawing i.e. 32 Mtr. X 18.5 Mtr.
6. But, work executing supervisor recorded measurement as per schedule of work 32 Mtr. X 34 Mtr. in these 4 major items.
7. The modified drawing was prepared by work executing supervisor & field officer (i.e. 20% test check certifying officer) and approved by bill passing officer.
8. Work executing supervisor did not carry out the measurements properly and recorded excess quantity in M.B. for all 4 schedule items, which led to the overpayment to the contractor.
9. 20% test check certifying officer did not carry out the 20% check properly and failed to notice the change in quantity executed. The change could have easily been noticed as he himself has signed on the modified drawing.
10. Concerned official have been taken up in D & AR.

## यांत्रिक

# मेकेनाईज्ड सफाई संविदा में पेनाल्टी प्रत्यारोपण की विसंगतियाँ

- कुमार करूणेश
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यांत्रिक

विभिन्न सर्तकता निवारक जाँचों में यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के कोचिंग डिपो में चल रहे मेकेनाईज्ड सफाई संविदा कार्यों में प्रत्यारोपित पेनाल्टी असंगत है। जाँच के दौरान पाई गई विसंगतियाँ निम्न प्रकार से है:-

- कार्यस्थल पर मशीनों के प्रयोग नहीं करने पर संविदा करार में पेनाल्टी का प्रावधान विनिर्दिष्ट है। लेकिन सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि पर्यवेक्षक द्वारा टेस्ट चेक रजिस्टर में विर्निदिष्ट मशीनों की अनुपयोग/ अनुपलब्धता पर टिप्पणी के बावजूद करार प्रावधान में दिए गए पेनाल्टी की तुलना में बहुत कम या कुछ भी पेनाल्टी नहीं लगाया गया है। आगे, संविदा करार में निर्दिष्ट दैनिक मशीनों की उपलब्धता का रिकार्ड भी डिपो में उपलब्ध नहीं था।

- आर.एन.सी.सी./ पटना जो कि पूर्व मध्य रेल का बड़ा कोचिंग डिपो है जिसमें विभिन्न सर्तकता जाँच के दौरान यह पाया गया कि संवेदक का कोई भी मजदूर मेकेनाइज्ड सफाई के दौरान कार्य स्थल पर संविदा में विनिर्दिष्ट पोशाक में नहीं था जबकि इस कार्य के विस्तृत प्राक्कलन से यह विश्लेषित किया गया है कि रेलवे एक ट्रेन के लिए पोशाक मद में रु. 600/- प्रतिदिन की दर से भुगतान कर रहा है। संविदा करार में पेनाल्टी का प्रावधान इस प्रकार दिया गया है कि ''यूनीफार्म नहीं पहनने के प्रत्येक अवसर पर रु. 200/- की पेनाल्टी लगाई जाएगी।'' किसी भी मजदूर के कार्यस्थल पर पोशाक में नहीं रहने के बावजूद, कार्यरत पर्यवेक्षक द्वारा मात्र रु. 200/- का पेनाल्टी प्रतिदिन प्रत्यारोपित किया गया जबकि यह रु. 200/- प्रतिदिन प्रति ट्रेन के बदले प्रति मजदूर के दर से होना चाहिए।

- अन्य डिपो में भी यह पाया गया कि इसी तरह का पेनाल्टी प्रत्यारोपित किया जाता है। निविदा प्रपत्र में संबंधित पेनाल्टी की विसंगतियों को दूर करने हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष से निवेदन किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश जारी करें।

## Mechenical

# Anomalies in penalty imposition for Mechanised cleaning contracts

**- K. Karunesh,** CVI/Mech.

During investigation of various preventive checks, anomalies have been observed in penalty imposition in Mechanized cleaning work at coaching depots of ECR. The anomalies are as follows:

- For the non-utilization of machines at sites, the penalty has been specified in Contract Agreement (CA). But, in the vigilance check it was observed that,despite supervisor's remark in Test check register for non-utilization/non-availability of specified machines, either much less or no penalty was imposed against the stipulated penalty as per CA. Further there were no record of machine availability/working was available at Depot as specified in the CA.
- In the different vigilance checks at RNCC/PNBE, a major coaching depot of ECR, it has been observed that the none of the labourers of the contractor were in the specified uniforms at site during the Mechanized cleaning work as per Contract Agreement. From the detailed estimate of this work, it has analyzed that Railway is paying about Rs.600/- per day for a train on account of uniform to labourers. There is a provision for penalty in the Contract agreement as "penalty of Rs.200/- for each instance of not wearing uniform shall be imposed". Despite none of the labours in uniform at site, a penalty of Rs.200/- only was imposed by the on-duty scoring supervisor on each day. Which should have been imposed for each labour not in uniform rather Rs.200/- only for each train.
- In similar checks conducted at other depot also, same penalties were found being imposed. For the anomalies observed in the relevant penalty clause in tender document, PHOD was requested to issue the instructions to the concerned officials on the matter.

# महत्वपूर्ण
# प्रणाली सुधार पत्र

# *Important System Improvement Letters*

पूर्व मध्य रेल

**एसआइएल - 01/2016**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दिनांक 31.03.2016

**विसमुलेधि**
**पूमरे/हाजीपुर**

**विषय:**- कर्मचारी के समापक भुगतान के समय वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण हुए अधिभुगतान राशि की कटौती की वसूली-बिल की विधिक्षा के संबंध में।

एक परिवाद की जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक मंडल के एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के सेवा-काल के दौरान उसके अवैतनिक अवकाशों के कारण उसके वार्षिक वेतन-वृद्धि को पीछे न किए जाने के कारण हुए अधिभुगतान राशि की कटौती कर उसके समापक भुगतान एवं सेवानिवृत्ति लाभों में से वसूली की गई थी। यह भी पाया गया कि यद्यपि कर्मचारी का वेतन पुनर्निर्धारित किया गया था एवं आवश्यक वसूली भी की गई थी, किन्तु इसकी वित्तीय विधिक्षा नहीं ली गई थी। जाँच के दौरान मंडल के द्वारा यह बताया गया कि मंडल में प्रचलित परंपरा के अनुसार ऐसे सभी मामलों में वित्तीय विधिक्षा नहीं करायी जाती है।

चूँकि किसी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समय किया जाने वाला समापक भुगतान अंतिम होता है, अत: किया जाने वाला भुगतान अथवा वसूली पूर्णतया सही है इसे सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय विधिक्षा आवश्यक है, चूँकि इसमें वित्तीय फलार्थ (Financial implication) अंतर्निहित होता है। यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के कुछ दूसरे मंडलों में इस तरह के मामलों में वित्तीय विधिक्षा किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही प्रचलन में है, अत: सभी मंडलों के क्रिया-कलापों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भी इस मंडल में आगे से वसूली के बिलों की वित्तीय विधिक्षा लिये जाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए। इस संबंध में कृत कार्यवाही से भी इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**( ए.के.पाठक )**
उपमुसताधि/लेखा
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

**SIL - 01/2016**

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated 31.03.16

**F.A&C.A.O**
**E.C. Railway**
**Hajipur**

**Sub:-** Vetting of recovery bill due to retardation of pay at the time of settlement of the employee.

During investigation of a complaint case, it has come to notice that some recovery was made from the retiral and settlement benefits of a Rly. employee in one of the division at the time of his settlement payment against non postponement of increment due to LWP while in service. It was further noticed that although re-fixation of pay was done and recovery affected but finance vetting for the same was not available. It was clarified that in all such cases of retardation of pay, finance vetting is not done as per practice.

Since payment made at the time of settlement is final one, hence to ensure that the recovery made is accurate and correct, vetting is required as financial implication is involved in it. It is also observed that vetting in such cases is being done in some of the divisions of ECR, hence to bring uniformity in working in all the divisions, vetting of such recovery should be started forthwith in the division.

In view of the above, you are requested to look into the matter and necessary instructions in this regard should be issued to the all concerned. Action taken in this regard may be intimated to this office accordingly.

**( A.K. Pathak)**
Dy. Chief Vigilance Officer (A)
For General Manager/Vigilance

Vig. File No- ECR/Vig/V-2/C/NG/DNR/2015-03-0034/211

SIL - 02/2016

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 April 12, 2016.

1. **CAO(Con)/North & South**
   **E.C.Railway,**
   **Mahendrughat**
2. **CSTE**
   **E.C.Railway,**
   **Hajipur**

**Sub. :** Deficiencies in record keeping for the tenders as well as contract management.

During investigation of a complaint case against tender/contract for RRI at (i) SEE & HJP and (ii) MFP, following deficiencies in record keeping as well as in contract management have been observed:

(a) Quantity of various items of schedule for the tender has been worked out as per tentative SIP for the stations. Detailed calculation sheet for the same has, however not been kept in the tender file for record.

(b) Contract value, component of supply items and material already delivered against the 2 contracts are as indicated below:

| SL. No. | Name of Work | Contract Value (Rs. in cr) | Cost of Major supply items (Rs. in cr) | Cost of Major supply item already delivered (Rs. in cr) | Percentage (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RRI of SEE & HJP | 25.91 | 16.89 | 12.73 | 75.37 |
| 2. | RRI at MFP | 18.59 | 11.62 | 6.08 | 52.32 |

It is observed from above that supply of substantial quantities of materials have been made by the contractor by Dec'14 itself i.e. within 10 months of award of the contract. Such supply which

includes electronic items like relays, MSDAC etc. are likely to get affected by weather and may also deteriorate with time and their supply much in advance of execution of work is not considered proper. Contractor should be asked to supply the material after final assessment of quantity and preparation of SIP with reasonable accuracy, to avoid surplus/wastage. To discourage the contractor from supplying the material much in advance, the payment after supply which is presently 90% may be reduced suitably to say 60/70%. Balance payment should be stipulated for release after installation and completion of work.

It is requested that suitable instruction are issued to the field unit and modification in tender/contract conditions ensured to improve tender/contract management.

Action taken in this regard may be advised to this office for record.

**(J.K.Verma)**
Sr. Dy. General Manager

---

*" All birds find shelter during rain but Eagle avoids rain by flying above the Clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. "*

***- Dr. APJ Abdul Kalam***

**पूर्व मध्य रेल** **एसआइएल - 03/2016**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

संख्या-ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 07.09.2016

**मुख्य वाणिज्य प्रबंधक**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर**

**विषयः-** खान-पान ठेका में अनियमितता

रक्सौल स्टेशन पर खान-पान एवं भेन्डिग के आवंटन एवं कार्य प्रणाली से संबंधित परिवाद के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उक्त ठेका किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था जबकि वास्तविक रूप से लम्बे समय से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि मूल संवदेक एक सरकारी उपक्रम का कर्मचारी है, जिसे नियमतः उक्त ठेका नहीं दिया जा सकता है। यह पाया गया कि सभी मंडलीय पत्र संवेदक को उसके मूल पते पर न भेजकर स्टेशन अधीक्षक के द्वारा दिए जाते थे, जो संभवतः स्थानीय स्टेशन कर्मियों की मिलीभगत से इस ध ोखा-धड़ी को कायम रखने में सहायक हुआ। संवेदक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार-पत्र के बिना ही रेलवे द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अनुमति-पत्र इत्यादि जारी किये गए। लम्बे समय से उक्त ठेका को मूल संवदेक के द्वारा न चलाकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे ठेका का पता न लगा पाने के कारण उक्त स्टेशन के पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने तथा संवेदक का ठेका संचालन में सीधे तौर पर सहभागिता सुनिश्चित करने ताकि इस प्रकार की धोखा-धड़ी की पुनरावृत्ति न हो से संबंधित एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

**(शिखा श्रीवास्तव)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

SIL - 03/2016

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 07.09.2016

**Chief Commercial Manager**
**East Central Railway**
**Hajipur.**

**Sub:** Irregularity in catering & Vending services.

During investigation of a complaint case related with allotment and working of catering and vending services at RXL station it was detected that the catering units were being run by person other than contract awardee over a long period of time. It was also found that the original awardee is a government official who should not have been allotted the stalls as per rule. All the Railway correspondences to contractor was being done through care of (C/O) Station Superintendent/RXL instead of his original address which helped perpetuate the fraud and the connivance of staff in this matter also cannot be ruled out. Vigilance department has advised minor penalty action against SS/RXL,DCI/RXL & OS to SS office RXL for failure to check such fraud as all medical card, permits, licenses etc. were issued from Railway offices without any authority letter of the contract awardee or his authorized manager.

In light of the above it is therefore requested to streamline the existing system for involvement of contract awardee with Railway contract operations to avoid any recurrence of such fraud. It is further advised to launch drive & checks from time to time in all divisions to detect any such case of fraud.

This has the approval of competent authority.

**(Shikha Srivastava)**
Dy. Chief Vigilance Officer (T)
for GeneralManager (Vigilance)

**(File no-ECR/Vig/V-1/CIN/SPJ/2016/06/01629/458/CA-iii)**

**पूर्व मध्य रेल**

**एसआइएल - 04/2016**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दिनांक -23.09.2016

**मुकाधि**
**पूमरे/हाजीपुर।**

**विषयः**-रेल कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी की मंजूरी/स्वीकृति के संबंध में।

रेल कर्मचारियों को अनुमेय शैक्षणिक भत्ता/होस्टल सब्सिडी के पहलू पर इस रेल के एक अधीनस्थ कार्यालय में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि होस्टल सब्सिडी भुगतान की मंजूरी इस संबंध में रेल बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2008/ED-2/4 दिनांक 07.06.2013 (RBE 55/2013) में निहित अनुदेशों/निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

मौजूदा अनुदेशों/निर्देशों के अनुसार होस्टल सब्सिडी से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा किए गए उस खर्च की भरपायी से है जो उनके बच्चों को वैसे आवासीय विद्यालय/संस्थान में रखने से संबंधित है जिनकी दूरी उनके निवास स्थान से 50 किमी. से अधिक की हो। परन्तु, यह पाया गया कि 50 किमी. से कम की दूरी पर स्थित आवासीय विद्यालय/संस्थान से संबंधित दावे मंजूर एवं भुगतान किए गए। इस संदर्भ में संबंधित कार्यालय के बिल क्लर्क द्वारा यह कहा गया कि रेल बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2008/ED-2/4 दिनांक 07.06.2013 (RBE 55/2013) में निहित अनुदेशों/निर्देशों की जानकारी नहीं है/थी। साथ ही कार्यालय में इसकी अनुपलब्धता के बारे में भी बताया गया।

अतः, उपरोक्त के आलोक में शैक्षणिक भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी की मंजूरी के संबंध में निहित अनुदेश/निर्देश जो रेल बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2008/ED-2/4 दिनांक 07.06.2013 (RBE 55/2013) द्वारा जारी है, की उपलब्धता सभी संबंधित को सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस संबंध में दावे प्रस्तुत करते समय कर्मचारी से बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप दूरी से संबंधित स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ली गई है।

इस संबंध में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**( संजीव मित्तल )**
व.उ.म.प्र./पूमरे

प्रतिलिपिः-विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
व.उ.म.प्र./पूमरे

(केस संख्या. पूमरे/सर्तकता/वी-2/मुगल/08-16 एकेएस/पीसी-39)

**SIL - 04/2016**

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement Letter/50 Dated 23.9.2016

**CPO**
**ECR/HJP**

**Sub:-** Grant/sanction of Hostel Subsidy to Railway employees.

A preventive check on the aspect of grant/sanction of Children Education Allowance (CEA)/Hostel Subsidy to Railway employees was conducted in one of the subordinate offices of this railway. During investigation of the same, it was found that Hostel Subsidy to staff has been processed as well as granted/paid in violation of the instructions/ guidelines issued on the revised policy for grant of CEA/Hostel Subsidy vide Railway Board's letter E(W)2008/ED-2/4 dt.7.06.2013/RBE No. 55/ 2013.

As per instructions/guidelines issued in this regard by Railway Board vide letter no. E(W)2008/ED-2/4 dt.7.06.2013/RBE No. 55/2013, Hostel Subsidy means expenses incurred by the government servant if he/she keeps his/her children in a hostel of a residential school/institution located beyond a distance of 50 Kms from his/her residence. But, it was found that the school where the ward of the railway employee/claimant was studying/staying for which the claim of Hostel Subsidy has been preferred was located within the distance of 50 Kms from the residence/ place of posting of the respective staff. In this regard, it has been stated by the dealing official, who processed the claim, that the instructions/guidelines issued vide Railway Board's letter E(W)2008/ED-2/4 dt.7.06.2013/RBE No. 55/2013 is/was not in his knowledge as the same is/was not available to his unit/office.

Hence, in view of the above, you are advised to ensure that the instructions/guidelines issued on the revised policy for grant of CEA/Hostel Subsidy vide Railway Board's letter E(W)2008/ED-2/4 dt.7.06.2013/RBE No. 55/2013 is circulated to all concerned. Further, it is also suggested to introduce/obtain a clear cut certificate from the claimant regarding the distance as per Board's instructions/guidelines.

Action taken may please be intimated to this office.

**(Sanjeev Mittal)**
SDGM/ECR

Copy to:- FA&CAO/ECR/HJP for information & necessary action.

SDGM/ECR

(Case No.ECR/Vig./V-2/MGS/08-16AKS/PC-39)

**पूर्व मध्य रेल** **एसआइएल - 05/2016**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

संख्या-ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 29.09.2016

**मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर**

**विषय:**- पास जारी करने की प्रक्रिया में अनियमितता

एक परिवाद के अन्वेषण के दौरान एक रेल कर्मचारी जो संबंधित यूनिट का पास जारीकर्त्ता अधिकारी भी है, को जारी स्कूल पास के संबंध में अनेक अनियमितताएँ पायी गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि पास के काउन्टर पन्नी में दर्ज विवरण तथा क्षेत्रीय वाणिज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये यात्रा विवरण भिन्न हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब काउन्टर पन्नी तथा कर्मचारी प्रति के विवरण विभिन्न हो अथवा जब टिकट चेकिंग स्टॉफ एवं आरक्षण कर्मी की इसमें संलिप्तता हो। पास जारी करने से संबंधित पंजिका में सिर्फ पास संख्या तथा निर्गत करने की तिथि ही अंकित पायी गयी, अन्य कोई विवरण जैसे स्टेशन कोड, किनके लिए जारी किया गया इत्यादि दर्ज नहीं पाये गये। पास जारी करने हेतु आवश्यक कागजात जैसे आवेदन पत्र, काउन्टर पन्नी इत्यादि निर्गतकर्ता कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाये गये। संबंधित अभिरक्षक के द्वारा उपयोग में लाये गये पास की वापसी सुनिश्चित किये बगैर नये पास जारी कर दिये गये। यह भी पाया गया कि कार्यभार छोड़ने/ग्रहण करने से संबंधित बनाये जाने वाले दस्तावेज न सिर्फ संक्षिप्त थे बल्कि बहुत सारी पंजिकाओं का विवरण उसमें दर्ज नहीं पाए गए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाये जिसमें उपयोग में लाये गये पास की वापसी सुनिश्चित करने, पास जारी करने हेतु एक प्रामाणिक पंजिका जिसमें पूर्ण विवरण दर्ज हो, पास संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु विस्तृत विवरण जारी करने तथा इसका प्रसार फील्ड यूनिट में करने एवं व्यापक कार्यभार ग्रहण करने/छोड़ने हेतु दस्तावेज बनाने का विवरण दर्ज हो।

कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को सूचित करें।

**(शिखा श्रीवास्तव)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

**SIL - 05/2016**

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 29.09.2016

**Chief Personnel Officer**
**East Central Railway**
**Hajipur.**

**Sub:** Irregularity related with issuance of Passes.

During investigation of a complaint case related with misuse of school passes issued to a Railway official who was also the pass issuing officer of the concerned unit, several irregularities were observed. It was detected that the details endorsed in some of the counter foil of the pass & the journey details provided by Zonal Commercial Office/HJP were different .The possibility of this can arise when the entries made in both counter foil & staff copy are different or when connivance of reservation & ticket checking staff on regular basis existed. It was also detected that only issued pass number with date was mentioned in pass register, without other details like stations, issued for etc. Further no used passes were found deposited in the pass issuing office or ensured before issuing fresh school passes to the concerned custodians. Most of the pass related details like applications, counter foils, register of the period were not available in office even though it has permanent codal period for preservation. Further charge report which was prepared at the time of handing over & taking over of the charge was very sketchy often skipping several files & records.

In light of above discrepancies following system improvement are suggested to address the deficiencies that are detected and to reiterate the codal provisions:

- Necessary guidelines for compliance of submission of used/unused passes within one month of the date of expiry of the pass with remarks "Used"/"Cancelled" should be ensured.
- Standard pass issuing register may be issued with all particulars such as pass number, type of pass , issuing date, issued in favour, validity, from-to , signature of pass issuing official etc.
- Detailed instruction regarding codal life of pass related document i.e. counter foil of pass, family declaration pass application, bonafide certificate in case of school pass should be updated& circulated in all field units.
- Necessary guideline may be issued for preparing the detailed charge report clearly mentioning all the particulars & details of register and documents.

It is therefore requested to issue necessary instructions for ensuring the above under intimation to this office. This has the approval of competent authority.

**(Shikha Srivastava)**
Dy. Chief Vigilance Officer (T)
for GeneralManager(Vigilance)

**पूर्व मध्य रेल**

**एसआइएल - 10/2015**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

पत्रांक: ईसीआर/विज./पद्धति सुधार/50 दिनांक: 09.10.15

**मु.सं.एवं दूरसंचार अभि.**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर।**

**विषय:** फील्ड यूनिट के अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा भंडार सामग्रियों के संचालन हेतु अभिलेखों के अनुरक्षण में एकरूपता लाने के संबंध में।

सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि भंडार सामग्रियों का संचालन करने वाले फील्ड यूनिट कर्मियों द्वारा नए व निर्मुक्त भंडार की प्राप्ति, लेखाकरण एवं निर्गम के लिए सही पद्धति नहीं अपनाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित अभिलेख का भी सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जाता है। मंडल के अधिकारियों द्वारा खंडश: निर्देश जारी किए गए हैं जो एक मंडल के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंडलों में समरूप नहीं है।

अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि हालिया समय में कार्यकारी अधिकारियों, विशेष कर विद्युत तथा दूरसंचार व संकेत विभाग के द्वारा अनुरक्षण व कार्यसंविदा के तहत प्राप्त नई सामग्रियों व निर्मुक्त भंडार के लिए मंडल मुख्यालय में केन्द्रीकृत भंडार के संचालन पर जोर दिया जाता रहा है। केन्द्रीकृत भंडार के कर्मियों व अन्य अधीनस्थों जो नई भंडार सामग्रियाँ प्राप्त करते हैं तथा निर्मुक्त सामग्रियाँ केन्द्रीकृत भंडार को भेजते हैं, के मध्य भंडार सामग्रियों के लेन-देन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव में स्पष्टता का अभाव है।

अलग-अलग समय पर उपरोक्त विषय को विभिन्न विभागाध्यक्षों के समक्ष उठाया गया है। कुछेक अवसरों पर विभाग के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मेक-शिफ्ट भंडार संचालकों, केन्द्रीकृत भंडार संचालकों को छोड़कर, के द्वारा भंडार सामग्रियों का विशुद्ध आकलन नहीं रखा जाता है। सतर्कता अन्वेषण के क्रम में क्षेत्र इकाई (फील्ड यूनिट) द्वारा भंडार के आदान-प्रदान का लेजर/अभिलेख नहीं रखने, कार्य निविदा के तहत प्राप्त सामग्रियों को

**SIL - 10/2015**

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Date: 09.10.15

**CSTE**
**E.C. Railway**
**Hajipur**

**Sub:** Bringing uniformity in maintenance of records for handling of stores by field unit subordinates

During course of vigilance investigations, it has been observed that subordinates holding stores in field units do not follow correct procedures for receipt, accountal and issue of new as well as released stores and maintain records properly. Piecemeal instructions have been issued by divisional executives which are not uniform within the division among various departments and across the divisions.

It has revealed during investigation that in recent times stress has been laid by executive departments especially by Electrical and S&T to maintain centralized stores at divisional headquarters for new materials meant for maintenance and works contract as well as released materials. There has been lack of clarity in the process of transaction of stores and maintenance of records thereto among the subordinates of centralized stores and other subordinates drawing new materials and sending released materials to the centralized stores.

The issue has also been raised with different PHODs by this office at different times. At some occasions, it has been intimated that very strict accountal of stores is not kept by subordinates of make-shift stores i.e. those other than the in-charges of centralized stores. Instances of not keeping any ledger/record for transaction of stores by field unit subordinates, non-dispatch of materials

केन्द्रीयकृत भंडार द्वारा संबंधित अधीनस्थ यूनिट को वर्षों तक नहीं भेजने, संवेदक को लोन पर बिना कॉन्ट्रेक्ट में प्रावधान के सामग्रियाँ निर्गत करने तथा निर्गत सामग्री के लिए राजस्व को न वसूले जाने, स्थानान्तरण पर भंडार का प्रभार नहीं देने एवं नए पदग्राही के द्वारा भंडार का प्रभार लिए बिना भंडार का संचालन प्रारंभ करने आदि के तथ्य संज्ञान में आये हैं। ये अनियमितताएँ रेल सामग्रियों के गबन में सहायक कारक हो सकती हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि नए एवं निर्मुक्त भंडार सामग्रियों की प्राप्ति, लेखाकरण एवं उनके निर्गम के लिए तथा इससे संबंधित अभिलेख के रख-रखाव के लिए समरूप प्रणाली अपनायी जाए। क्षेत्र इकाई (फील्ड यूनिट) के अधीनस्थों को भंडार सामग्रियों के संचालन तथा सही रूप से इस कार्य से संबंधित अभिलेख का रख-रखाव करने के प्रति सतर्क रहने के सुझाव दिए जाएँ। भंडार सामग्रियों के संचालन एवं संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव के तौर-तरीकों का विस्तृत रूप में प्रक्रिया आदेश का ड्राफ्ट संलग्न है। इसे मुख्य विद्युत अभियंता एवं विसमुलेधि के परामर्श से सभी संबंधितों को जारी किए जाएँ।

कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को कृपया अवगत कराया जाए।

**( महेश कुमार )**
उपमुसताधि./भंडार
कृत्ते महाप्रबन्धक/सतर्कता

प्रतिलिपि: मु.वि.अभि. एवं विसएवंमुलेधि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

---

***आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते***
***पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं***
***और निश्चित रूप से आपकी आदतें***
***आपका भविष्य बदल देंगी।***

***- अब्दुल कलाम***

---

received against works contracts by the centralized stores to the concerned subordinate for years, not handing over the charge of stores on transfer and handling of stores by the new incumbent without taking charge of stores et al have been noted during vigilance investigations. These irregularities may act as contributory factors in misappropriation of railway materials.

It is, therefore, necessary to adopt a uniform system for receipt, accountal and issue of stores and maintenance of record thereof for new as well as released stores. Field unit subordinates are to be advised to remain vigilant and careful in handling the stores and maintaining records properly. Areas where special attention is to be paid by the Sr. Subordinates holding stores and other related officials and the manner in which the records are to be maintained are detailed in the attached draft procedure order. The same may be issued to all concerned in consultation with CEE and FA&CAO.

This office may be apprised of the action taken.

**(Mahesh Kumar)**
Dy. Chief Vigilance Officer(S)
for GM/Vigilance

**Cc: CEE and FA&CAO for information and necessary action please.**

(Case No. ECR/Vig/V-4/N/DNR/Dy.CVO(S)/05-08/PC(AKT/804 IRVINS No.2008030001)

---

*“ I DESTROY MY*
*ENEMIES WHEN*
*I MAKE THEM*
*MY FRIENDS. ”*

***- ABRAHAM LINCOLN***

पूर्व मध्य रेल

**एसआइएल – 11/2015**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 01.12.15

**मुख्य सुरक्षा आयुक्त**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर।**

**विषयः** रेसुब पोस्ट इकाइयों में दैनिक रोजनामचे की दूसरी प्रति तैयार नहीं करने के संबंध में।

दानापुर मंडल में सतर्कता जाँच के क्रम में पाया गया कि रेसुब रेगुलेशन के अध्याय 27 के विंदु 64 का अनुपालन पोस्ट इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा है। पोस्ट इकाइयों में दैनिक रोजनामचे की दूसरी प्रति तैयार नहीं की जा रही है। फलस्वरुप पोस्ट इकाई द्वारा दैनिक रोजनामचे की दूसरी प्रति को संबंधित सक्षम कार्यालयी को अग्रसारित भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पोस्ट रोजनामचे की प्रविष्टियों को किसी गलत उद्देश्य से बदले जाने की संभावना बनेगी इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

सतर्कता जाँच के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पोस्ट इकाई पर बुक प्रेषण मामलों के प्रथम दस्तावेज क्षति कमी संदेश की गार्ड फाईल भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि संबंधित पोस्ट क्षेत्राधिकार में कितने क्षति कमी संदेश निर्गत हुए तथा उन निर्गत सभी क्षति कमी संदेश पर पोस्ट स्तर पर क्या कार्यवाही की गई।

उक्त के अलावा पोस्ट इकाई को सरकारी कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया सरकारी वाहन के लंबी अवधि से खराब पड़े रहने के बावजूद भी उसके मरम्मती या निस्तारण से संबंधित कोई प्रक्रिया पोस्ट द्वारा नहीं अपनाई जा रही है। इस स्थिति में सरकारी वाहनों की उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त के आलोक में अपने स्तर से इस संबंध में सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करते हुए अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा करें।

**( महेश कुमार )**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

F.No. ECR/Vig/V-4/NG/DNR/12-15/245(CVO-III)

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF RAILWAY**
**(RAILWAY BOARD)**

No. 2008/Elect(G)/180/Misc Dated: 19.05.2010

**Chief Electrical Engineers,**
All Indian Railways including Pus
Metro Railway, Kolkata, CORE, Allahabad

**Sub:** System improvement for rate reasonability examination for procurement of material in Electrical/S&T Works Contracts

Attention of this Directorate has been drawn to the fact that while arriving at the reasonableness of rates by TC, due deliberations on last purchase rates of same item through stores contract is not being done in all cases.

In view of above, Board desires that suitable guidelines to be issued to field officers (Electrical/S&T) that care should be taken for arriving on reasonableness of rates in case of procurement of material through works contract by giving due consideration to last procurement rates of same item through stores contract and duly reflecting the issue on TC deliberations so as to safeguard against the procurement of material through works contract at unreasonably higher rates.

Sd.-
**(Sushil Kumar)**
Director Electrical Engg. (PS)
Railway Board

Copy to: CEE (Cons) / All Indian Railways.

Copy to : DV(E)1, Railway Board in reference to his note no 2009/ 3/N/S&T/42 PC (R) dated 24.02.10.

**पूर्व मध्य रेल**

**एसआइएल - 12/2015**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

संख्या-ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 09.12.2015

**मुख्य वाणिज्य प्रबंधक**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर**

**विषयः**- बुकिंग कार्यालय अंतः क्षेत्र में यात्रियों के सीधे सम्पर्क में रहने वाले एवं अन्य कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा निजी धन की घोषणा।

स्टेशन पर की गई छद्‌म जाँच के दौरान यह पाया गया कि विश्रामालय धारक के द्वारा छद्‌म यात्री से रु. 200/- अवैध पारितोषिक लेकर छद्‌म यात्री को बगैर आवंटन के विश्रामालय में ठहरने की अनुमति दे दी गई। यह शिकायत प्रायः प्राप्त होती थी कि काउंटर पर कार्यरत बुकिंग लिपिक के अतिरिक्त अन्य कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा काउंटर पर कार्यरत बुकिंग लिपिक के द्वारा टिकट जारी करने के क्रम में की गई अधिक वसूली को काउंटर से गलत ढंग से निकाल कर अपने पास रख लिया जाता है। यह पाया गया कि पार्सल के परिदान लिपिक भी पार्सल प्रेषण के परिदान के समय ग्राहकों के सीधे सम्पर्क में होते हैं। इन स्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा निजी ध न की घोषणा करना अनाचार को रोकने हेतु सुविचारित किया गया। उपरोक्त के आलोक में बुकिंग अंतः क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों यथा- रिटर्न/कैश लिपिक, पाली प्रभारी, भंडार लिपिक, विश्रामालय धारक, पूछ-ताछ लिपिक, पार्सल लिपिक आदि के द्वारा निजी धन अनिवार्य रूप से घोषित करने हेतु प्रणाली सुधार पत्र जारी की जाए।

कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को दस्तावेज सहित सूचित करें।

**( जे.के.वर्मा )**
वउपमहाप्रबन्धक

**SIL - 12/2015**

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Date 09.12.2015

**Chief Commercial Manager,**
**E.C.Railway,**
**Hajipur.**

**Sub:** Declaration of private cash by other staff in booking office enclosure and other officials directly dealing with passengers.

During a decoy check by vigilance, retiring room bearer at a station allowed a decoy passenger to occupy the vacant retiring room without allotting the same after taking Rs. 200/- as illegal gratification. Further complaints are regularly received against staff other than clerks at the counters present in the booking office enclosure siphon off the excess money received by booking clerks for issue of tickets. Parcel delivery clerks also have interface with rail customers during delivery of parcels. Declaration of private cash by staff at these locations is considered essential to prevent them from indulging in malpractices.

It is, therefore, requested that instruction may please be issued to divisions making declaration of private cash by return/ cash clerks, booking shift incharge, stock clerks etc working within the booking office enclosure, retiring room bearer, enquiry clerk, parcel delivery clerk etc., mandatory. For this, private cash register also needs to be kept at the locations.

Instructions issued to divisions in this regard may please be sent to this office for information/record.

**(J.K.Verma)**
Sr. Dy. General Manager

**पूर्व मध्य रेल**

**एसआइएल - 13/2015**

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक 08/14.12.15

**मुख्य विद्युत इंजीनियर**
**पूमरे/हाजीपुर।**

**भंडार नियंत्रक**
**पूमरे/हाजीपुर।**

**विषय :-** मंडल में विद्युत (सामान्य) मद की खरीद

सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि मंडल स्तर पर भारी मात्रा में विद्युत (सामान्य) सामग्रियाँ, गैर-स्टॉक माँगपत्रों को जारी कर, खरीद की जा रही है। दर की उचितता सुनिश्चित करने के लिए मंडल के माँगकर्त्ताओं एवं क्रय अधिकारियों द्वारा मदों की खरीद के दौरान सिर्फ निर्माता के मूल्य सूची को ही आधार बनाया जाता है, परन्तु उनके द्वारा न तो मद का प्रचलित बाजार मूल्यों और न ही भंडार नियंत्रक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल द्वारा खरीद किए गए दर को ध्यान में रखा जाता है। स्थानीय खरीद के लिए मंडल के स्थानीय इलाके में स्थित फर्मों को ही मुख्य रूप में टेन्डर इन्क्वारी के लिए चुना जाता है जिसके कारण प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

भंडार नियंत्रक का कार्यालय आदेश सं. 03/2007, जो पत्र सं. ईसी आर/एसएमएम/स्टॉक कन्ट्रोल/कार्यालय आदेश/07 दिनांक 27.09.07 के माध्यम से परिपत्रित किया गया है, के अनुसार सिर्फ वैसे मद जो रेल परिचालन से सीधे तौर पर संबंधित हों, को ही गैर-स्टॉक माँग पत्रों को प्रस्तुत कर खरीदा जा सकता है। मंडल स्तर पर खरीदे जा रहे सभी विद्युत (सामान्य) मद सीध े तौर पर रेल परिचालन और चल स्टॉक के अनुरक्षण से संबंध नहीं रखते। अत: किसी मद का इंडेट तैयार करने से पूर्व विस्तृत पुनरीक्षण आवश्यक है ताकि सामग्री की वास्तविक जरूरत को देखते हुए उसकी न्यूनतम मात्रा की माँग प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो सके।

बहुतायत विद्युत (सामान्य) मदों पर इनके निर्माताओं के द्वारा 50% या ज्यादा की भारी छूट दी जाती है। इस तथ्य की संपुष्टि इससे होती है कि 10

**SIL - 13/2015**

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 14.12.2015

**Chief Electrical Engineer**
**East Central Railway**
**Hajipur.**

**Controller of Stores**
**East Central Railway**
**Hajipur**

**Sub:** Purchase of Electrical (G) items in divisions

During course of vigilance investigation, it has been observed that purchase of Electrical General items through non-stock requisition over the divisions is very high. Divisional indentors and purchase officials consider the price list for assessing reasonability of offered rates and do not go for arranging prevailing current market rates/rates of other zonal railways and even of COS office of ECR. Local sources existing in the vicinity of divisions are mainly considered for giving tender enquiries and as a result competitive rates are not obtained.

As per office order no.03/2007 circulated vide Letter No. ECR/SMM/Stock Control/Office Order/07 dated 27.09.07 of COS/ECR, items directly related to train running and operation only are to be purchased through NS requisition. All the Electrical (G) items being purchased may not be directly related to train operation and maintenance of rolling stock. A through review is, therefore, required before preparing indents to ensure that purchase being made is bare minimum and as per actual requirement.

On most of the items pertaining to Electrical (G), heavy discount up to 50% or more is available on price list of manufactures.

वर्ग मिमी केवल (कॉपर कन्डक्टर), जिसे मंडल सामग्री प्रबंधक/मुगलसराय ने दिनांक 05.01.15 को रु. 127.95 प्रति मीटर छूट 30% अर्थात वास्तविक दर रु. 89.57 प्रति मीटर की दर से खरीदा है, का निर्माता के मूल्य सूची में दर रु. 146 प्रति मीटर प्रदर्शित हो रहा था। इस प्रकार आदेशित दर मूल्य सूची में वर्णित दर से 38.65% कम था। अत: प्रस्तावों के दर की उचितता प्रमाणित करने के पूर्व प्रचलित बाजार मूल्य की विस्तृत जाँच आवश्यक है, बजाए कि सिर्फ निर्माता की दर सूची के आधार पर ही दर की उचितता प्रमाणित की जाए।

सिर्फ उपलब्ध स्थानीय प्रतिष्ठानों को सीमित निविदा देने की बजाए बुलेटिन निविदा आमंत्रित करने का परामर्श दानापुर मंडल को दिया गया था। परिणामस्वरूप इस मंडल में बुलेटिन निवदि‍ा के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्ताव किए गए दर माँगपत्र की दर से 50% तक कम पाए गए। विभिन्न मंडलों ने सामग्रियों की खरीद के लिए ई-निविदा प्रक्रिया को अपनाया है, पर यह प्रक्रिया कारगर सिद्ध नहीं होगी यदि ई-निविदा के अन्तर्गत सिर्फ स्थानीय प्रतिष्ठानों को ही प्रस्ताव देने के लिए चुना जाता है। सभी मंडलों में स्थानीय खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन निविदा पद्धति को व्यवहार में लाया जाए ताकि स्थानीय खरीद के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक दर का प्राप्त होना सुनिश्चित किया जा सके।

सही दरों पर सही मात्रा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**( जे.के. वर्मा )**
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

---

*NOW THAT WE HAVE LEARNED TO*
*FLY IN THE AIR LIKE BIRDS*
*AND DIVE IN THE SEA*
*LIKE FISH. ONLY ONE THING REMAINS-*
*TO LEARN TO LIVE ON EARTH LIKE*
*HUMANS.*

***- GEORGE BERNARD SHAW***

---

This is strengthened by the fact that after vigilance check, order for 10 sqmm cable (Cu Conductor) has been placed by DMM/MGS on 05.01.15 @ Rs.127.95 per meter with 30% discount i.e. actual rate Rs.89.57 per meter whose rate as per price list was Rs. 146.00 per meter. Thus ordered rate is less by 38.65% than the rate of price list. Thorough examination of prevailing market rate is, therefore, required to be made before according reasonability of offered rates instead of merely depending on price list rate.

DNR division was advised to go for Bulletin Tender instead of Limited Tender with locally available sources only. As a result, rates received after BT have been lesser by up to 50% than the requisition rates. It is learnt that e-tender has been started in divisions for purchase of stores. The result of e-tender will not fructify if sources available in local vicinity of division are considered only. The system of electronic BT may be introduced in all divisions for local purchase to ensure competitive rates.

All concerned may be advised to take corrective action to ensure purchase of correct quantities at correct rates. Action taken in this regard may please be intimated to this office.

**(J.K. Verma)**

Sr. Dy. General Manager

Vig.f.no. ECR/Vig/V4/L/Gaya/02-14/DyCVO(s)/PC/RK/07 (IRVINS 2014030074

---

***"चींटी से अच्छा उपदेशक***
***कोई और नहीं है,***
***वह काम करते हुए भी***
***खामोश रहती है।"***

– बैंजामिन फ्रैंकलिन

---

# प्रतिज्ञा

हम भारत के लोक सेवक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

# PLEDGE

*We, the public servants of India, do hereby solemnly pledge that we shall continuously strive to bring about integrity and transparency in all spheres of our activities. We also pledge that we shall work unstintingly for eradication of corruption in all spheres of life. We shall remain vigilant and work towards the growth and reputation of our organisation. Through our collective efforts, we shall bring pride to our organisations and provide value based service to our countrymen. We shall do our duty conscientiously and act without fear or favour.*